

इन्दौर स्मार्ट सिटी

डेवलपमेंट लिमिटेड

Indore Smart City Development Limited

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2nd ANNUAL REPORT
2017-18





इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड
Indore Smart City Development Limited

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन
2nd Annual Report

[दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए]
(मूल अंग्रेजी अभिलेख के हिंदी भाषा में अनुवाद सहित)

[For Financial Year ended on 31st March 2018]
(Including translation of original English document into Hindi language)

पंजीकृत कार्यालय :
स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003

Registered Office:
Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, Madhya Pradesh, 452003

अनुक्रमणिका

INDEX



इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड Indore Smart City Development Limited

विषय	पृष्ठ क्र.	Contents	Page No.
कम्पनी की जानकारी	1	Company Information	1
द्वितीय वार्षिक साधारण सभा का सूचना पत्र	3	Notice of 2nd Annual General Meeting	77
उपस्थिति पर्ची	4	Attendance Slip	78
प्रॉक्सी प्रारूप	5	Proxy Form	79
स्थगित वार्षिक साधारण सभा के लिए सूचना/सूचना पत्र	6	Notice for Adjourned Annual General Meeting	80
उपस्थिति पर्ची	7	Attendance Slip	81
प्रॉक्सी प्रारूप	8	Proxy Form	82
संचालक मंडल का प्रतिवेदन	9	Board's Report	83
वार्षिक विवरणी का सार	21	Extract of Annual Return	97
सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	31	Secretarial Audit Report	107
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	35	Comments of Comptroller and Auditor General of India	111
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर संचालक मंडल का स्पष्टीकरण	38	Board's Explanation on comments of C&AG of India	114
स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	41	Independent Auditor's Report	117
स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुलग्नक	44	Annexures to Independent Auditor's Report	120
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत प्रतिवेदन	48	Report u/s 143(5) of the Companies Act 2013	124
तुलन पत्र	49	Balance Sheet	125
लाभ एवं हानि विवरण	50	Profit and Loss Statement	126
नगद प्रवाह विवरण	51	Cash Flow Statement	127
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	53	Statement of changes in Equity	129
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं वित्तीय विवरण पर नोट्स	54	Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statement	130



कम्पनी संबंधी जानकारी (20.12.2018 तक की स्थिति) Company Information (Status upto 20.12.2018)

निदेशक मंडल / Board of Directors

- अध्यक्ष / Chairman
श्री पारीकी पांडला नरहरि, आईएएस (11.03.2016 से 18.09.2017 तक)
Shri Parikipandla Narahari, IAS (From 11.03.2016 to 18.09.2017)
श्री निशांत वरवडे, आईएएस (18.09.2017 से)
Shri Nishant Warwade, IAS (From 18.09.2017)
- कार्यपालन निदेशक / Executive Director
श्री मनीष सिंह, आईएएस (11.03.2016 से 18.05.2018 तक)
Shri Manish Singh, IAS (From 11.03.2016 to 18.05.2018)
श्री आशीष सिंह, आईएएस (18.05.2018 से)
Shri Asheesh Singh, IAS (From 18.05.2018)
- नामांकित निदेशक / Nominee Directors
डॉ. कुमार विनय प्रताप (02.09.2016 से 14.09.2017 तक)
Dr. Kumar Vinay Pratap (From 02.09.2016 to 14.09.2017)
श्री अश्विनी कुमार (14.09.2017 से 20.12.2018 तक)
Shri Ashwini Kumar (From 14.09.2017 to 20.12.2018)
श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत (14.10.2016 से 16.07.2018 तक)
Shri Surendra Singh Rajpoot (From 14.10.2016 to 16.07.2018)
श्री मोहित बुन्दास, आईएएस (23.06.2017 से 18.12.2017 तक)
Shri Mohit Bundas, IAS (From 23.06.2017 to 18.12.2017)
डॉ. श्रीमती मंजू शर्मा, आईएएस (18.12.2017 से 16.07.2018 तक)
Dr. Smt. Manju Sharma, IAS (From 18.12.2017 to 16.07.2018)
श्री राहुल जैन, आईएएस (16.07.2018 से)
Shri Rahul Jain, IAS (From 16.07.2018)
श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, आईएएस (12.11.2018 से)
Shri Swatantra Kumar Singh, IAS (From 12.11.2018)
श्री राकेश सिंह (16.09.2016 से 18.09.2017 तक)
Shri Rakesh Singh (From 16.09.2016 to 18.09.2017)
श्री गौतम सिंह, आईएएस (20.12.2017 से 17.07.2018 तक)
Shri Gautam Singh, IAS (From 20.12.2017 to 17.07.2018)
श्री कुमार पुरुषोत्तम (17.07.2018 से)
Shri Kumar Purushottam (From 17.07.2018)
श्री राजेश नागल (16.09.2016 से)
Shri Rajesh Nagal (From 16.09.2016)
श्री गजरा मेहता (16.09.2016 से)
Shri Gajra Mehta (From 16.09.2016)
श्री कृष्ण कुमार सोनगारिया (26.09.2016 से 01.04.2018 तक एवं 15.06.2018 से पुनर्नियुक्त)
Shri Krishna Kumar Songaria (From 26.09.2016 to 01.04.2018 & Re-appointed from 15.06.2018)
श्री शंकर यादव (19.12.2016 से)
Shri Shankar Yadav (From 19.12.2016)
- स्वतंत्र निदेशक / Independent Directors
प्रो. ऋषिकेश थिरुवेंकटा कृष्णन (12.05.2017 से)
Prof. Rishikesh Thiruvankata Krishnan (From 12.05.2017)
आर्कि. श्रीमती दीप्ती व्यास (12.11.2018 से)
Ar. Smt. Deepti Vyas (From 12.11.2018)



- मुख्य कार्यपालन अधिकारी/
Chief Executive Officer
- मुख्य वित्तीय अधिकारी/
Chief Financial Officer
- कम्पनी सचिव/
Company Secretary

श्री रोहन सक्सेना (27.04.2016 से)
Shri Rohan Saxena (From 27.04.2016)

श्रीमती रचना गौड़ (29.09.2017 से)
Smt. Rachna Gaur (From 29.09.2017)

श्री अनुराग कुमार सक्सेना (02.09.2016 से)
Shri Anurag Kumar Saxena (From 02.09.2016)

सांविधिक अंकेक्षक/Statutory Auditors

मेसर्स गुप्ता एंड अशोक, सनदी लेखाकार
125-126, सनराइज टॉवर, 579, एम.जी. रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश, 452001
M/s Gupta & Ashok, Chartered Accountants
125-126, Sunrise Tower, 579, M.G. Road, Indore, Madhya Pradesh, 452001

आंतरिक अंकेक्षक/Internal Auditors

मेसर्स एम. मेहता एंड कम्पनी, सनदी लेखाकार
201, प्रेसीडेंट टॉवर, मधुमिलन चौराहा, इंदौर, मध्यप्रदेश, 452001
M/s M. Mehta & Co., Chartered Accountants
201, President Tower, Madhumilan Square, Indore, Madhya Pradesh, 452001

सचिवीय अंकेक्षक/Secretarial Auditors

मेसर्स पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव
306, मानस भवन एक्स. 11, आरएनटी मार्ग, इन्दौर, मध्यप्रदेश
M/s P.S. Tripathi & Associates, Company Secretaries
306, Manas Bhawan Extn., 11, R.N.T. Marg, Indore, Madhya Pradesh

बैंकर्स/Bankers

- एक्सिस बैंक लिमिटेड, इतवारिया बाजार, शाखा इन्दौर
- आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, विजय नगर, शाखा इन्दौर
- Axis Bank Limited, Itwaria Bazar, Branch, Indore
- IDBI Bank Limited, Vijay Nagar Branch, Indore

पंजीकृत कार्यालय/Registered Office

स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर,
मध्यप्रदेश, 452003; फोन : 0731-2535572
Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore,
Madhya Pradesh, 452003; Ph. No.: 0731-2535572
E-mail: smartcityindore16@gmail.com,
Website: www.smartcityindore.org

द्वितीय वार्षिक साधारण सभा 2nd Annual General Meeting	स्थगित द्वितीय वार्षिक साधारण सभा Adjourned 2nd Annual General Meeting
दिनांक : 22 दिसम्बर 2018 Date : 22nd December 2018	दिनांक : 26 दिसम्बर 2019 Date : 26th December 2019
दिन : शनिवार Day : Saturday	दिन : गुरुवार Day : Thursday
समय : दोप. 4.00 बजे Time : 4.00 PM	समय : दोप. 2.15 बजे Time : 2.15 PM
स्थान : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003 Venue: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, Madhya Pradesh, 452003	स्थान : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003 Venue: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, Madhya Pradesh, 452003



इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003
फोन : 0731-2535572; ईमेल : smartcityindore16@gmail.com
सीआईएन: U75100MP2016SGC035528; वेबसाइट : www.smartcityindore.org

सूचना पत्र

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि, कम्पनी के सदस्यों की द्वितीय वार्षिक साधारण सभा शनिवार 22 दिसंबर 2018 को सायं 4 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र. 452003 पर निम्न कारोबारों हेतु आयोजित की जावेगी।

1. साधारण व्यवसाय :-

1. कम्पनी के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए संपरीक्षित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाते, निदेशक मंडल प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित, को प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा अंगीकृत करना।
2. श्री शंकर यादव (डीआईएन: 07683903) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो चक्रानुक्रम (रोटेशन) से सेवानिवृत्त होकर एवं पात्र होकर, पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं द्वारा प्रस्तावित है।
3. श्री राजेश नागल (डीआईएन: 07084452) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो चक्रानुक्रम (रोटेशन) से सेवानिवृत्त होकर एवं पात्र होकर, पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं द्वारा प्रस्तावित है।
4. श्री गजरा मेहता (डीआईएन: 07578666) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो चक्रानुक्रम (रोटेशन) से सेवानिवृत्त होकर एवं पात्र होकर, पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं द्वारा प्रस्तावित है।
5. कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति को रिकॉर्ड पर लेना।

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 20.12.2018

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
हस्ता./-
अनुराग कुमार सक्सेना
कम्पनी सचिव
एफसीएस क्र.: 8115

टीपः

1. एक सदस्य जिसे सभा में भाग लेने एवं मत देने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं मतदान हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी करने हेतु प्रॉक्सी प्रपत्र कम्पनी कार्यालय पर सभा के नियत समय से कम से कम 48 घण्टे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।
2. सूचना पत्र से संबंधित दस्तावेज एवं वैधानिक रजिस्टर, सभी कार्य दिवसों में शनिवार को छोड़कर प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक निरीक्षण हेतु, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर रखे गये हैं।
3. सदस्यों से अनुरोध है कि, कम्पनी के खातों एवं संचालन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सभा की तिथि से कम से कम 1 दिवस पूर्व कम्पनी को लिखित रूप में प्रश्नों के साथ आवेदन दें।



उपस्थिति पर्ची द्वितीय वार्षिक साधारण सभा

फोलियो नं.	
धारित अंश (अंशों) की संख्या	
पंजीकृत अंशधारक का नाम एवं पता	


मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं/हम कम्पनी का पंजीकृत अंशधारक/पंजीकृत अंशधारक का प्रॉक्सी हूँ।

एतद् द्वारा मैं दिनांक 22 दिसम्बर 2018, शनिवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र., 452003 पर होने वाली कम्पनी की द्वितीय वार्षिक साधारण सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

टिप्पणी :—कृपया इसे पूर्ण भरकर सभागृह के प्रवेश द्वार पर प्रस्तुत करें।

सदस्य / प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के मार्ग का नक्शा, स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र. 452003



प्रारूप संख्या एमजीटी-11

प्रॉक्सी प्रारूप

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

कम्पनी का नाम : इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003

सदस्य (सदस्यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :

फोलियों क्रमांक :

मैं / हम, उपर्युक्त नामक कम्पनी के सदस्य होते हुए द्वारा निम्न को नियुक्त करते हैं।

1. नाम :
पता :
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर :, अथवा उनके न होने पर
2. नाम :
पता :
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर :, अथवा उनके न होने पर
3. नाम :
पता :
ईमेल आईडी :
हस्ताक्षर :

दिनांक 22 दिसंबर 2018, शनिवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र. 452003 पर होने वाली कम्पनी की द्वितीय वार्षिक साधारण सभा में मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों के संबंध में या उसके स्थगन में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मत देंगे (मतदान में):-

संकल्प संख्या

1.
2.
3.
4.
5.

2018 को दिन हस्ताक्षरित

अंशधारक(कों) के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर

राजस्व
टिकिट
चस्पा करें

टीप :- यह प्रॉक्सी प्रारूप प्रभावी करने के लिए सम्यक रूप से पूर्ण भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा प्रारम्भ होने के अभिहित 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

टिप्पणी :

1. प्रॉक्सी प्रारूप को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।
2. प्रॉक्सी प्रारूप में किये गये सभी परिवर्तन हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
3. कृपया हस्ताक्षर करने के पूर्व उचित राजस्व टिकिट चस्पा करें।
4. एक से अधिक प्रॉक्सी होने पर, बाद में हुआ प्रॉक्सी मान्य होगा।
5. प्रॉक्सी का अंशधारक होना आवश्यक नहीं है।



स्थगित वार्षिक साधारण सभा के लिए सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की द्वितीय वार्षिक साधारण सभा जो शनिवार, 22 दिसम्बर 2018 को शाम 4.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जाने हेतु निर्धारित की गई थी, को अपर्याप्त गणपूर्ति (कोरम) के कारण स्थगित किया गया है। यह स्थगित बैठक अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान पर आयोजित होगी।

आपसे अनुरोध है कि कृपया बैठक में भाग लेकर इसे सुगम बनाएं।

धन्यवाद

स्थान: इन्दौर

दिनांक: 22.12.2018

भवदीय
इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के लिए

हस्ता./—

अनुराग कुमार सक्सेना
कम्पनी सचिव

सूचना-पत्र

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि, कम्पनी के सदस्यों की स्थगित 2री वार्षिक साधारण सभा गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 को दोप. 2.15 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र. 452003 पर निम्न कारोबारों हेतु आयोजित की जावेगी।

1. साधारण व्यवसाय:—

1. कम्पनी के 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ, लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि जो संचालक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में हैं, को प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा अंगीकृत करना।
2. कम्पनी के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाते, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सहित निदेशक मंडल का प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखा परीक्षक प्रतिवेदन, को प्राप्त करना एवं अंगीकृत करना।

स्थान: इन्दौर

दिनांक: 26.09.2019

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता./—

अनुराग कुमार सक्सेना
कम्पनी सचिव
एफसीएस क्र.: 8115

टीप:

1. एक सदस्य जिसे सभा में भाग लेने एवं मत देने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं मतदान हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी करने हेतु प्रॉक्सी प्रपत्र कम्पनी कार्यालय पर सभा के नियत समय से कम से कम 48 घण्टे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।
2. सूचना पत्र से संबंधित दस्तावेज एवं वैधानिक रजिस्टर, सभी कार्य दिवसों में शनिवार को छोड़कर प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक निरीक्षण हेतु, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर रखे गये हैं।
3. सदस्यों से अनुरोध है कि, कम्पनी के खातों एवं संचालन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सभा की तिथि से कम से कम 1 दिवस पूर्व कम्पनी को लिखित रूप में प्रश्नों के साथ आवेदन दें।



उपस्थिति पर्ची द्वितीय स्थगित वार्षिक साधारण सभा


फोलियो नं.	
धारित अंश (अंशों) की संख्या	
पंजीकृत अंशधारक का नाम एवं पता	

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं/हम कम्पनी का पंजीकृत अंशधारक/पंजीकृत अंशधारक का प्रॉक्सी हूँ।
एतद् द्वारा मैं दिनांक 26 सितम्बर, 2019, गुरुवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र., 452003 पर होने वाली कम्पनी की स्थगित द्वितीय वार्षिक साधारण सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

टिप्पणी :- कृपया इसे पूर्ण भरकर सभागृह के प्रवेश द्वार पर प्रस्तुत करें।

सदस्य / प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के मार्ग का नक्शा, स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र. 452003



प्रारूप संख्या एमजीटी- 11 प्रॉक्सी प्रारूप

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

कम्पनी का नाम : इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003

सदस्य (सदस्यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :

फोलियों क्रमांक :

मैं / हम, उपर्युक्त नामक कम्पनी के सदस्य होते हुए द्वारा निम्न को नियुक्त करते है।

1. नाम :

पता :

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर :, अथवा उनके न होने पर

2. नाम :

पता :

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर :, अथवा उनके न होने पर

3. नाम :

पता :

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर :

दिनांक 26 सितम्बर 2019, गुरुवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र. 452003 पर होने वाली कम्पनी की द्वितीय स्थगित वार्षिक साधारण सभा में मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों के संबंध में या उसके स्थगन में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मत देंगे (मतदान में):-

संकल्प संख्या

1.

2.

2019 को दिन हस्ताक्षरित

अंशधारक(कों) के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर

राजस्व
टिकिट
चस्पा करें

टीप :- यह प्रॉक्सी प्रारूप प्रभावी करने के लिए सम्यक रूप से पूर्ण भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा प्रारम्भ होने के अभिहित 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

टिप्पणी :

1. प्रॉक्सी प्रारूप को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।
2. प्रॉक्सी प्रारूप में किये गये सभी परिवर्तन हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
3. कृपया हस्ताक्षर करने के पूर्व उचित राजस्व टिकिट चस्पा करें।
4. एक से अधिक प्रॉक्सी होने पर, बाद में हुआ प्रॉक्सी मान्य होगा।
5. प्रॉक्सी का अंशधारक होना आवश्यक नहीं है।



संचालक मंडल का प्रतिवेदन

प्रति,
सदस्यगण,
इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लि. इन्दौर

आपकी कम्पनी के निदेशकगणों को, संचालक मंडल का द्वितीय प्रतिवेदन जिसके साथ कम्पनी के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरण भी संलग्न है, प्रस्तुत करते हुए हर्ष होता है;

1) कारोबारी मामलों की स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं भविष्य का दृष्टिकोण

i) वित्तीय परिणाम

कम्पनी के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
संचालन से राजस्व	73,18,681	9,10,000
लाभ हानि खाते में दर्शाये परियोजना पर किया गया कुल व्यय	1,41,03,183	0
अन्य आय (लाभ हानि खाते में अंतरित अनुदान)	10,85,59,052	7,75,33,153
प्रशासनिक व्यय पर किया गया कुल व्यय जो प्राप्त अनुदान में से किया गया	10,29,01,389	8,46,05,342
मूल्यहास एवं ब्याज से पूर्व लाभ/हानि	(11,26,839)	(61,62,189)
घटाएँ : मूल्यहास	1,04,34,602	7,20,424
ब्याज	57,426	0
मूल्यहास के पश्चात लाभ/हानि	(1,16,18,867)	(68,82,613)
घटाएँ : अपवाद स्वरूप वस्तुएँ	0	0
घटाएँ : असाधारण वस्तुएँ	0	0
घटाएँ : चालू कर	0	0
घटाएँ : आस्थगित कर	1,52,11,821	(52,11,858)
करारोपण के पश्चात लाभ/हानि	(2,68,30,688)	(16,70,755)

यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस वर्ष कम्पनी को अपने खाते कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार इन्ड ए.एस. के अन्तर्गत तैयार करना है, अतः भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ समायोजन किए गए हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया गया है।

ii) संचालन एवं प्रदर्शन की समीक्षा

कम्पनी का गठन भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत एस.पी.वी. के रूप में किया गया, जिसके द्वारा शहर की धरोहर, अध्यात्मिकता, बुनियादी ढांचे, परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शिक्षा एवं रहवासियों के दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में स्मार्ट समाधान के लिए समग्र रूप से विकसित कर इन्दौर को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके।

परियोजना के विकास की दिशा में कम्पनी का सम्पूर्ण प्रदर्शन सुधार की ओर अग्रसर है और यह कम्पनी के मुख्य उद्देश्य के अनुसार है।



कम्पनी ने, कम्पनी में लाभप्रदता लाने के लिए अपनी परिचालन क्षमता और राजस्व अर्जन क्षमता में सुधार के लिए कई पहल की है। आपके निदेशकगण इस चुनौतीपूर्ण एवं प्रतिस्पर्धात्मक पूंजी बाजार उद्योग में कम्पनी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

iii) सामान्य प्रारक्षित निधि में हस्तांतरण

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्य प्रारक्षित निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

iv) लाभांश

पूंजी की आवश्यकता और कम्पनी के पूंजी आधार को मजबूत करने के कारण, आपके निदेशक 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की अनुशंसा नहीं करते हैं।

v) व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की व्यवसायिक गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

vi) वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं प्रतिवेदन की दिनांक के मध्य, वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ

दिए गए वित्तीय विवरण में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से इस प्रतिवेदन की दिनांक तक ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ नहीं रही जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हो।

2. पूंजी और ऋण संरचना

i) अंश पूंजी में परिवर्तन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी को भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ और इस राशि का उपयोग कम्पनी की अंश पूंजी को रुपये 200.00 करोड़ तक बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाना था।

इस संबंध में, कम्पनी ने 23 दिसंबर 2017 को आयोजित संचालक मंडल की बैठक में कुल 9,64,40,000 (नौ करोड़ चौसठ लाख चालीस हजार) समता अंश, वर्तमान 10,35,60,000 समता अंश के दिनांक 23.12.2017 को हिताधिकारी स्वामित्व के रूप में धारित अंशों के अनुपात में नकद सममूल्य पर, कम्पनी के अंशधारकों को पेश किये गये। अंशों के राईट इश्यू के लिए 23.12.2017 को लेटर ऑफ ऑफर जारी किया गया था और यह ऑफर गुरुवार 28 दिसंबर 2017, सुबह 10.00 बजे से गुरुवार 11 जनवरी 2018, शाम 6.00 तक (दोनों दिन सम्मिलित) खुला रहा। इस लेटर ऑफ ऑफर के तहत एमपीयूडीसीएल और आईएमसी (हिताधिकारी स्वामिओं) से कम्पनी को अंश हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

इसके फलस्वरूप कुल 9,64,40,000 समता अंश 10 रुपये मूल्य पर कुल रुपये 96,44,00,000 के आवेदकों (इन्दौर नगर निगम एवं म.प्र. शहरी विकास कंपनी लिमिटेड) को दिनांक 31.03.2018 को आवंटित किये गये। इस आवंटन के पश्चात कम्पनी की कुल चुकता पूंजी 103.56 करोड़ रुपयों से बढ़कर 200.00 करोड़ रुपये हो गई जो स्मार्ट सिटी के मिशन स्टेटमेंट और दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी आवश्यक था।

उपरोक्त को छोड़कर कम्पनी की पूंजी संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ और ना ही विशेष मतदान अधिकार के साथ कोई बकाया अंश जारी किये गये।

ii) स्वेट समता अंश को जारी करने के संबंध में प्रकटीकरण

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी (अंश पूंजी एवं ऋण) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित धारा 54 के प्रावधानों के अनुसरण में स्वेट समता अंश जारी नहीं किए।

iii) कर्मचारी स्कंध (स्टॉक) विकल्प के संबंध में प्रकटीकरण

कम्पनी (अंशपूंजी एवं ऋणपत्र) नियम 2014 के नियम 12(9) के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी द्वारा कर्मचारी स्कंध विकल्प जारी नहीं किये हैं; अतएव कर्मचारियों द्वारा मताधिकारों का प्रयोग नहीं किये जाने के संबंध में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।



3. प्रबंधन

i) निदेशकगण एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रो. ऋषिकेश थिरुवेंकटा कृष्णन को दिनांक 12.05.2017 से कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री मोहित बून्दास ने दि. 23.06.2017 से, श्री अश्विनी कुमार ने दि. 14.09.2017 से, श्री निशांत वरवडे ने दि. 18.09.2017 से, डॉ. मंजू शर्मा ने दि. 18.12.2017 से एवं श्री गौतम सिंह ने दि. 20.12.2017 से नामित निदेशक के रूप में आईएससीडीएल बोर्ड में शामिल हुए।

श्री पारिकीपांडला नरहरि ने 18.09.2017 से, श्री कुमार विनय प्रताप ने 14.09.2017 से, श्री राकेश सिंह ने 18.09.2017 से एवं श्री मोहित बून्दास ने 18.12.2017 से कम्पनी के निदेशक पद का त्याग किया।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, श्री आशीष सिंह, श्री राहुल जैन, श्री कुमार पुरुषोत्तम एवं श्री स्वतंत्र कुमार सिंह की नियुक्ति क्रमशः 18.05.2018, 16.07.2018, 17.07.2018 एवं 12.11.2018 को नामित निदेशक के रूप में हुई और दीप्ति व्यास स्वतंत्र निदेशक के रूप में दि. 12.11.2018 से संचालक मंडल में शामिल हुई। इसके अलावा, श्री मनीष सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, डॉ. मंजू शर्मा एवं श्री गौतम सिंह के निदेशक के रूप में समाप्ति क्रमशः 18.05.2018, 16.07.2018, 16.07.2018 एवं 17.07.2018 को हुई। इसके अतिरिक्त, श्री कृष्ण कुमार सोनगरिया का पद दि. 01.04.2018 को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 167 के अनुसार रिक्त हुआ एवं वे दिनांक 15.06.2018 को पुनः नियुक्त हुए।

श्री अश्विनी कुमार की नियुक्ति एवं श्री कुमार विनय प्रताप के निदेशक पद की समाप्ति एमओएचयूए, भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में किया गया एवं आईएससीडीएल के संचालक मंडल में अन्य बदलाव एमपीयूडीसीएल से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किये गये।

कम्पनी ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए आचार संहिता भी निर्धारित की है। यह संहिता स्वतंत्र निदेशकों के लिए पेशेवर आचरण हेतु एक मार्गदर्शिका है। स्वतंत्र निदेशक इन मानकों का पालन करते हैं, एवं पेशेवर और निष्ठापूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं।

श्रीमती रचना गौर को दि. 29.09.2017 से कम्पनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

इसके अलावा कम्पनी के निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

श्री गजरा मेहता, श्री राजेश नागल और श्री शंकर यादव आगामी वार्षिक साधारण सभा में चक्रानुक्रम (रोटेशन) द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी है और जिन्होंने पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र होकर स्वयं को प्रस्तावित किया है।

ii) स्वतंत्र निदेशक (निदेशकगण)

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में कम्पनी के संचालक मंडल में न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आवश्यक है। वर्तमान में कम्पनी में दो स्वतंत्र निदेशक हैं। प्रो. ऋषिकेश थिरुवेंकटा कृष्णन दि. 12.05.2017 को नियुक्त हुए एवं आर्किटेक्ट दीप्ति व्यास संचालक मंडल में दिनांक 12.11.2018 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुई।

प्रो. ऋषिकेश थिरुवेंकटा कृष्णन आई.आई.टी. कानपुर, स्टैनफोर्ड अकादमी और आईआईटी अहमदाबाद के भूतपूर्व छात्र हैं। वे पेनसिलवानिया विश्वविद्यालय के विजिटिंग स्कॉलर रहे हैं। उन्हें प्रबंधन के थिंकर 50 इंडिया (वर्ष 2013) में सबसे प्रभावशाली विचारक की सूची में शामिल रहे। वे भारत सरकार, नासकोम और सीआईआई की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे हैं। उनका अच्छा अनुभव, दृष्टिकोण और पृष्ठभूमि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और कम्पनी की प्रगति में योगदान देगा।

श्रीमती व्यास काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इंडिया में पंजीकृत एक प्रेक्टिसिंग आर्किटेक्ट हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, गुजरात से एम.टेक. किया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी (बीईई), भारत सरकार में सूचीबद्ध (इम्पैनल) ईसीबीसी आर्किटेक्ट हैं और वेल्थ टेक्स अधिनियम के अन्तर्गत शासकीय पंजीकृत वेल्यूअर हैं। उन्हें योजना और वास्तुकला क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव है और उनके पास इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद से एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम का सर्टिफिकेट है और कई संस्थानों और सोसायटीज की सदस्यता भी है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टॉउन प्लानर, म.प्र. क्षेत्रीय चैप्टर, भोपाल के संयुक्त सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर, म.प्र. चैप्टर, भोपाल के काउंसिल सदस्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, म.प्र. चैप्टर, भोपाल एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, म.प्र. चैप्टर, भोपाल के मानद सचिव के पद पर कार्य किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, योजना तैयार करना एक मूल अधोसंरचना तत्व है और एक आर्किटेक्ट होने के नाते, श्रीमती दीप्ति व्यास स्मार्ट सिटी परियोजना में बहुमूल्य ज्ञान का स्रोत है।



iii) स्वतंत्र निदेशक की घोषणा पर कथन

कम्पनी को, कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों से इस बात की पुष्टि मिली है कि वह अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (6) के तहत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

iv) निदेशकों की अयोग्यता

वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशकों से घोषणाएँ प्राप्त हुईं। बोर्ड द्वारा इनका मूल्यांकन किया गया और पाया कि निदेशक के रूप में पद धारण करने के लिए कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

v) संचालक मंडल की बैठकों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की पांच (5) बैठकें 29.06.2017, 29.09.2017, 16.11.2017, 23.12.2017 एवं 31.03.2018 को आयोजित हुईं और इस संबंध में उचित सूचना (नोटिस) दिए गए और कार्यवाहियों को कार्यवृत्त पुस्तिका (मिनट बुक) में उचित रूप से दर्ज किया गया। संचालक मंडल की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	निदेशक	संचालक मंडल की बैठकों की संख्या		23.12.2017 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति
		आयोजित	उपस्थिति	
1	श्री पारीकीपंडला नरहरि	1	0	लागू नहीं
2	श्री मनीष सिंह	5	4	हाँ
3	श्री कुमार विनय प्रताप	1	0	लागू नहीं
4	श्री राकेश सिंह	1	1	लागू नहीं
5	श्री राजेश नागल	5	2	नहीं
6	श्री गजरा मेहता	5	4	हाँ
7	श्री कृष्ण कुमार सोनगरिया	5	0	नहीं
8	श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत	5	2	हाँ
9	श्री शंकर यादव	5	4	हाँ
10	प्रो. ऋषिकेश थिरुवेंकटा कृष्णन	5	2	नहीं
11	श्री मोहित बुंदास	3	0	लागू नहीं
12	श्री अश्विनी कुमार	4	2	नहीं
13	श्री निशांत वरवड़े	4	4	हाँ
14	डॉ. मंजू शर्मा	2	0	नहीं
15	श्री गौतम सिंह	2	1	हाँ
16	*श्री आशीष सिंह	-	-	-
17	*श्री कृष्ण कुमार सोनगरिया	-	-	-
18	*श्री राहुल जैन	-	-	-
19	*श्री कुमार पुरुषोत्तम	-	-	-
20	*श्री स्वतंत्र कुमार सिंह	-	-	-
21	*आर्किटेक्ट श्रीमती दीप्ति व्यास	-	-	-

टीप :- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान श्री आशीष सिंह, श्री राहुल जैन, श्री कुमार पुरुषोत्तम, श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, आर्किटेक्ट श्रीमती दीप्ति व्यास की नियुक्ति एवं श्री कृष्ण कुमार सोनगरिया की पुनर्नियुक्ति हुई।



vi) लेखापरीक्षा समिति

कम्पनी को, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) और कम्पनी (बोर्ड की बैठकें एवं उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के तहत लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है। कम्पनी ने 16.11.2017 को आयोजित संचालक मंडल की बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक एवं दो गैर-कार्यकारी निदेशकों के साथ लेखापरीक्षा समिति का गठन किया। लेखापरीक्षा समिति का पुर्नगठन 20.12.2018 को संचालक मंडल द्वारा निम्नलिखित बोर्ड सदस्यों के साथ किया गया :-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	डी.आई.एन.	अध्यक्ष/ सदस्य
1	प्रो. ऋषिकेशा थिरुवेंकटा कृष्णन	स्वतंत्र निदेशक	00064067	अध्यक्ष
2	आर्कि. श्रीमती दीप्ती व्यास	स्वतंत्र निदेशक	08277439	सदस्य
3	श्री राजेश नागल	गैरकार्यकारी निदेशक	07084452	सदस्य

vii) हितधारकों संबंध समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी को हितधारकों संबंध समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि हितधारकों संबंध समिति का गठन 16.11.2017 को संचालक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया :-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	डी.आई.एन.	अध्यक्ष/ सदस्य
1	श्री गजरा मेहता	गैरकार्यकारी निदेशक	07578666	अध्यक्ष
2	श्री राजेश नागल	गैरकार्यकारी निदेशक	07084452	सदस्य
3	प्रो. ऋषिकेशा थिरुवेंकटा कृष्णन	स्वतंत्र निदेशक	00064067	सदस्य

viii) समिति की बैठकों का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की विधिवत रूप से एक बैठक की गई। लेखापरीक्षा समिति की बैठक का विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	सदस्य	लेखापरीक्षा बैठकों की संख्या	
		आयोजित	उपस्थित
1	प्रो. ऋषिकेशा थिरुवेंकटा कृष्णन	1	1
2	श्री राजेश नागल	1	0
3	श्री गजरा मेहता	1	1

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान हितधारक संबंध समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।



ix) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी को, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(1) और कम्पनी (संचालक मंडल की बैठकें एवं उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के तहत नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना आवश्यक है।

कम्पनी ने 20.12.2018 को आयोजित 14वीं बोर्ड बैठक में संचालक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों के साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया :-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	डी.आई.एन.	अध्यक्ष/ सदस्य
1	आर्किटेक्ट श्रीमती दीप्ती व्यास	स्वतंत्र निदेशक	08277439	अध्यक्ष
2	प्रो. ऋषिकेश थिरुवेंकटा कृष्णन	स्वतंत्र निदेशक	00064067	सदस्य
3	श्री राजेश नागल	गैरकार्यकारी निदेशक	07084452	सदस्य

x) लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश

किसी भी एजेंडा पर दिये गये लेखा परीक्षा समिति के विचारों का, संचालक मंडल ने हमेशा सम्मान किया और ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर संचालक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों को नहीं माना।

xi) संचालक मंडल के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन

सरकारी कम्पनी के रूप में, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(पी) और कम्पनी (लेखांकन) नियम 2014 के नियम 8(4) के अनुसरण में संचालक मंडल द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन एवं इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं रही। हालांकि कम्पनी के संचालकगण कम्पनी के निदेशक के तौर पर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क हैं।

xii) कर्मचारियों की विशेष्यताएँ

कम्पनी के किसी भी कर्मचारी ने रु. 1,02,00,000/- (रुपये एक करोड़ दो लाख) या इससे अधिक प्रति वर्ष अगर पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित रहा हो, अथवा रु. 8,50,000/- (रुपये आठ लाख पचास हजार) या इससे अधिक प्रति माह अगर वित्तीय वर्ष के किसी भाग के दौरान नियोजित रहा हो, पारिश्रमिक के रूप में नहीं लिया है। इसके अलावा, यह भी कि किसी भी कर्मचारी ने प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक (जहाँ भी उनकी नियुक्ति हो), से अधिक पारिश्रमिक नहीं लिया है और स्वयं अथवा अपने जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के साथ कुल मिलाकर 2 (दो) प्रतिशत या अधिक के समता अंशधारक नहीं हैं। यथा उल्लेखित प्रकटीकरण कम्पनी के निदेशकों के सिवाय कर्मचारियों के लिए है और निदेशकों से संबंधित विवरण एमजीटी-9 में दिया गया है जो अनुलग्नक-1 के रूप में इस प्रतिवेदन में संलग्न है।

xiii) नियंत्री कम्पनी से निदेशकगणों को प्राप्त पारिश्रमिक/कमीशन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के किसी भी निदेशक ने कम्पनी की नियंत्री कम्पनी, यदि कोई हो, से ऐसा पारिश्रमिक अथवा कमीशन प्राप्त नहीं किया है, जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197(14) के तहत प्रावधानित है।



xiv) निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी कथन

कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधान 134(5) के पालन में आपके निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि :-

- अ) 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक खातों को तैयार करने में लागू लेखा संबंधी मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण अपसरण, यदि कोई है, पर उचित स्पष्टीकरण दिया गया है ;
- ब) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों को चुना एवं निरन्तरता से उन्हें लागू किया और ऐसे निर्णय एवं प्रकलन किए गए जिससे कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के कारोबारी मामलों का तथा उसी अवधि में कम्पनी के लाभ और हानि का उचित एवं विवेकपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया जा सके ;
- स) निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में तथा कम्पनी आस्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं कपट जाँचने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानियाँ बरती है ;
- द) निदेशकगणों ने वार्षिक लेखें चालू इकाई आधार पर बनाए हैं ;
- ई) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की और ऐसी पद्धतियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्यरत रही ;
- फ) कम्पनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित की है, और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी रूप से परिचालन में रहे हैं ;

व्याख्या :- इस कंडिका के प्रयोजन के लिए शब्द “आंतरिक वित्तीय नियंत्रण” का अर्थ व्यवसाय के सुचारु रूप से चलाने हेतु कम्पनी द्वारा अपनायी गई नीतियों व प्रक्रियाओं का सही तरीके से एवं गुणवत्तायुक्त प्रदर्शन का पालन सुनिश्चित किया जाना है, जिसमें आस्तियों का संरक्षण, छल-कपट व त्रुटियों पर रोक निवारण, लेखांकन के अभिलेखों की पूर्णता एवं सटीकता, तथा सही समय अवधि में विश्वसनीय वित्तीय जानकारीयों तैयार करना शामिल है।

xv) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

वित्तीय कथनों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता के मामले में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से ध्यान रखा गया है। प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण मौजूद है एवं आंतरिक प्रणाली को अद्यतन करने की जब भी और जहाँ भी आवश्यकता होती है उसके लिये पर्याप्त उपाय किये जाते हैं। प्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि जैसे और जब आवश्यक हो सभी समव्यवहार उचित रूप से अधिकृत, अभिलेखित एवं प्रतिवेदित किये गये हो।

xvi) लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

कम्पनी में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई, जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 12 के तहत कम्पनी के लेखा परीक्षकों (सांविधिक लेखा परीक्षक या सचिवीय लेखा परीक्षक) द्वारा प्रतिपादित करना आवश्यक रही हो।

4. समनुषंगी, सहयुक्त कम्पनियां एवं संयुक्त उद्यम

कम्पनी की कोई भी समनुषंगी कम्पनी, संयुक्त उद्यम अथवा सहयुक्त कम्पनी नहीं है। हालांकि कम्पनी स्वयं मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लिमिटेड की समनुषंगी (सब्सिडियरी) कम्पनी है।

5. जमा राशियाँ

कम्पनी ने, कम्पनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम 2014 के साथ सपटित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 के मायनों के अन्तर्गत जनता से कोई जमा राशियाँ स्वीकार नहीं की है।



6. धारा 186 के अन्तर्गत ऋण, गारंटी या निवेशों का विवरण

आपकी कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के संदर्भ में ऋण/गारंटी नहीं दिया है और निवेश, यदि कोई हो, नहीं किया है।

7. संबंधित पक्षों से संव्यवहार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) के अधीन आता हो। संबंधित पक्षों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ अन्य संव्यवहार, तुलन पत्र के साथ संलग्न लेखों पर नोट्स में दिये गये हैं, इसे देखने हेतु आपसे अनुरोध है।

8. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कथन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) के अनुसार कम्पनी को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों संबंधी कथन देने की आवश्यकता नहीं है। यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के मानकों के अंतर्गत नहीं आती है अतएव, ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया।

9. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन तथा विदेशी विनिमय अर्जन व निर्गम

1) ऊर्जा संरक्षण :-

- अ) ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाये गये कदम अथवा उनका प्रभाव
ऊर्जा की खपत कम करने एवं ऊर्जा की अधिकतम संभावित बचत के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
- ब) कम्पनी द्वारा ऊर्जा के अन्य स्रोतों के उपयोग करने हेतु उठाये गये कदम
जब भी और जितना संभव हो सका, कम्पनी ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया है।
- स) ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपकरणों पर पूंजीगत निवेश – निरंक

2) तकनीकी समावेशन

- अ) तकनीकी समावेशन के लिए किये गये प्रयास –
कम्पनी द्वारा कोई विशिष्ट गतिविधि नहीं की गई।
- ब) उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयत वैकल्पिकता जैसे उत्पन्न लाभ –
कम्पनी द्वारा कोई विशिष्ट गतिविधि नहीं की गई।
- स) वित्तीय वर्ष के आरंभ से लेकर विगत 3 वर्षों की अवधि के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के बारे में
– लागू नहीं
- द) अनुसंधान एवं विकास पर हुए व्यय – निरंक

3) विदेशी विनिमय अर्जन एवं खर्च

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का विदेशी विनिमय अर्जन अथवा निर्गम नहीं हुआ है जो कम्पनी (लेखांकन) नियम, 2014 की आवश्यकताओं के अनुसार हो।



10. जोखिम प्रबंधन नीति एवं विकास को इंगित करने वाला कथन

कम्पनी के निदेशक मंडल का कथन है कि व्यवसाय संबंधी निर्णय लेते समय व्यवसाय से जुड़े जोखिमों का मंडल द्वारा ध्यान रखा जाता है तथा कम्पनी को किसी विशिष्ट जोखिम प्रबंधन नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

11. सतर्कता तंत्र की स्थापना

आपकी कम्पनी को, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) सपठित कम्पनी (बोर्ड की बैठके एवं उसकी शक्तियां) नियम के नियम 7 में दर्शायी गई आवश्यकताओं के नहीं होने पर सतर्कता तंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रही, अतएव बोर्ड द्वारा ऐसे किसी तंत्र की स्थापना नहीं की गई।

12. न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं वस्तुगत आदेश

नियामक/न्यायालय/न्यायाधिकरणों द्वारा महत्वपूर्ण वस्तुगत आदेश पारित नहीं किये गये हैं जिससे कम्पनी की निरन्तरता की स्थिति एवं भविष्य में उसका संचालन प्रभावित हो।

13. लेखा परीक्षक

मेसर्स गुप्ता एंड अशोक, इन्दौर के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए उनकी नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा जारी आदेशों के अनुक्रम में, कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जानी है, जो आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने आदेश क्र. सी.ए.वी./सी.ओ.वाय./मध्यप्रदेश, आईएससीडीएल (1)/961 दिनांक 05.09.2018 द्वारा इन्दौर के सनदी लेखाकार मेसर्स गुप्ता एंड अशोक को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षक के रूप में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत नियुक्त किया है। मेसर्स गुप्ता एंड अशोक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने भी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के तहत मौजूदा अंकेक्षक मेसर्स गुप्ता एंड अशोक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, इन्दौर से एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है।

मेसर्स पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव, इन्दौर को दि. 01.09.2016 से 3 वर्ष के लिए कम्पनी का सचिवीय अंकेक्षक नियुक्त किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान मेसर्स एम. मेहता एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, इन्दौर को दि. 16.08.2018 से 2 वर्ष के लिए कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है।

14. सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204, सपठित कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के प्रावधान कम्पनी पर लागू होते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये कम्पनी के सचिवीय अंकेक्षक मेसर्स पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, इन्दौर से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सचिवीय अंकेक्षक द्वारा निम्न अर्हताएँ प्रदर्शित की गई हैं जो निम्नानुसार उल्लेखित हैं :-

प्रतिवेदन का बिन्दु क्र. 2 :-

अ. कम्पनी में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अधिनियम की धारा 149 के अनुसार आवश्यक दो स्वतंत्र निदेशकों के बजाय केवल एक स्वतंत्र निदेशक था, लेकिन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 12.11.2018 को एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जा चुकी थी।



स्पष्टीकरण :— प्रो. ऋषिकेश टी. कृष्णन को पहले से ही दि. 12.05.2017 को आईएससीडीएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा चुका था। कम्पनी ने नियमित रूप से एमपीयूडीसीएल से अनुरोध किया कि वह एक नाम और स्वतंत्र निदेशक के लिए नामांकित करें और इस संबंध में 23.10.2018 को एक प्रस्ताव एमपीयूडीसीएल को श्रीमती दीप्ती व्यास को आईएससीडीएल के स्वतंत्र निदेशक सह महिला निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए भेजा गया और दि. 12.11.2018 से एमपीयूडीसीएल के दि. 30.10.2017 के मंजूरी पत्र द्वारा उनकी नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में की गई।

- ब. कम्पनी ने स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत वाली नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है। यह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149, 177 और 178 का गैर-अनुपालन है। लेखा परीक्षा समिति में भी अधिनियम की आवश्यकताओं के तहत स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत नहीं है।

स्पष्टीकरण :— नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन बोर्ड द्वारा 20.12.2018 को आयोजित उनकी बैठक में किया गया है और उसी बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत वाली लेखा परीक्षा समिति का पुर्नगठन किया गया।

- स. कम्पनी द्वारा कम्पनी अनुच्छेदों के खण्ड 12.15 में उल्लेखित विभिन्न अन्य समितियों का गठन नहीं किया गया।

स्पष्टीकरण :— लेखा परीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति (अंश हस्तांतरण एवं आवंटन समिति के स्थान पर), नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है जिसमें तीन सदस्य शामिल हैं। शेष समितियों का गठन कम्पनी पर ऐसी समितियों की प्रयोज्यता और कम्पनी के संचालन के लिए उनकी आवश्यकता की समीक्षा के अधीन किया जाएगा।

15. अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

अंकेक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में उन टीप को संदर्भित किया है जो अंतिम लेखांकन का भाग हैं एवं वस्तुगत सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए यह टीप स्वतः ही व्याख्या करती हैं और इस पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अंतर्गत आगे कोई भी कथन करने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, अंकेक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियों का हवाला दिया है इसके अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित कोई भी ऐसा बकाया निम्न के सिवाय नहीं था, जो उस तिथि के छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय रहा हो, जब तक कि वे देय हो जाते।

क्र. सं.	देयक की प्रकृति	वित्तीय वर्ष	अदत्त राशि, जो देय होने की दिनांक से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए है, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को बकाया है
1	देय श्रम उपकर	2017-2018	रु. 19,92,323
2	वाणिज्यिक कर	2017-2018	रु. 1,32,386
3	व्यावसायिक कर	2017-2018	रु. 2,500

स्पष्टीकरण :— उक्त बकाया कर की राशि जो तुलन पत्र की तारीख तक देय थी, वह जमा की जा चुकी है।

31.03.2017 को समाप्त प्रथम वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण, अंकेक्षण प्रतिवेदन, संचालक मंडल प्रतिवेदन, सभी अनुलग्नकों के साथ 23.12.2017 को आयोजित प्रथम वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा अंगीकृत की जा चुकी है और इन दस्तावेजों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनकी टिप्पणियों एवं समीक्षा हेतु प्रेषित किया गया। केग की टिप्पणियों का अभी इंतजार है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से भविष्य में प्राप्त किसी भी टिप्पणी को उनके विचारार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

31.03.2018 को समाप्त द्वितीय वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण, अंकेक्षक प्रतिवेदन, संचालक मंडल प्रतिवेदन,



सभी अनुलग्नकों के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनकी समीक्षा एवं टिप्पणियों हेतु प्रेषित किये जाएंगे और इन्हें आगामी द्वितीय वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के समक्ष अंगीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से भविष्य में प्राप्त किसी भी टिप्पणी को उनके विचार और आवश्यक कार्यवाही के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

16. लागत संबंधी रिकॉर्ड एवं/अथवा लागत का अंकेक्षण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधान, सपठित कम्पनी (लागत रिकॉर्ड तथा अंकेक्षण) नियम 2014 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। अतः ऐसे किसी रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता नहीं है।

17. सचिवीय मानकों का अनुपालन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

18. कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी में कॉर्पोरेट दिवालियापन की कोई स्थिति नहीं थी, और कम्पनी के मूल्यवान संसाधनों जैसे पूंजी, श्रमशक्ति, मशीनरी और प्रबंधन को उचित तरीके से वित्तीय व्यवहार्य व्यवसाय के लिए लगाया गया है। अतः इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है।

19. किसी कॉर्पोरेट कार्यवाही को लागू करने में विफलता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी कॉर्पोरेट कार्यवाही को लागू करने में कोई विफलता नहीं हुई है और 10/- रु. वाले 9,64,40,000 समता अंश के जारी करने और आवंटन के संबंध में, कॉर्पोरेट कार्यवाही को सफलतापूर्वक किया गया।

20. वार्षिक विवरणी का सार

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अन्तर्गत चाही गई वार्षिक विवरणी के सार वाले भाग की जानकारी प्रारूप संख्या एम.जी.टी-9 में, अनुलग्नक-1 के रूप में इस प्रतिवेदन में शामिल है।

21. विशाका समिति

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत कम्पनी की आंतरिक शिकायत समिति का गठन बोर्ड द्वारा 31.03.2018 को आयोजित उनकी बैठक में किया गया। समिति का गठन निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	अध्यक्ष/ सदस्य
1.	श्रीमती रचना गौड़	मुख्य वित्तीय अधिकारी, आईएसीडीएल	पीठासीन अधिकारी
2.	श्री सुनील दुबे	कार्यपालन यंत्री (इलेक्ट्रिकल), आईएसीडीएल	सदस्य
3.	श्रीमती रश्मि चौधरी	संचार (आईईसी/बीसीसी) एक्सपर्ट, आईएसीडीएल	सदस्य
4.	श्रीमती रीता लाहिरी	गैर-सरकारी संस्था की सदस्य	सदस्य

आंतरिक शिकायत समिति की दो बैठकें 01.06.2018 एवं 01.12.2018 को विधिवत रूप से आयोजित की गई।



22. कर्मचारियों के मतदान का अधिकार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के किसी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम की धारा 67(3)(सी) के क्रम में, कम्पनी ने स्वयं के अंश क्रय करने हेतु ऋण प्रदान नहीं किया। अतएव कम्पनी द्वारा कम्पनी (अंशपूँजी एवं ऋणपत्र) नियम 2014 के नियम 16(4) संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

23. पंजीकृत कार्यालय का शहरी सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानांतरण

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "पालिका प्लाजा, शॉप नं. 107-109, एम.टी.एच. कंपाउंड, स्मार्ट सिटी कार्यालय इन्दौर" से "स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर 452003 म.प्र." पर दिनांक 30.09.2017 से स्थानांतरित किया गया।

24. आभार

आपके संचालकगण, कम्पनी के सदस्यों का कम्पनी प्रबंधन में उनकी निष्ठा एवं विश्वास के लिए आभारी हैं।

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 20/12/2018

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
आशीष सिंह
कार्यपालन निदेशक
डीआईएन: 07636828

हस्ता/-
निशांत वरवडे
अध्यक्ष
डीआईएन: 05340409



अनुलग्नक - I

प्रारूप सं. एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के संदर्भ में

I. पंजीयन एवं अन्य विवरण :

1.	सीआईएन	यू75100एमपी2016एसजीसी035528
2.	पंजीयन दिनांक	11/03/2016
3.	कम्पनी का नाम	इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड
4.	कम्पनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	अंशों द्वारा सीमित कम्पनी / राज्य सरकार कम्पनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर म.प्र., 452003, भारत ईमेल: smartcityindore16@gmail.com दूरभाष: 0731-2535572
6.	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
7.	पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण, यदि हो	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल आवर्त का 10% या उससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ उल्लेखित की जावे:-

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल आवर्त का %
-	-	-	-

III. नियंत्री, समनुषंगी एवं सहयुक्त कंपनियों की विशिष्टियाँ- कंपनी की कोई नियंत्री/समनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयुक्त नहीं है।

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्री, समनुषंगी एवं सहयुक्त	धारित अंशों का %	लागू धारा
1.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक



IV. अंश धारण प्रतिमान (कुल समता की प्रतिशतता के रूप में साम्य अंशपूँजी ब्यौरा) –

i) श्रेणीवार अंश धारण

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित अंशों की संख्या (यथा 01 अप्रैल 2017 को)				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या (यथा 31 मार्च 2018 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	
अ. संप्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/अ.हि.प.	-	50	50	0.00	-	50	50	0.00	निरंक
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार (रे)	-	5,17,79,990	5,17,79,990	50.00	-	9,99,99,990	9,99,99,990	50.00	निरंक
घ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक/वि.सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य (स्था. निकाय)	-	5,17,79,960	5,17,79,960	50.00	-	9,99,99,960	9,99,99,960	50.00	निरंक
उप-योग (अ)(1)	निरंक	10,35,60,000	10,35,60,000	100.00	-	20,00,00,000	20,00,00,000	100.00	निरंक
(2) विदेशी									
क) अ.भा./व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/वि.सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (अ)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संप्रवर्तकों की कुल अंश धारिता अ=(अ)(1) + (अ)(2)	निरंक	10,35,60,000	10,35,60,000	100.00	-	20,00,00,000	20,00,00,000	100.00	निरंक
ब. सार्वजनिक अंश									
(1) संस्थाएं									
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/वि.सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (रे)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूंजी कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) वि.सं.नि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेश उद्यम पूंजी कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-



अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित अंशों की संख्या (यथा 01 अप्रैल 2017 को)				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या (यथा 31 मार्च 2018 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ब)(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) गैर संस्थागत									
अ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) रु. 1 लाख तक की सांकेतिक अंशपूजी धारक व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रु. 1 लाख से अधिक की सांकेतिक अंशपूजी धारक व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ब)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक अंशधारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ब)=(ब)(1)+(ब)(2)									
स. जीडीआर एवं एडीआर अभिरक्षक द्वारा धारित अंश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (अ+ब+स)	निरंक	10,35,60,000	10,35,60,000	100.00	-	20,00,00,000	20,00,00,000	100.00	निरंक

*टीप : 50 अंश जो व्यक्तिगत तौर पर धारित किये गये हैं, वह राज्य शासन एवं स्थानीय निकाय के नामिती की क्षमता में धारित हैं।



ii) संप्रवर्तकों की अंशधारिता

क्र. सं.	अंशधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता			वर्ष के अन्त में अंशधारिता			वर्ष के दौरान अंशधारिता में परिवर्तन का %
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंश का %	कुल अंशों में प्रतिभूत/भारित अंशों का %	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	कुल अंशों में प्रतिभूत/भारित अंशों का %	
1	*श्री पारिकीपांडला नरहरि	10	0.00	-	-	-	-	-
2	*श्री निशांत वरवडे	-	-	-	10	0.00	-	-
3	इन्दौर नगर पालिक निगम	5,17,79,960	50.00	-	9,99,99,960	50.00	-	-
4	*श्री रोहन सक्सेना	10	0.00	-	10	0.00	-	-
5	*श्री राकेश सिंह	10	0.00	-	-	-	-	-
6	*श्री गौतम सिंह	-	-	-	10	0.00	-	-
7	*श्री राजेश नागल	10	0.00	-	10	0.00	-	-
8	मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं.लिमिटेड	5,17,79,990	50.00	-	9,99,99,990	50.00	-	-
9	**डॉ. मंजू शर्मा	10	0.00	-	10	0.00	-	-

*अंश इन्दौर नगर पालिक निगम की नामिती की क्षमता में धारित किये गये हैं।

**अंश मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लिमिटेड के नामिती की क्षमता में धारित किये गये हैं।

iii) संप्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में कृपया स्पष्ट करें)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचित अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %
1.	*श्री पारिकीपांडला नरहरि				
	वर्ष के आरम्भ में	10	0.00	10	0.00
	16.11.2017 को अंतरित	(10)	(0.00)	0	0.00
	वर्ष के अन्त में	0	0.00	0	0.00
2.	*श्री निशांत वरवडे				
	वर्ष के आरम्भ में	0	0.00	0	0.00
	16.11.2017 को अंतरण द्वारा अर्जित	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
3.	इन्दौर नगर पालिक निगम				
	वर्ष के आरम्भ में	5,17,79,960	50.00	5,17,79,960	50.00
	दिनांक 31.03.2018 को आवंटन	4,82,20,000	0.00	9,99,99,960	0.00
	वर्ष के अन्त में	9,99,99,960	50.00	9,99,99,960	50.00



क्र. सं.	विशिष्टियाँ	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचित अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %
4.	*श्री रोहन सक्सेना				
	वर्ष के आरम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
5.	*श्री राकेश सिंह				
	वर्ष के आरम्भ में	10	0.00	10	0.00
	16.11.2017 को अंतरित	(10)	(0.00)	0	0
	वर्ष के अन्त में	0	0.00	0	0.00
6.	*श्री गौतम सिंह				
	वर्ष के आरम्भ में	0	0.00	0	0.00
	16.11.2017 को अंतरण द्वारा अर्जित	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
7.	*श्री राजेश नागल				
	वर्ष के आरम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
8.	मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लिमिटेड				
	वर्ष के आरम्भ में	5,17,79,990	50.00	5,17,79,990	50.00
	दिनांक 31.03.2018 को आवंटन	4,82,20,000	0.00	9,99,99,990	0.00
	वर्ष के अन्त में	9,99,99,990	50.00	9,99,99,990	50.00
9.	**डॉ. मंजू शर्मा				
	वर्ष के आरम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00

*अंश इन्दौर नगर पालिक निगम के नामिती की क्षमता में धारित किये गये हैं।

**अंश मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लिमिटेड के नामिती की क्षमता में धारित किये गये हैं।



iv) शीर्ष दस अंशधारकों का अंशधारिता प्रतिमान : लागू नहीं
(निदेशकों, संप्रवर्तकों एवं जीडीआर और एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) :-

प्रत्येक शीर्ष दस अंशधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %
वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में	-	-	-	-

v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता :

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %
1.	श्री पारीकीपांडला नरहरि ⁽¹⁾				
	वर्ष के आरम्भ में	10	0.00	10	0.00
	16.11.2017 को अंतरित	(10)	(0.00)	0	0.00
	वर्ष के अन्त में	0	0.00	0	0.00
2.	श्री निशांत वरवडे ⁽²⁾				
	वर्ष के आरम्भ में	0	0.00	0	0.00
	16.11.2017 को अंतरण द्वारा अर्जित	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
3.	श्री मनीष सिंह				
	वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
4.	श्री कुमार विनय प्रताप ⁽³⁾				
	वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
5.	श्री अश्विनी कुमार ⁽⁴⁾				
	वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-



6.	श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत				
	वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
7.	श्री मोहित बुंदास ⁽⁵⁾				
	वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
8.	डॉ. मंजू शर्मा ⁽⁶⁾				
	वर्ष के आरम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
9.	श्री राकेश सिंह ⁽⁷⁾				
	वर्ष के आरम्भ में	10	0.00	10	0.00
	16.11.2017 को अंतरित	(10)	(0.00)	0	0.00
	वर्ष के अन्त में	0	0.00	0	0.00
10.	श्री गौतम सिंह ⁽⁸⁾				
	वर्ष के आरम्भ में	0	0.00	0	0.00
	16.11.2017 को अंतरण द्वारा अर्जित	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
11.	श्री राजेश नागल ⁽⁹⁾				
	वर्ष के आरम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
12.	श्री गजरा मेहता				
	वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
13.	श्री कृष्ण कुमार सोनगारिया				
	वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
14.	श्री शंकर यादव				
	वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
15.	प्रो. ऋषिकेश थिरुवेंकटा कृष्णन ⁽¹⁰⁾				
	वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-



	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
16.	श्री रोहन सक्सेना (11)				
	वर्ष के आरम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
17.	श्री अनुराग कुमार सक्सेना (12)				
	वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
18.	श्रीमती रचना गौड़ (13)				
	वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संव्यवहार	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-

- टीप :- (1) 18.09.2017 को निदेशक पद से समाप्ति एवं अंश इन्दौर नगर पालिक निगम के नामिती की क्षमता में धारित किये गये थे।
(2) नामिती निदेशक के रूप में 18.09.2017 को बोर्ड में शामिल एवं अंश इन्दौर नगर पालिक निगम के नामिती की क्षमता में धारित किये गये हैं।
(3) 14.09.2017 को निदेशक पद से समाप्ति।
(4) नामिती निदेशक के रूप में 14.09.2017 को बोर्ड में शामिल।
(5) नामिती निदेशक के रूप में 23.06.2017 को बोर्ड में शामिल एवं 18.12.2017 को निदेशक पद से समाप्ति।
(6) नामिती निदेशक के रूप में 18.12.2017 को बोर्ड में शामिल एवं अंश एमपीयूडीसीएल के नामिती की क्षमता में धारित किये गये हैं।
(7) 18.09.2017 को निदेशक पद से समाप्ति एवं अंश इन्दौर नगर पालिक निगम के नामिती की क्षमता में धारित किये गये थे।
(8) नामिती निदेशक के रूप में 20.12.2017 को बोर्ड में शामिल एवं अंश इन्दौर नगर पालिक निगम के नामिती की क्षमता में धारित किये गये हैं।
(9) अंश इन्दौर नगर पालिक निगम के नामिती की क्षमता में धारित किये गये हैं।
(10) स्वतंत्र निदेशक के रूप में 12.05.2017 को बोर्ड में शामिल।
(11) मुख्य कार्यपालन अधिकारी
(12) कम्पनी सचिव
(13) मुख्य वित्तीय अधिकारी

vi) ऋणग्रस्तता – कम्पनी की बकाया/प्रोद्भूत किंतु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज समाहित ऋणग्रस्तता –

विशिष्टियाँ	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	असुरक्षित ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धन	-	-	-	-
ii) देय किंतु असंदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत किंतु असंदत्त ब्याज	-	-	-	-
योग (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) योजन	-	-	-	-
ii) कटौती	-	-	-	-
सकल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धन	-	-	-	-
ii) देय किंतु असंदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत किंतु असंदेय ब्याज	-	-	-	-
योग (i+ii+iii)	-	-	-	-



V. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक –

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक : निरंक

क्र. सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियाँ	निदेशक		कुल राशि
	सकल वेतन	-	-	-
1.	(अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	-	-	-
	(ब) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-
	(स) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3.	श्रमसाध्य साम्या (स्वेट इक्विटी)	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य विनिर्दिष्ट करें.....	-	-	-
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-	-
6.	योग (क)	-	-	-
7.	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	-	-	-

(ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक – निरंक

क्र. सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियाँ	निदेशकों के नाम		कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	निरंक	निरंक	निरंक
	कमीशन	निरंक	निरंक	निरंक
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें.....	निरंक	निरंक	निरंक
	योग (1)	निरंक	निरंक	निरंक
2.	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	निरंक	निरंक	निरंक
	कमीशन	निरंक	निरंक	निरंक
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें.....	निरंक	निरंक	निरंक
3.	योग (2)	निरंक	निरंक	निरंक
4.	योग (ख)=(1+2)	निरंक	निरंक	निरंक
5.	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	निरंक	निरंक	निरंक



(ग) प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त अन्य प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियाँ	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	योग
		रोहन सक्सेना	अनुराग कुमार सक्सेना	रचना गौड़	
1.	सकल वेतन	निरंक	703950	424667	1128617
	(अ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	निरंक	703950	424667	1128617
	(ब) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	(स) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	स्टॉक विकल्प	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	श्रम साध्य साम्या (स्वेट इक्विटी)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	कमीशन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	लाभ के % के रूप में	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	अन्य, विनिर्दिष्ट करें	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	निरंक	703950	424667	1128617

VII. शास्ति/दंड/अपराध उपशमन : निरंक

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शास्ति/दंड/अपराध उपशमन की विशिष्टियाँ	प्राधिकारी (प्रादेशिक निदेशक या एनसीएलटी न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्योरा देवें)
(क) कंपनी					
शास्ति	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
उपशमन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ख) निदेशक					
शास्ति	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
उपशमन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(स) अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
उपशमन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 20/12/2018

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
आशीष सिंह
कार्यपालन निदेशक
डीआईएन: 07636828

हस्ता/-
निशांत वरवडे
अध्यक्ष
डीआईएन: 05340409



P.S. Tripathi & Associates
Company Secretaries

Swati Tripathi
B.Com., F.C.S.

Pratik Tripathi
B.Sc., A.C.A., F.C.S.

306, Manas Bhavan Extn.
11, RNT Marg, Indore, (M.P.) India
Tel: +91 731 4043080, 4043089
Email: tripathi.pratik@gmail.com
Web: www.pstripathi.com

प्रपत्र संख्या एमआर-3 सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) और प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड
इन्दौर

हमने, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (जिसे इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉरपोरेट व्यवहारों को अपनाने के संबंध में सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई है जिससे मुझे/हमें कॉरपोरेट संचालनों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपने विचार रखने का तर्कसंगत आधार प्राप्त हुआ।

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों एवं सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना भी, हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद् द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार से कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में, यहां की गई रिपोर्ट के तरीके और उसके अधीन उपयुक्त बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र भी हैं :

1. हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा रखे गए बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जाँच की है :
 - i) कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
 - ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (एससीआरए) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम
 - iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप विधियां (अंकेक्षण अवधि के दौरान यह कम्पनी पर लागू नहीं);
 - iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सीमापार प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक (कोई संयवहार नहीं पाया गया);
 - v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अधीन विहित निम्नलिखित



P.S. Tripathi & Associates

Company Secretaries

Swati Tripathi

B.Com., F.C.S.

Pratik Tripathi

B.Sc., A.C.A., F.C.S.

306, Manas Bhavan Extn.
11, RNT Marg, Indore, (M.P.) India
Tel: +91 731 4043080, 4043089
Email: tripathi.pratik@gmail.com
Web: www.pstripathi.com

विनियम और मार्गनिर्देश (अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं) ;

- क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
- ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 1992;
- ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009;
- घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) मार्ग-निर्देश, 1999 (अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं);
- ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियां जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008; (अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं);
- च) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों से व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993;
- छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009; (अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं); एवं
- ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998; (अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं);

vi) प्रबंधन द्वारा सूचित, कम्पनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून : निरंक

2. हमने निम्न लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है :

i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लेखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्ग-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का निम्न के अलावा भौतिक रूप से अनुपालन किया है—

- अ) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी में अधिनियम की धारा 149 अनुसार आवश्यक दो स्वतंत्र निदेशकों के बजाय केवल एक स्वतंत्र निदेशक था, लेकिन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 12.11.2018 को एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जा चुकी थी।
- ब) कम्पनी द्वारा बहुसंख्य स्वतंत्र निदेशकों के साथ नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया। यह कम्पनी अधिनियम की धारा 149, 177 एवं 178 का गैर-अनुपालन है। लेखा परीक्षा समिति में भी अधिनियम की आवश्यकताओं के तहत बहुमत में स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
- स) कम्पनी द्वारा अनुच्छेदों के खण्ड 12.15 में उल्लेखित विभिन्न अन्य समितियों का गठन नहीं किया गया।



P.S. Tripathi & Associates
Company Secretaries

Swati Tripathi
B.Com., F.C.S.

Pratik Tripathi
B.Sc., A.C.A., F.C.S.

306, Manas Bhavan Extn.
11, RNT Marg, Indore, (M.P.) India
Tel: +91 731 4043080, 4043089
Email: tripathi.pratik@gmail.com
Web: www.pstripathi.com

3. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी का निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशकों के सिवाय कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विहित रूप से गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों की समय-सूची के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले अथवा जहां जरूरी था, शार्ट नोटिस पर भेजी गई, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर और सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए तंत्र विद्यमान है।

बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय पर कार्यवाही की जाती है, जबकि अलग मत रखने वाले सदस्यों के मतों को लिखा और कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

4. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मार्ग-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में उपयुक्त तंत्र और प्रक्रियाएं हैं।

5. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा राइट इश्यू आधार पर समता अंश जारी एवं आवंटित किये गये।

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 20.12.2018

पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स हेतु
कम्पनी सचिव
हस्ता/-
प्रतीक त्रिपाठी
भागीदार
सीपी क्र. 5358

टीप:- यह प्रतिवेदन, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की दिनांक पर जारी परिशिष्ट के साथ पढ़ा जावे, जो कि इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है और इस प्रतिवेदन का अखंड भाग है।



P.S. Tripathi & Associates

Company Secretaries

Swati Tripathi

B.Com., F.C.S.

Pratik Tripathi

B.Sc., A.C.A., F.C.S.

306, Manas Bhavan Extn.
11, RNT Marg, Indore, (M.P.) India
Tel: +91 731 4043080, 4043089
Email: tripathi.pratik@gmail.com
Web: www.pstripathi.com

सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुलग्नक

प्रति,
सदस्यगण,
इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड
इन्दौर

हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दिया गया प्रतिवेदन इस पत्र के साथ पढ़ा जावे।

1. सचिवीय रिकार्डों के रखरखाव की जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी, हमारे अंकेक्षण के आधार पर सचिवीय रिकार्ड्स पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकार्ड की विषयवस्तु की यथार्थता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अंकेक्षण प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सचिवीय रिकार्ड में सही तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। हमारा विश्वास है कि अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं प्रथाएँ हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करती हैं। हमारा प्रतिवेदन उक्त सचिवीय रिकार्ड्स पर आधारित है।
3. हम कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्ड्स एवं लेखा पुस्तिकाओं की सत्यता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं करते हैं।
4. कॉर्पोरेट एवं विशेष रूप से लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधान का पालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी। हमने उन कानूनों पर ध्यान नहीं दिया है जो सामान्य प्रकृति के हैं और कम्पनी पर लागू होते हैं।
5. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कम्पनी की भविष्य में व्यवहार्यता को सुनिश्चित करता है, ना ही प्रभावकारिता अथवा प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी मामलों का संचालन किया है।
6. जहाँ आवश्यक हुआ, हमने प्रबंधन से कानूनों, नियमों, विनियमन के अनुपालन एवं घटनाओं संबंधी घोषणा एवं अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 20.12.2018

पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स हेतु

कम्पनी सचिव

हस्ता/-

प्रतीक त्रिपाठी

भागीदार

सीपी क्र. 5358





No. OAD-Com/2017-18/Accounts/ISCDL/D-213

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय महालेखाकार

(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश, ग्वालियर – 474 002

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (G & SSA)

MADHYA PRADESH, GWALIOR - 474 002

दिनांक / DATE : 09.08.2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

स्मार्ट सिटी ऑफिस, नेहरू पार्क कैम्पस

इन्दौर, मध्यप्रदेश – 452003

विषय: इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ सहित प्रमाण पत्र भेज रही हूँ। जिसे आप संचालकों के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में वार्षिक लेखों में प्रकाशित करें।

वार्षिक लेखे विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद उसकी 5 प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा पत्र की पावती भिजवाएं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

हस्ता/-

(मोना जैन)

उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र III)

प्रतिलिपि :-

प्रधान निदेशक (मध्य क्षेत्र), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली की ओर, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखाओं के संबंध में भारत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ जैसी कि संबंधित कम्पनी को भेजी गई है, अग्रेषित है।

— हस्ता—

उपमहालेखाकार

सामाजिक क्षेत्र III

ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर – 474 002, दूरभाष : 0751-2323504, 2323505, 2436827, फैक्स : 0751-2631290

AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002 Telephone : 0751-2323504, 2323505, 2436827,

Fax : 0751-2631290, E-Mail: agaumadhyapradesh1@cag.gov.in



इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड हेतु 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में दिये गये वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय प्रतिवेदन के अनुसरण में तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए जिम्मेदार है जो कि अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षणों पर आधारित है। यह कथन उनके द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 की लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की ओर से, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षण अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के अंतर्गत किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से बिना सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों के बिना किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी के व्यक्तिगणों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रेकार्डों की एक चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे द्वारा किये गये पूरक लेखांकन परीक्षण के आधार पर मैं यह इंगित करना चाहूँगा कि वे सब महत्वपूर्ण मामले जो कि अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अधीन जो मेरे समक्ष ध्यानाकर्षित किये गये हैं एवं जो मेरे विचार से संबंधित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक है।

अ) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

तुलन-पत्र

गैर-चालू दायित्व

स्थगित कर देयताएं टीप क्र. 07 – रु. 99.99 लाख

1. कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया है जिसके अनुसार आयकर अधिनियम के आधार पर मूल्यहास के संबंध में एवं धारा 35(डी) के तहत व्यय का दावा नहीं किया गया है। इसलिए, समय अंतर की राशि रु. 1.81 करोड़ एवं स्थगित कर परिसम्पत्ति राशि रु. 80.75 के लिए कोई भविष्य की कर देयता नहीं है एवं खातों में ऐसा कोई समायोजन नहीं किया गया था।
इसके परिणामस्वरूप रु. 1.81 करोड़ के स्थगित कर दायित्व में अधिकथन एवं रु. 80.75 लाख के स्थगित कर सम्पत्ति में न्यूनकथन हुआ है।

गैर-चालू सम्पत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ (नोट क्र. 6) रु. 157.03 करोड़

2. उपरोक्त में एक वर्ष से कम की अवधि की परिपक्वता वाली राशि रु. 155.94 करोड़ रुपये स्थायी जमा में शामिल है, अतः इसे नगद एवं नगद समकक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
वर्गीकरण के त्रुटि के परिणामस्वरूप गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ) की अधिकथन और चालू सम्पत्ति (नकद और नकद समकक्ष) की न्यूनकथन रु. 155.94 करोड़ से है।



चालू सम्पत्ति

नकद और नकद समकक्ष (नोट क्र. 08) रु. 145.12 करोड़

- कम्पनी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सभी भुगतान करती है। हालांकि, बैंक समाधान विवरण के अनुसार रु. 1.02 करोड़ के व्हाउचर बकाया है, जिसे बैंक ने 03 अप्रैल 2018 को निपटान किये।
इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों और नकद एवं नकद समकक्ष में रु. 1.02 करोड़ रुपयों का न्यूनकथन हुआ है।

ब. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

लाभ एवं हानि

अन्य व्यापक आय (अनुसूची 22) रु. 1.16 करोड़

- इस राशि में संवैधानिक आय के रूप में आरक्षित रु. 44.64 लाख रु. सुरक्षा जमा पर ब्याज की राशि खाते में शामिल है। सुरक्षा जमा पर ब्याज की गणना 10 प्रतिशत के अनुसार की गई थी, जो कि संघटन अग्रिम पर ठेकेदार से लिये गये ब्याज के आधार पर की गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान सुरक्षा जमा, बैंक बचत खाता और संघटन अग्रिम पर अर्जित ब्याज की औसत उपज दर 6.5 प्रतिशत थी। इसलिए सुरक्षा जमा पर ब्याज की गणना रुढ़िवादी आधार पर 6.5 प्रतिशत की दर से की जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यापक एवं परियोजना व्यय के लिए अनुदान राशि रु. 15.63¹ लाख का अधिकथन हुआ है।

स. लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार, लेख परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों के साथ वित्तीय विवरण कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा के समक्ष रखे जाएंगे। हालांकि वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को अपनाने के लिए कोई ए.जी.एम. आयोजित नहीं की गई। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर लेखा परीक्षक ने वर्ष 2017-18 की अपनी रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं की है।

स्थान : ग्वालियर

दिनांक : 09.08.2019

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक
की ओर से एवं हेतु

हस्ता/-

(राजीव कुमार पांडे)

अकाउंटेंट जनरल

(जनरल एवं सोशल सेक्टर ऑडिट)

मध्यप्रदेश, ग्वालियर

¹ ₹ 4464493 - ₹ 2901920 = ₹ 1562573



परिशिष्ट – II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक द्वारा वर्ष 2017-18 के वित्तीय खातों पर टिप्पणियों पर बोर्ड का स्पष्टीकरण

क्र.	टिप्पणियाँ	स्पष्टीकरण
1.	<p>अ. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ</p> <p>तुलन-पत्र</p> <p>गैर-चालू दायित्व स्थगित कर दायित्व नोट क्र. 07 रु. 99.909 लाख</p> <p>1. कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया है जिसके अनुसार आयकर अधिनियम के आधार पर मूल्यहास के संबंध में एवं धारा 35(डी) के तहत व्यय का दावा नहीं किया गया है। इसलिए, समय अंतर की राशि रु. 1.81 करोड़ एवं स्थगित कर परिसम्पत्ति राशि रु. 80.75 के लिए कोई भविष्य की कर देयता नहीं है एवं खातों में ऐसा कोई समायोजन नहीं किया गया था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप रु. 1.81 करोड़ के स्थगित कर दायित्व में अधिकथन एवं रु. 80.75 लाख के स्थगित कर सम्पत्ति में न्यूनकथन हुआ है।</p>	<p>31.03.2019 को 99.99 लाख रुपये की कर देयता को स्थगित करने के संबंध में, हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कि इंड एस 12 के अनुसार स्थगित कर की संपत्ति या देयता को अस्थायी समय के अन्तर के रूप में मान्यता दी जाती है जो तुलन-पत्र के दिनांक को उत्पन्न हुई है एवं इसकी पुनर्गणना हाल की जानकारी और शर्तों के अनुसार हर वर्ष की जाती है।</p> <p>वर्तमान मामले में, तुलन पत्र के दिनांक को, आस्थगित कर की गणना वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए की गई थी और लेखापरीक्षा समिति द्वारा भी इसे अनुमोदित किया गया था।</p> <p>इसके पश्चात, वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद, विभिन्न नीतियों के साथ आयकर रिटर्न को संशोधित करने का निर्णय लिया गया जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी समय के अन्तर पर कोई अन्तर नहीं था।</p> <p>जैसा कि तुलन पत्र की तारीख को विद्यमान स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिया गया था, और इसलिए पिछली अवधि का आयकर रिटर्न भी उसी के अनुसार भरा गया था। लेकिन बाद में रिटर्न को संशोधित किया गया और इसी अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न भी भर दिया गया। आस्थगित कर का पुनर्मूल्यांकन 31.03.2019 को किया जायेगा और उसके अनुसार खाता पुस्तकों को प्रतिपादन किया जायेगा।</p>



क्र.	टिप्पणियाँ	स्पष्टीकरण
2.	<p>गैर चालू सम्पत्तियाँ अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ (नोट क्र. 6) रु. 157.03 करोड़</p> <p>2. उपरोक्त में एक वर्ष से कम की अवधि की परिपक्वता वाली राशि रु. 155.94 करोड़ रुपये स्थायी जमा में शामिल है, अतः इसे नगद एवं नगद समकक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।</p> <p>वर्गीकरण के त्रुटि के परिणामस्वरूप गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ) की अधिकथन और चालू सम्पत्ति (नकद और नकद समकक्ष) की न्यूनकथन रु. 155.94 करोड़ से है</p>	<p>यह कि हमने एफडीआर के रूप में निवेश को गैर चालू सम्पत्तियों के उपशीर्षक 'वित्तीय परिसंपत्ति' में एक वर्ष के भीतर 'परिपक्वता के प्रकटीकरण' के साथ वर्गीकृत किया है। गैर-चालू परिसंपत्ति के तहत इसे मान्यता देते समय हमने परिपक्वता के संबंध में उचित खुलासा किया है। इसका केवल वर्गीकरण पर प्रभाव पड़ता है और जैसा कि हमने परिपक्वता अवधि का खुलासा किया है, इससे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता को गलत बयानी नहीं होती।</p>
3.	<p>चालू सम्पत्ति नकद और नकद समकक्ष (नोट क्र. 08) रु. 145.12 करोड़</p> <p>3. कम्पनी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सभी भुगतान करती है। हालांकि, बैंक समाधान विवरण के अनुसार रु. 1.02 करोड़ के व्हाउचर बकाया है, जिसे बैंक ने 03 अप्रैल 2018 को निपटान किये।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों और नकद एवं नकद समकक्ष में रु. 1.02 करोड़ रुपयों का न्यूनकथन हुआ है।</p>	<p>यह कि 31.03.2018 को बैंक समाशोधन में जमा 1.02 करोड़ की राशि वह राशि थी जो स्वीकृत और अनुमोदित थी और पीएफएमएस 31.03.2018 से पहले तैयार एवं हस्ताक्षरित था, लेकिन बैंक द्वारा 31.03.2018 के बाद पास किया गया। यह कि पीएफएमएस की वैधता अवधि एसओपी के अनुसार 10 दिन है। हम यह भी बताना चाहते हैं कि इंड एस 10 के "रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं" के अनुसार घटनाएं हालांकि तुलन पत्र की तारीख से पहले नहीं हुईं लेकिन तुलन पत्र पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक को समायोजित करने की आवश्यकता है। इसलिए बैंक खाते को जमा किया गया था।</p>
4.	<p>ब. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ लाभ एवं हानि अन्य व्यापक आय (अनुसूची 22) रु. 1.16 करोड़</p> <p>4. इस राशि में संवैधानिक आय के रूप में आरक्षित रु. 44.64 लाख रु. सुरक्षा जमा पर ब्याज की राशि खाते में शामिल है। सुरक्षा जमा पर</p>	<p>यह कि परिसंपत्तियों की छूट के संबंध में 10% के बजाय 6.50% बैंक जो कि सावधि जमा की औसत उपज दर है, हम यह कहना चाहेंगे कि इंड एस 113 के उचित मूल्य मापतोल के अनुसार, उचित मूल्य एक बाजार आधारित माप है, न कि एक इकाई-विशेष माप, कुछ सम्पत्तियों और दायित्व के लिए अवलोकन योग्य बाजार लेनदेन या बाजार की जानकारी उपलब्ध हो सकती है। हालांकि, दोनों ही मामलों में उचित मूल्य माप का उद्देश्य समान है, उस कीमत का अनुमान</p>



क्र.	टिप्पणियाँ	स्पष्टीकरण
	<p>ब्याज की गणना 10 प्रतिशत के अनुसार की गई थी, जो कि संघटन अग्रिम पर ठेकेदार से लिये गये ब्याज के आधार पर की गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान सुरक्षा जमा, बैंक बचत खाता और संघटन अग्रिम पर अर्जित ब्याज की औसत उपज दर 6.5 प्रतिशत थी। इसलिए सुरक्षा जमा पर ब्याज की गणना रुढ़िवादी आधार पर 6.5 प्रतिशत की दर से की जानी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यापक एवं परियोजना व्यय के लिए अनुदान राशि रु. 15.63 लाख का अधिकथन हुआ है।</p>	<p>लागाना जिस पर सम्पत्ति को बेचने या देयता को हस्तांतरित करने के लिए एक व्यवस्थित लेन-देन वर्तमान बाजार की स्थितियों के तहत माप की तारीख में बाजार के सहभागियों की बीच होगा।</p> <p>उपरोक्त पैरा के अनुसार विशिष्ट दर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्तमान बाजार के अनुसार अधिक संभावित दर का उपयोग किया जाएगा। 10% की दर बाजार दर के साथ मेल खाने की अधिक संभावना है और इसलिए इसे छूट के कारक के रूप में लिया गया है।</p> <p>यह कि उपज दर से छूट देना जो कि बाजार दर की तुलना में यह बहुत कम है।</p>
5.	<p>स. लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ</p> <p>5. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार, लेख परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों के साथ वित्तीय विवरण कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा के समक्ष रखे जाएंगे। हालांकि वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को अपनाने के लिए कोई ए.जी.एम. आयोजित नहीं की गई। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर लेखा परीक्षक ने वर्ष 2017-18 की अपनी रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं की है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 23.12.2017 को हुआ था और वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षित किये गये वार्षिक खातों को अपनाने के लिए एजेंडा भी बैठक में भेजा गया था।</p>

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 26.09.2019

निदेशक मंडल की ओर से एवं हेतु

हस्ता/-
आशीष सिंह, आईएस
(कार्यकारी निदेशक)
डीआईएन : 07636828
इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड



गुप्ता एंड अशोक
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स



125-126, सनराईज टॉवर,
579, एम.जी. रोड, इन्दौर-452001
फोन : 0731-2539821, 4049821
agrawals_indore@yahoo.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

सदस्यगण,
इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर

इंड एस वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (''कम्पनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया जिसके अन्तर्गत मार्च 31, 2018 का तुलन-पत्र, समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) नगद प्रवाह विवरण एवं वर्ष के लिए इक्रिटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांश समाहित है।

इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

कम्पनी के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में बताये गये मामलों हेतु है, जिनका संबंध इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से है जो कि वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन के साथ अन्य व्यापक आय, नगद प्रवाह और इक्रिटी में परिवर्तन का विवरण की सही एवं साफ जानकारियाँ देते हैं और जो सामान्य तौर पर भारत में स्वीकार किये गये लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में हैं, और जिसमें अधिनियम की धारा 133 सहपठित निर्धारित प्रासंगिक नियमों में निर्देशित लेखा संबंधी मानक (इंड एस) सम्मिलित है।

इस जिम्मेदारी के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरणों में पर्याप्त लेखा रिकार्ड का व्यवस्थापन एवं रखरखाव सम्मिलित है जिससे कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अन्य अनियमितता व छलकपट से बचाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं लागूकरण, फैसलों का आंकलन जो कि विवेकपूर्ण एवं तथ्यपरक हो, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन, लागूकरण एवं रखरखाव करना जो कि लेखांकन रिकार्डों को पूर्ण एवं सटीक तौर पर प्रभावी रूप से संचालित करते हुए सुनिश्चित करते हो, इंड एस वित्तीय कथनों की उचित प्रस्तुति एवं तत्संगत प्रारूपीकरण जिससे कि वस्तुगत रूप से वे छल कपट से अथवा त्रुटि की वजह से गलत बयानी से रहित हो, जो सत्य एवं साफ दृष्टिकोण दर्शाते हो, सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने लिए जिम्मेदार है जिसमें कम्पनी चलायमान संस्थान, प्रकटीकरण अगर लागू हो, चलायमान संस्थान से संबंधित मामले और लेखा आधारित चलायमान संस्थान का उपयोग हो, जब तक प्रबंधन या तो कम्पनी समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारी जिम्मेदारी इन इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षणों के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को अपनी विचार में रखा है और साथ ही लेखा एवं लेखा परीक्षण मानकों एवं उन मामलों को भी आवश्यक रूप से विचार में रखा है जो कि अधिनियम के प्रावधानों तथा इस संबंध में बने हुए नियमों के अंतर्गत इस लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित होने चाहिए।



हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्देशित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसरण में यह इंड एस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया गया है। यह मानक अपेक्षा करता है कि हमने नैतिक रूप से आवश्यकताओं एवं योजना की पूर्ति की है और हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षण उचित तौर पर आश्वस्त करता है कि क्या यह वित्तीय विवरण वस्तुगत दुरुपयोग से मुक्त है अथवा नहीं।

किसी भी लेखा परीक्षण के अंतर्गत उन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिससे कि राशियों एवं इंड एस वित्तीय विवरणों में दर्शायी जानकारी के बारे में लेखा परीक्षण संबंधी साक्ष्य प्राप्त हो सके। जो प्रक्रिया चयनित की जाती है वह लेखा परीक्षण के निर्णय पर निर्भर करती है और जिसमें इंड एस वित्तीय विवरणों की वस्तुगत गलतबयानी का जौखम का आंकलन सम्मिलित है, चाहे ऐसा किसी छल अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो। इन जोखिमों का आंकलन करने में लेखा परीक्षक कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं तथा कम्पनी द्वारा उन इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं स्वच्छ प्रस्तुति को विचार में रखते हैं जो कि लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं को सत्य एवं स्वच्छ दर्शाते हैं और जो परिस्थितियों के अनुसार उचित होती है। कोई लेखा परीक्षण लेखांकन नीतियों का उचित मूल्यांकन को भी सम्मिलित करता है जिनका उपयोग लेखांकन आंकलनों में वाजिबी तौर पर किया जाता है जिन्हें कम्पनी के निदेशक गण द्वारा बनाया गया हो और साथ ही साथ इंड एस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षण संबंधी साक्ष्य हमने प्राप्त किये हैं वे इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय देने के लिए उचित व पर्याप्त आधार है।

विचार

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त इंड एस वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा चाही गई जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और वे भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं जिसमें इंड एस, कम्पनी के 31 मार्च 2018 तक के मामले, इनकी हानियाँ (अन्य व्यापक आय सहित), इनके नकद प्रवाह और वर्ष के अन्त की दिनांक तक इक्विटी में परिवर्तन शामिल हैं।

अन्य नियमन संबंधी आवश्यकताएं एवं अन्य वैधानिक जानकारियों पर प्रतिवेदन

1. जैसा कि कम्पनी (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश 2016 ('आदेश') केन्द्र शासन द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 उपधारा (11) की शर्तों के अनुसार, एवं इस तरह कम्पनी के लेखों की जाँच के आधार पर, जो कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा परिशिष्ट-ए में दिया गया है और यह कथन आदेश के पैरा 3 एवं 4 में निर्देशित मामलों पर प्रस्तुत किया गया है।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार हम प्रतिवेदित करते हैं कि
 - अ) हमारे द्वारा वे सभी व्याख्या एवं जानकारियाँ मांगी एवं प्राप्त की गई हैं जो कि हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थी।
 - ब) हमारी राय में कम्पनी द्वारा कानून की आवश्यकता के अनुसार उचित लेखा संबंधी पुस्तिकाएं रखी गई हैं, वे दर्शित रूप से हमारे द्वारा परीक्षण की गई पुस्तकें हैं।
 - स) तुलन पत्र, लाभ एवं हानि के विवरण, नगद प्रवाह के विवरण एवं इक्विटी में परिवर्तन का विवरण जिनके बारे में इस प्रतिवेदन में दिया गया है, वे सभी लेखा पुस्तिकाओं के साथ अनुबंधित हैं।
 - द) हमारी राय में उपरोक्त इंड एस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन भारतीय लेखा मानकों, सहपठित संबंधित नियमों के अनुसार है।



- ई) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, धारा 164(2) के प्रावधान जो अयोग्य निदेशकों की गैर-नियुक्ति के संबंध में है, कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन न. एफ.नं. 1/2/2014-सीएल-वी.दि. 5 जून 2015 के अनुसार छूट दी गई है।
- फ) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध-बी में हमारी रिपोर्ट देखें तथा
- ज) अन्य मामलों के संबंध में जो कि कम्पनी (लेखा परीक्षण एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के तारतम्य में लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित है, वे हमारे राय में और हमारी जानकारी के अनुसार एवं दी गई व्याख्या के अनुसार है।
- कम्पनी ने इस प्रभाव का खुलासा किया है, कि इंड एस वित्तीय विवरणों के इनके वित्तीय स्थिति पर कोई लंबित मुकदमें, यदि कोई है। इंड एस वित्तीय विवरण के टी 2.3 को देखें।
 - कम्पनी के यदि कोई दीर्घकालिक अनुबंध साथ ही व्युत्पन्न अनुबंध है तो, कम्पनी द्वारा प्रावधान जैसा कि प्रचलित कानून अथवा लेखा मानकों के लिए आवश्यक है, किया गया है।
 - ऐसी कोई भी राशियाँ नहीं थी जिन्हें कम्पनी द्वारा निवेशक, शिक्षा एवं सुरक्षा संबंधी फंड के लिए हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी।

स्थान : इन्दौर
दिनांक 20.12.2018

गुप्ता एवं अशोक हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 002254सी

हस्ता/-
सी.ए. अशोक अग्रवाल
(भागीदार)
एम. 071274



अनुलग्नक-ए तारीख तक स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों पर कम्पनी के सदस्यों को वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर अनुलग्नक देखें, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

- (i) (अ) कम्पनी पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाये हुए है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल सम्पत्तियों की स्थिति शामिल है।
(ब) इन सभी अचल सम्पत्तियों को प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। इस तरह के सत्यापन पर कोई ठोस विसंगतियां नहीं देखी गई।
(स) कम्पनी के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।
- (ii) (अ) चूंकि वर्ष के दौरान किसी भी समय कम्पनी के पास कोई स्टॉक नहीं है, इसलिये कम्पनी को स्टॉक के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता लागू नहीं होती है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (ii) का उपखंड (बी) लागू नहीं है।
- (iii) (अ) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाये गये रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (iii) के उपखण्ड (अ) (ब) एवं (स) लागू नहीं है।
- (iv) हमारी राय में और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने ऋण एवं निवेश के संबंध में कम्पनी अधिनियम की धारा 185 एवं 186 का अनुपालन किया है।
- (v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखापरीक्षा के दौरान हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
- (vi) केन्द्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (i) के तहत लागत रिकार्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है।
- (vii) (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वेट, उपकर एवं अन्य वैधानिक बकाया सहित सभी निर्विवाद वैधानिक बकाया उपयुक्त प्राधिकारी को जमा करने में नियमित है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक ऐसा कोई बकाया नहीं था, जो उस तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि से संबंधित हो, जिस तिथि से वह देय हो गये हो, निम्न के अतिरिक्त –

क्र.सं.	देय की प्रकृति	वित्तीय वर्ष	अदत्त राशि, जो देय होने की दिनांक से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए है, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को बकाया है,
1	देय श्रम शुल्क	2017-2018	रु. 19,92,323
2	वाणिज्यिक कर	2017-2018	रु. 1,32,386
3	व्यावसायिक कर	2017-2018	रु. 2,500



(ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, धनकर, सेवाकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं उपकर के रूप में कोई बकाया नहीं है, जो विवाद की वजह से जमा न किये हो।

- (viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंक, सरकार या अन्य व्यक्तियों से कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3(viii) लागू नहीं होता।
- (ix) कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव, अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा सावधिक ऋण के द्वारा कोई धन नहीं उठाया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3(ix) लागू नहीं होता।
- (x) लेखा परीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षण के दौरान कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी में उनके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नोटिस अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (xi) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कम्पनी के रिकार्ड की जाँच के आधार पर, कम्पनी ने प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान कम्पनी अधिनियम की धारा 197 सहपठित परिशिष्ट v के अनुसार आवश्यक अनुमोदन के साथ किया है।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैरा 3(xii) लागू नहीं है।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकार्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने संबंधित पक्षों के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार आदेश का खण्ड (xiii) लागू नहीं होता है।
- (xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकार्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने इस वर्ष के दौरान अंशों अथवा पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर का अधिमान्य आवंटन/निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। कम्पनी अधिनियम की धारा 42 की आवश्यकता का अनुपालन किया गया है और धनराशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए धन इकट्ठा किया गया था।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकार्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने निदेशक या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं होता है।
- (xvi) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीयन होने की आवश्यकता नहीं है।

स्थान : इन्दौर
दिनांक 20.12.2018

गुप्ता एवं अशोक हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 002254सी

हस्ता/-
सी.ए. अशोक अग्रवाल
(भागीदार)
एम. 071274



अनुलग्नक-ब स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर

(हमारी रिपोर्ट की तारीख पर “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” के तहत अनुच्छेद 1(एफ) में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2018 का कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का इस तारीख तक समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षण के संयोजन में लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का प्रबंधन, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कम्पनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है (मार्गदर्शन नोट) जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कम्पनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित, अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को प्रभावी ढंग से चलाने की सुनिश्चिता, जिसमें लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी भी शामिल है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने ICAI द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों, नोट एवं लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार और अधिनियम की धारा 143(10) के निर्धारण अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखा परीक्षण एवं ICAI द्वारा जारी दोनों पर लागू है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित रखा गया था और इस तरह के नियंत्रण सभी मानकों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, जोखिम जिसमें भौतिक कमजोरी मौजूद हो, का आकलन करना, डिजाइन की जाँच एवं मूल्यांकन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक रूप से गलत जानकारी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन



प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विस्तार से, कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए दर्ज किया जाता है, और कम्पनी की प्राप्ति और व्यय कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कम्पनी की सम्पत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के समय पर रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना है जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारणों सहित मिलीभगत या नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गड़बड़ी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बिगड़ सकती है।

विचार

हमारी राय में, कम्पनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है एवं ICAI द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट में आंतरिक नियंत्रण के मुख्य घटकों पर आधारित है।

स्थान : इन्दौर
दिनांक 20.12.2018

गुप्ता एवं अशोक हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 002254सी

हस्ता/-
सी.ए. अशोक अग्रवाल
(भागीदार)
एम. 071274



गुप्ता एंड अशोक
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स



125-126, सनराईज टॉवर,
579, एम.जी. रोड, इन्दौर-452001
फोन : 0731-2539821, 4049821
agrawals_indore@yahoo.com

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर की
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत प्रतिवेदन

संदर्भ: केग पत्र क्रं/सीएवी/सीओवाय/ म.प्र., आईएससीडीएल(1) 1052 दि. 18/08/2016

हमने इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर का 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का खाता बही का परीक्षण किया और हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारियों के अनुसार, हम अपना प्रतिवेदन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:-

1. क्या कम्पनी के पास फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट स्वामित्व/लीजडीड है ? यदि नहीं तो कृपया लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड क्षेत्र का उल्लेख करें जिसका स्वामित्व/लीजडीड उपलब्ध नहीं है।	कम्पनी के पास कोई फ्रीहोल्ड अथवा लीजहोल्ड भूमि नहीं है।
2. क्या किसी भी प्रकार का देन/ऋण/ब्याज आदि का राईटऑफ/त्याग का मामला है। अगर है तो इसका कारण एवं इसमें संबंधित राशि कितनी है।	किसी भी प्रकार का देन/ऋण/ब्याज आदि का राईटऑफ/त्याग का मामला नहीं है।
3. क्या तीसरे पक्ष के पास रखा हुआ माल एवं सरकार एवं अन्य अधिकारी से उपहार स्वरूप प्राप्त सम्पत्ति का उचित रिकार्ड रखा गया है।	कम्पनी की कुछ सम्पत्तियाँ इन्दौर नगर निगम के पास रखी हुई हैं। तीसरे पक्ष के पास रखे गये माल एवं सम्पत्तियों के रेकार्ड का उचित रखरखाव हुआ है।

स्थान : इन्दौर
दिनांक 20.12.2018

गुप्ता एवं अशोक हेतु
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 002254सी

हस्ता/-
सी.ए. अशोक अग्रवाल
(भागीदार)
एम. 071274



इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

वेबसाइट : www.smartcityindore.org; फोन : 0731-2535572; ईमेल : smartcityindore16@gmail.com

तुलन-पत्र 31 मार्च, 2018 को

₹ (रुपयों में)

विवरण	नोट सं.	आंकड़े 31 मार्च, 2018 तक	आंकड़े 31 मार्च, 2017 तक
सम्पत्तियाँ			
1. गैर चालू सम्पत्ति			
(अ) सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण	4	27,65,30,529	4,70,44,903
(ब) पूँजी कार्य प्रगति पर	5	90,60,64,052	18,51,63,810
(स) वित्तीय सम्पत्तियाँ			
(i) अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ	6	1,57,03,82,576	2,13,47,77,140
(द) स्थगित कर सम्पत्ति	7	-	52,11,858
		2,75,29,77,157	2,37,21,97,711
2. चालू सम्पत्तियाँ			
(अ) वित्तीय सम्पत्तियाँ			
(i) नकद एवं नकद समान	8	1,45,12,19,638	80,78,96,995
(ब) अन्य चालू सम्पत्तियाँ	9	21,62,03,100	7,41,12,680
		1,66,74,22,738	88,20,09,675
कुल सम्पत्तियाँ		4,42,03,99,895	3,25,42,07,386
इक्विटी अंश एवं दायित्व			
इक्विटी			
(अ) इक्विटी अंश पूँजी	10	2,00,00,00,000	1,03,56,00,000
(ब) अन्य इक्विटी	11	(99,99,964)	52,11,858
		1,99,00,00,036	1,04,08,11,858
दायित्व			
1. गैर चालू दायित्व			
(अ) प्रोजेक्ट व्यय हेतु शासकीय अनुदान	12	2,11,80,30,348	1,95,63,12,551
(ब) अन्य गैर चालू दायित्व	13	1,32,40,160	5,84,334
(स) स्थगित कर दायित्व	7	99,99,964	
		2,14,12,70,472	1,95,68,96,885
2. चालू दायित्व			
(अ) अन्य चालू दायित्व	14	25,21,05,753	23,40,31,796
(ब) ए एंड ओई व्यय हेतु शासकीय अनुदान	15	3,70,23,634	2,24,66,847
		28,91,29,387	25,64,98,643
कुल इक्विटी एवं दायित्व		4,42,03,99,895	3,25,42,07,386
वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं नोट्स	1 से 33		

यहाँ तक की दिनांक तक हमारा प्रतिवेदन

गुप्ता एंड अशोक हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन क्र. 002254सी

हस्ता/-

(सी.ए. अशोक अग्रवाल)

भागीदार

एम. नं. 071274

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 20.12.2018

निदेशक मंडल की ओर से एवं हेतु

हस्ता/-

(निशांत वरवडे)

अध्यक्ष

डीआईएन 05340409

हस्ता/-

(रचना गौड़)

मुख्य वित्त अधिकारी

एम.नं. 410808

हस्ता/-

(आशीष सिंह)

कार्यकारी निदेशक

डीआईएन 07636828

हस्ता/-

(अनुराग कुमार सक्सेना)

कम्पनी सचिव

एम.नं. एफ8115



इन्दौर स्मार्ट सिटी 49

डेवलपमेंट लिमिटेड

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

वेबसाइट : www.smartcityindore.org; फोन : 0731-2535572; ईमेल : smartcityindore16@gmail.com

लाभ एवं हानि खाता 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹ (रुपयों में)

विवरण	नोट सं.	आंकड़े 31 मार्च, 2018 तक	आंकड़े 31 मार्च, 2017 तक
आय			
प्रचालन द्वारा राजस्व	16	73,18,681	9,10,000
अन्य आय	17	10,85,59,052	7,75,33,153
कुल आय (अ)		11,58,77,733	7,84,43,153
व्यय			
कर्मचारियों की सुविधा पर व्यय	18	1,04,22,183	18,45,137
वित्त लागत	19	57,484	175
अन्य व्यय	20	9,24,79,148	8,27,60,030
मूल्यहास एवं प्रोजेक्ट व्यय के पूर्व के कुल व्यय		10,29,58,815	8,46,05,342
जोड़े :			
अ) प्रोजेक्ट व्यय (राजस्व प्रकृति)	21	1,41,03,183	-
ब) मूल्यहास एवं ऋणमुक्ति व्यय			
i. प्रशासनिक सम्पत्तियों के लिए	4	14,21,946	1,61,108
ii. प्रोजेक्ट सम्पत्तियों के लिए	4	90,12,656	5,59,316
		2,45,37,785	7,20,424
लाभ/(हानि) कर पूर्व (स=अ-ब)		(1,16,18,867)	(68,82,613)
कुल व्यय			
(1) चालू कर		-	-
(2) स्थगित कर	7	1,52,11,821	(52,11,858)
कुल कर (फ)		1,52,11,821	(52,11,858)
लाभ/(हानि) जारी प्रचालन से वर्ष के लिए		(2,68,30,688)	(16,70,755)
लाभ/(हानि) बंद प्रचालन से		-	-
लाभ/(हानि) अवधि के लिए		(2,68,30,688)	(16,70,755)
अन्य व्यापक आय	22		
“अ (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा”		-	-
“ब (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा”		1,16,18,867	68,82,613
कुल अन्य व्यापक आय		1,16,18,867	68,82,613
कुल व्यापक आय अवधि के लिए (अवधि के लिए लाभ(हानि) एवं अन्य व्यापक आय सहित)		(1,52,11,821)	52,11,858
प्रति इक्विटी शेयर की कमाई (चालू प्रचालन से)	25		
आधारभूत		(0.08)	0.05
डायल्यूटेड		(0.08)	0.05
पप्रति इक्विटी शेयर से कमाई (बंद प्रचालन से)	25	-	-
वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं नोट्स	1 से 33		

यहाँ तक की दिनांक तक हमारा प्रतिवेदन

गुमा एंड अशोक हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन क्र. 002254सी

हस्ता/-

(सी.ए. अशोक अग्रवाल)

भागीदार

एम. नं. 071274

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 20.12.2018

निदेशक मंडल की ओर से एवं हेतु

हस्ता/-

(निशांत वरवडे)

अध्यक्ष

डीआईएन 05340409

हस्ता/-

(रचना गौड़)

मुख्य वित्त अधिकारी

एम.नं. 410808

हस्ता/-

(आशीष सिंह)

कार्यकारी निदेशक

डीआईएन 07636828

हस्ता/-

(अनुराग कुमार सक्सेना)

कम्पनी सचिव

एम.नं. एफ8115



इन्दौर स्मार्ट सिटी 50

डेवलपमेंट लिमिटेड

द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

वेबसाइट : www.smartcityindore.org; फोन : 0731-2535572; ईमेल : smartcityindore16@gmail.com

नकद प्रवाह विवरण 31.03.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 के अन्त तक		31 मार्च, 2017 के अन्त तक	
अ. प्रचालन गतिविधियों द्वारा नकद प्रवाह				
लाभ/(हानि) कर पूर्व के		(1,16,18,867)		(68,82,613)
समायोजन :				
परिभाषित लाभकारी योजनाओं का पुर्ननिर्धारण	-			
मूल्यहास एवं ऋणमुक्ति	1,04,34,602		7,20,424	
अनुदान हेतु प्रायोजन	-		-	
छुट्टी के बदले भुगतान के लिए प्रायोजन	-		-	
विभिन्न शेषों की समाप्ति	-		-	
ब्याज व्यय	-		-	
अन्य आय	(10,85,59,052)		(7,75,33,153)	
अन्य व्यापक आय	1,16,18,867		68,82,613	
		(8,65,05,583)		(6,99,30,116)
कार्यशील पूंजी बदलाव के पूर्व के परिचालन लाभ		(9,81,24,450)		(7,68,12,729)
समायोजन :				
व्यापारिक प्राप्तियाँ	-		-	
अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ	-		-	
अन्य बैंक शेष	56,96,00,000		(2,12,90,00,000)	
स्टॉक	-		-	
अन्य चालू सम्पत्तियाँ	(14,20,90,420)		(7,41,12,680)	
व्यापारिक देय	-		-	
अन्य चालू दायित्व	1,80,73,957		23,40,31,796	
अन्य गैर चालू दायित्व	1,26,55,826		5,84,334	
जमा में गतिशीलता	-	45,82,39,364	-	(1,96,84,96,550)
शुद्ध नकद प्रचालन गतिविधियों से/(उपयोगित)		36,01,14,914		(2,04,53,09,279)
(कर से पूर्व)				
कर (चूकता) / वापसी (शुद्ध)		-		-
शुद्ध नकद प्रचालन गतिविधियों से/(उपयोगित)		36,01,14,914		(2,04,53,09,279)
ब. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
प्राप्त ब्याज	-		-	
मूर्त सम्पत्ति (शुद्ध) की (खरीदी)/बिक्री	(96,08,20,471)		(23,29,29,137)	
ऋण एवं अग्रिम में गतिशीलता	(52,05,436)		(57,77,140)	
शुद्ध नगद उत्पन्न		(96,60,25,907)		(23,87,06,277)
निवेश गतिविधियों से/(उपयोग में)				



₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 के अन्त तक		31 मार्च, 2017 के अन्त तक	
स. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
प्राप्त अनुदान	1,00,00,00,000		2,96,00,00,000	
अनुदान से प्राप्त ब्याज	24,92,33,636		13,19,12,551	
दीर्घ अवधि ऋण का पुर्नभुगतान	-		-	
अदत्त परिपक्व डिबेंचर का पुर्नभुगतान	-		-	
दीर्घ अवधि प्रयोजन में गतिशीलता	-		-	
लघु अवधि ऋण से आय	-		-	
शुद्ध नकद वित्तीय गतिविधियों से/ (उपयोग में) से उत्पन्न		1,24,92,33,636		3,09,19,12,551
शुद्ध बढ़ोत्री/(घटाव) नकद एवं नकद समकक्ष में (अ+ब+स)		64,33,22,642		80,78,96,995
प्रारंभिक शेष नकद एवं नकद समकक्ष का		80,78,96,995		-
अंतिम शेष नकद एवं नकद समकक्ष का		1,45,12,19,638		80,78,96,995
शुद्ध बढ़ोत्री/(घटाव) नकद एवं नकद समकक्ष में		64,33,22,643		80,78,96,995

यहाँ तक की दिनांक तक हमारा प्रतिवेदन

गुमा एंड अशोक हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन क्र. 002254सी

हस्ता/-

(सी.ए. अशोक अग्रवाल)

भागीदार

एम. नं. 071274

निदेशक मंडल की ओर से एवं हेतु

हस्ता/-

(निशांत वरवडे)

अध्यक्ष

डीआईएन 05340409

हस्ता/-

(रचना गौड़)

मुख्य वित्त अधिकारी

एम.नं. 410808

हस्ता/-

(आशीष सिंह)

कार्यकारी निदेशक

डीआईएन 07636828

हस्ता/-

(अनुराग कुमार सक्सेना)

कम्पनी सचिव

एम.नं. एफ8115

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 20.12.2018



इक्रिटी में परिवर्तन का विवरण

इक्रिटी में परिवर्तन का विवरण 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए

		₹ (रुपयों में)
अ. इक्रिटी अंश पूंजी		
विवरण		राशि
1 अप्रैल, 2016 का शेष		-
वर्ष के दौरान इक्रिटी अंश पूंजी में परिवर्तन		1,03,56,00,000
31 मार्च, 2017 का शेष		1,03,56,00,000
वर्ष के दौरान इक्रिटी अंश पूंजी में परिवर्तन		96,44,00,000
31 मार्च, 2018 का शेष		2,00,00,00,000
ब. अन्य इक्रिटी		
	आरक्षित एवं अधिशेष से प्राप्तियाँ	(रुपयों में) कुल
विवरण		
रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल, 2016 के प्रारंभ का शेष	-	-
कुल व्यापक आय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए	(16,70,755)	(16,70,755)
अन्य व्यापक आय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए	68,82,613	68,82,613
रिपोर्टिंग अवधि 31 मार्च, 2017 के अन्त का शेष	52,11,858	52,11,858
मूल्यांकन समायोजन-डीमंड पूंजी योगदान	-	-
कुल व्यापक आय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए	(2,68,30,688)	(2,68,30,688)
अन्य व्यापक आय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए	1,16,18,867	1,16,18,867
रिपोर्टिंग अवधि 31 मार्च, 2017 के अन्त का शेष	(99,99,964)	(99,99,964)

यहाँ तक की दिनांक तक हमारा प्रतिवेदन

गुप्ता एंड अशोक हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन क्र. 002254सी

हस्ता/-

(सी.ए. अशोक अग्रवाल)

भागीदार

एम. नं. 071274

निदेशक मंडल की ओर से एवं हेतु

हस्ता/-

(निशांत वरवडे)

अध्यक्ष

डीआईएन 05340409

हस्ता/-

(रचना गौड़)

मुख्य वित्त अधिकारी

एम.नं. 410808

हस्ता/-

(आशीष सिंह)

कार्यकारी निदेशक

डीआईएन 07636828

हस्ता/-

(अनुराग कुमार सक्सेना)

कम्पनी सचिव

एम.नं. एफ8115

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 20.12.2018



इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

वेबसाइट : www.smartcityindore.org; फोन : 0731-2535572; ईमेल : smartcityindore16@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. कारपोरेट जानकारीयाँ :

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (कम्पनी) का आरंभ भारत में 11 मार्च 2016 को हुआ था। यह एक प्रकार का स्पेशल परपज व्हीकल (एस.पी.वी.) है जिसका सृजन इन्दौर शहर में “स्मार्ट सिटी मिशन” को लागू करने हेतु किया गया। एस.पी.वी. द्वारा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को केन्द्र शासन के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी मिशन संबंधी विवरण एवं मार्गदर्शन के अनुसार परियोजित, आंकलित, अनुमोदित, पूंजी का लगाना, लागूकरण, प्रबंध, संचालन, निगरानी एवं मूल्यांकन किया जावेगा।

2. तैयारी का आधार एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

2.1 तैयारी का आधार एवं प्रस्तुति

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरण परम्परागत लागत आधार पर तैयार किये गये हैं, केवल निम्नलिखित सम्पत्तियों एवं देनदारियों को छोड़कर जो उचित मूल्य के माप अनुसार हैं :-

—कुछ वित्तीय सम्पत्तियाँ और देनदारियाँ

कम्पनी के वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (‘इंड एस’) के अनुपालन के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियम शामिल हैं। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष तक कम्पनी ने आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) की आवश्यकता के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिसमें कम्पनियों (लेखा मानक) नियम, 2006 के तहत अधिसूचित मानक शामिल हैं और इन्हें “पिछला जीएएपी” माना जाता है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी का पहला इंड एस स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरण है। कम्पनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो इसकी कार्यात्मक मुद्रा भी है।

2.2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

अ) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण लागत, शुद्ध वसूली योग्य कर, व्यापारिक छूट एवं छूट जिसमें संचित मूल्यहास घटाया हो एवं हानि यदि कोई हो, पर वर्णित किये जाते हैं। इन लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत और ऐसी लागत जो सीधे तौर पर सम्पत्ति को चालू स्थिति में लाने के लिए किया हो, विदेशी मुद्रा अनुबंध पर शुद्ध शुल्क और परिसम्पत्तियों पर विनिमय दर भिन्नता से उत्पन्न समायोजन शामिल हैं।

ii) बाद की लागतों को परिसम्पत्ति की अग्रणी राशि में शामिल किया जाता है या उपयुक्त रूप में एक अलग परिसम्पत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। यह तभी संभव है जब वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई में प्रवाहित हो और लागत को मजबूती से मापा जाता हो। पीपीई के एक वस्तु की वहन राशि में, इस तरह के एक वस्तु के हिस्से को बदलने की लागत को मान्य किया जाता है जब मान्यता मानदंड पूरा होने पर तथा लागत खर्च हो जाती है। बदले गये उन हिस्सों की वहन राशि को अमान्यता सिद्धान्त के साथ अमान्य किया जाता है।

iii) परियोजना के संबंध में किये गये व्यय, परियोजना के विकास के चरण के दौरान शुद्ध आय जो इसके उपयोग से पहले के हैं, को पूर्व-संचालन व्यय के रूप में माना गया है और पूंजी कार्य-प्रगति पर के तहत खुलासा किया जाता है।

iv) सम्पत्तियाँ, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यहास को **सीधी रेखा पद्धति** के अनुसार प्रदान किया जाता है। मूल्यहास सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है जो कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित है। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का एक लागत के साथ जो मशीन की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, अलग से मूल्यहास किया जाता है, अगर इसका उपयोगी जीवन मशीन के जीवन से अलग हो।

v) अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यहास के तरीके की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उचित रूप से समायोजित की जाती है।



vi) किसी भी सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों की अमान्यता से उत्पन्न होने वाले प्राप्ति या नुकसान को शुद्ध निपटान आय और सम्पत्ति की वहन राशि के बीच के अन्तर के रूप में मापा जाता है और सम्पत्ति के अमान्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

vii) प्लांट और मशीनरी के साथ खरीदे गये स्पेयर पार्ट्स या इसके बाद जो मान्य मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें ऐसे वस्तु की वहन राशि में पूंजीगत एवं जोड़ा जाता है। उन स्पेयर पार्ट्स की वहन राशि जो बदल दिये गये हो, को अमान्य किया जाता है जब उनके उपयोग या निपटान से भविष्य में किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। अन्य मशीनरी पार्ट्स को “भंडार एवं पुर्जो” के रूप में माना जाता है जो इन्वेंट्री का हिस्सा हैं।

ब) पट्टे

i) पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तें, पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करती है। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii) लीज सम्पत्ति : वित्त पट्टों के अंतर्गत सम्पत्तियों को पट्टे की शुरुआत से ही प्राथमिक तौर पर कम्पनी की सम्पत्ति के रूप में उनके उचित मूल्य मान्यता दी गई है, यदि कम हो, तो न्यूनतम लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी गई है। पट्टेदार के लिए इसी दायित्व को वित्त पट्टा दायित्व के रूप में तुलन पत्र में शामिल किया गया है।

iii) पट्टे के भुगतान को वित्त व्यय और पट्टे की बाध्यता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष राशि पर ब्याज की निरंतर दर प्राप्त हो सके। वित्त व्यय को तुरंत लाभ एवं हानि विवरणी में मान्यता दी जाती है, जब तक कि वे सीधे योग्य संपत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, जिस स्थिति में वे पूंजीकृत होते हैं। आकस्मिक किराये को उस अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किये जाते हैं।

iv) एक पट्टे पर दी गई सम्पत्ति पर मूल्यहास सम्पत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है। हालांकि, अगर कोई उचित निश्चितता नहीं है कम्पनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, तो सम्पत्ति को उसके अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टा अवधि से कम पर मूल्यहास किया जाता है।

v) परिचालन पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा पद्धति पर लाभ एवं हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां एक और व्यवस्थित आधार समय पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व करता हो, जिसमें पट्टे पर दी गई सम्पत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

स) अमूर्त सम्पत्तियाँ

i) अमूर्त सम्पत्तियों को वसूली योग्य करें, व्यापारिक छूट एवं कम संचित परिशोधन/कमी और हानि, यदि कोई हो, के शुद्ध अधिग्रहण की लागत पर वर्णित किया जाता है। इस तरह की लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत और कोई लागत जो सम्पत्ति को उपयोग चालू हालत में लाता हो, विदेशी मुद्रा अनुबंधों पर शुद्ध शुल्क और अमूर्त सम्पत्ति में विनिमय दर भिन्नता से उत्पन्न समायोजन शामिल है।

ii) सम्पत्तियों की वहन राशि में बाद की लागत को शामिल किया जाता है अथवा एक अलग परिसम्पत्ति के रूप में पहचाना जाता है, जो उचित हो, यह तभी संभव है जब वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई में प्रवाहित हो और लागत को मजबूती से मापा जाता हो।

iii) एक अमूर्त सम्पत्ति की अमान्यता से उत्पन्न होने वाले प्राप्ति या नुकसान को शुद्ध निपटान आय और सम्पत्ति की वहन राशि के बीच के अन्तर के रूप में मापा जाता है और सम्पत्ति के अमान्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

द) पूंजी कार्य-प्रगति पर

i) निर्माणाधीन सम्पत्ति (परियोजना सहित) पर किया गया व्यय पूंजी कार्य-प्रगति पर के अन्तर्गत लागत पर किया जाता है। इस तरह की लागतों में आयात शुल्क और व्यापारिक छूट घटाने के बाद गैर-वापसी योग्य कर, एवं लागत जो सीधे तौर पर परिसम्पत्ति को स्थान तक लाने के लिए और इसके लिए प्रबंधन द्वारा चाहे गये तरीके से संचालन योग्य सुनिश्चित करना शामिल है।



ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं की लागत में कर्मचारियों के लाभों की लागत, परियोजनाओं के सर्वेक्षण, और जाँच की गतिविधियों संबंधी व्यय, साइट की तैयारी, प्रारंभिक वितरण और हैंडलिंग शुल्क, स्थापना और एकत्रिकरण लागत, प्रोफेशनल फीस, आम जनता की सुविधाओं हेतु रखरखाव एवं उन्नयन पर व्यय, परियोजना के निर्माण में उपयोग की गई सम्पत्ति पर मूल्यहास, निर्माण के दौरान ब्याज और परियोजनाओं हेतु अन्य लागत शामिल है। इस तरह की लागत “पूँजी कार्य-प्रगति पर” अनुसार कार्य करती है और बाद में परियोजनाओं के कमीशन पर, भूमि और बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के अलावा, प्रमुख परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित की जाती है।

iii) सुविधाओं के सृजन हेतु पूँजीगत व्यय, जिस पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन जिसके सृजन हेतु परियोजनाओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है, को पूँजीकृत किया जाता है और “पूँजी कार्य-प्रगति पर” और बाद में व्यवस्थित रूप से प्रमुखता के आधार पर भूमि एवं बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के अलावा प्रमुख सम्पत्ति, जो परियोजनाओं के पूरा होने पर, जो “फलस्वरूप” और “माप की इकाई” को ध्यान में रखकर एवं इंड एस-16 “सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण” के आधार पर आवंटित किया जाता है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इस तरह की प्रकृति का खर्च, लाभ एवं हानि विवरणी में लिया जाता है।

ई) वित्त लागत

i) उधार लेने की लागत में विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय अन्तर शामिल है, जिस हद तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। उधार लेने की लागत सम्पत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार होती है, जो आवश्यक रूप से इसके उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेता है, को सम्पत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। एक योग्य सम्पत्ति वह है जो आवश्यक रूप से इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है।

ii) अर्जित ब्याज की आय, जो परियोजना सम्पत्ति पर अपने खर्च को लंबित विशिष्ट अनुदानों के अस्थाई निवेश पर है, को स्वयं अनुदान में जोड़ा जाता है।

iii) अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे होते हैं।

फ) गैर-वित्तीय सम्पत्तियों की हानि – सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त सम्पत्ति

i) कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण और अमूर्त सम्पत्ति या सम्पत्ति का समूह, जिसे कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) कहा जाता है, बिगड़ा हो सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत किसी सम्पत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान है कि हानि, यदि कोई हो, के विस्तार को निर्धारित किया जा सकता है। जब किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है तो कम्पनी उस सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है, जिसमें वह सम्पत्ति समाहित है।

ii) एक खराब हानि इस हद तक लाभ एवं हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त है, जहां तक सम्पत्ति की वहन राशि उसके वसूली योग्य राशि से अधिक है। वसूली योग्य राशि, सम्पत्ति के उचित मूल्य जिसमें से निपटान की लागत एवं उपयोग की कीमत घटाने के बाद, अधिक है। उपयोग की कीमत अनुमानित भावी नकद प्रवाह पर आधारित है, जो पूर्व कर छूट दर उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी गई है, जो उस समय के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है।

iii) पूर्व लेखा अवधि में पहचानी गई हानि को रिवर्स की गई है, अगर वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव हुआ है।

ज) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक सम्पत्ति और प्रतिबद्धता

i) प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कम्पनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, तो यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरह का प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक राशि के प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जब कम्पनी को उम्मीद है कि कुछ या सभी प्रावधान की प्रतिपूर्ति की जाएगी, तो प्रतिपूर्ति को तभी स्थायी सम्पत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी जब प्रतिपूर्ति वास्तव में निश्चित हो।

ii) यदि धन का समय मूल्य प्रभाव भौतिक है, तो वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके प्रावधानों में छूट दी जाती है, जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम भरी होती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण



प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

iii) आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन के निर्णय अनुसार किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है जो वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करता है।

iv) आकस्मिक सम्पत्ति को मान्यता नहीं दी जाती लेकिन वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है जब आर्थिक लाभ की आमद संभावित है।

ह) आयकर

कराधान अवधि में किये गये व्यय में चालू एवं स्थगित कर शामिल है। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि वह अन्य व्यापक आय और इक्विटी में मान्यता प्राप्त मद से संबंधित है। इस मामले में, कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है।

i) चालू कर

चालू कर सम्पत्तियों एवं देनदारियों को वसूल की गई अपेक्षित राशि अथवा कर प्राधिकारी को चुकायी गई राशि से मापा जाता है, जो कर की दर एवं अधिनियम जो लागू किये गये हैं, या तत्पश्चात लागू किये गये हो, पर आधारित है।

ii) अस्थगित कर

अस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किये गये संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अन्तर पर मान्यता प्राप्त है।

अस्थगित कर देयताओं और सम्पत्तियों को उस कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है, जिसमें देनदारियों का निपटान किया गया है या सम्पत्तियाँ उगाही गई हैं, जो कर की दरों (और कर कानून) जो लागू की जा चुकी है अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात लागू हुई, के आधार पर है। अस्थगित कर देनदारियों और सम्पत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

य) कर्मचारी लाभ व्यय

अल्पावधि कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले में अल्पकालिक कर्मचारी लाभ की बिना छूट वाली राशि को कर्मचारियों को सेवा प्रदान करने की अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

रोजगार के बाद के लाभ

परिभाषित योगदान योजनाएँ

एक परिभाषित योगदान योजना एक रोजगारी के बाद की योजना है, जिसके तहत कम्पनी एक अलग इकाई को निर्दिष्ट योगदान देती है। कम्पनी भविष्य निधि, सुपेन्युएशन फंड और पेन्शन योजना के लिए निर्दिष्ट मासिक योगदान करती है। कम्पनी के योगदान को उस अवधि के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

ज़) राजस्व मान्यता

प्रचालन से राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब महत्वपूर्ण जौखिम और स्वामित्व के प्रतिफल को खरीददार को हस्तांतरित किया जाता हो, प्रतिफल की वसूली संभावित हो, संबंध लागत का अनुमान विश्वसनीय रूप से हो, माल के साथ कोई प्रभावी नियंत्रण या प्रबंधकीय भागीदारी नहीं हो, और राजस्व की राशि की गणना विश्वसनीय रूप से हो। सेवा के प्रतिपादन से राजस्व को तब मान्यता दी जाती है, जब अनुबंधित कार्य का निष्पादन पूर्ण हो चुका हो।

ब्याज से आय

वित्तीय सम्पत्तियों से ब्याज की आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।



र) वित्तीय प्रपत्र

i) वित्तीय सम्पत्तियाँ

अ) प्रारम्भिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है। लेनदेन की लागत जो सीधे वित्तीय सम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार है, जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं है, प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य के लिए समायोजित की जाती है।

ब) अनुवर्ती माप

वित्तीय सम्पत्तियों को परिशोधन लागत पर ले जाना

एक वित्तीय सम्पत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि यह एक व्यवसायिक मॉडल के अन्तर्गत धारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए परिसंपत्ति को धारण करना है और वित्तीय सम्पत्ति के अनुबंध की शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती है जो केवल बकाया मूलधन एवं मूलधन पर ब्याज है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय सम्पत्ति (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीओसीआई में मापा जाता है यदि यह एक व्यवसायिक मॉडल के अन्तर्गत धारित किया गया हो, जिसका उद्देश्य दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय सम्पत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती है जो केवल बकाया मूलधन एवं मूलधन पर ब्याज है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति (एफवीटीपीएल)

एक वित्तीय सम्पत्ति जिसे परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

स) वित्तीय सम्पत्तियों की हानि

इंड एस 109 के अनुसार, कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि के मूल्यांकन के लिए, लाभ एवं हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के अलावा "एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस" (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करती है। अपेक्षित क्रेडिट लॉस को नुकसान के माध्यम से मापा जाता है जो राशि के बराबर है :-

- 12 महीने का अपेक्षित क्रेडिट लॉस (अपेक्षित क्रेडिट लॉस जो वित्तीय प्रपत्र पर उन तय घटनाओं के कारण हुआ है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभव हैं); या
- पूर्ण जीवनकाल अपेक्षित क्रेडिट लॉस (अपेक्षित क्रेडिट लॉस जो वित्तीय प्रपत्रों के जीवनकाल पर संभावित तय घटनाओं के कारण हुआ है।

व्यापारिक प्राप्ति के लिए कम्पनी 'सरलीकृत दृष्टिकोण' लागू करती है जिसके लिए प्राप्ति की प्रारम्भिक मान्यता से अपेक्षित जीवनकाल के नुकसान की आवश्यकता होती है। कम्पनी व्यापारिक प्राप्ति के पोर्टफोलियों पर हानि का निर्धारण करने के लिए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों का उपयोग करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में इन ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों की समीक्षा की जाती है और आगे परिवर्तन देखने के लिए अनुमानों का विश्लेषण किया जाता है।

अन्य सम्पत्तियों के लिए, कम्पनी हानि के नुकसान के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग करती है, जहाँ क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है। यदि क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तो जीवन भर ईसीएल का उपयोग किया जाता है।

ii) वित्तीय देनदारियाँ

अ. प्रारम्भिक मान्यता एवं माप

सभी वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और ऋण के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से लागत का शुद्ध माना जाता है। आवृत्ति प्रवृत्ति के शुल्क को लाभ एवं हानि विवरणी में सीधे वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है।



ब. अनुवृत्ति माप

एक वित्तीय सम्पत्ति को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। व्यापारिक एवं अन्य भुगतान जो तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष के अन्दर परिपक्व हो रहे हैं, को इन साधनों की परिपक्वता के कारण ले जाने वाली मात्रा उचित मूल्य है।

ल) ऑपरेटिंग चक्र

कम्पनी ऑपरेटिंग चक्र पर आधारित वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में सम्पत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। सम्पत्ति को वर्तमान रूप में माना जाता है जब :- (अ) सामान्य रूप से बेचने या उपभोग करने की उम्मीद या प्राप्ति की उम्मीद है (ब) व्यापार के उद्देश्य से धारण की गई है, (स) इसके समाधान की उम्मीद रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह महीने में, अथवा (द) नकद या नकद समकक्ष, जब तक लेनदेन के लिए या दायित्व के निपटान के लिए रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाता।

अन्य सभी सम्पत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देनदारी चालू मानी जायेगी जब; (अ) यह सामान्य ऑपरेटिंग चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है; (ब) व्यापार के उद्देश्य से धारण की गई है; (स) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अन्दर व्यवस्थित होने की उम्मीद है; अथवा (द) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अस्थगित कर सम्पत्तियाँ एवं देनदारियों को गैर-वर्तमान सम्पत्तियाँ एवं दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कम्पनी ने बारह महीने की ऑपरेटिंग चक्र की पहचान की है।

म) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया समता अंशों की भारित औसत संख्या द्वारा समता अंशधारकों के शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान बकाया समता अंशों की भारित औसत संख्या का समायोजन मौजूदा शेयरधारकों को बोनस; राईट ईश्यू में बोनस तत्व में किया जाता है।

प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना के उद्देश्य से, समता अंशधारकों को आवंटित वर्ष का शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया अंशों की भारित औसत संख्या सभी मिश्रित एवं संभावित अंशों में समायोजित किया जाता है।

न) नकदी प्रवाह का विवरण

i) नकद एवं नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुति के उद्देश्य से, नकद एवं नकद समकक्ष में हस्तस्थ नकद, अन्य अल्पकालिक, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अत्यधिक तरल निवेश जो नकदी की ज्ञात मात्रा के लिए आसानी से परिवर्तनीय है और जो मूल्य परिवर्तन के एक तुच्छ जौखिम के अधीन है, शामिल है।

ii) नकद प्रवाह का विवरण संबंधित लेखा मानक में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

2.3 विकट लेखा निर्णय एवं अनुमानित अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने एवं अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखा नीतियों के लागू करने और वित्तीय विवरणों की तिथि तक सम्पत्तियों, देनदारियों एवं खुलासे की मात्रा को और वर्ष के लिए प्रदर्शित रिपोर्ट की गई राजस्व एवं खर्चों की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अनुमान की गई और संबंधित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक अनुमान विभिन्न अनुमानों और शर्तों के तहत इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों का उस अवधि मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है, यदि संशोधन केवल उस अवधि को प्रभावित करता है, या संशोधन की अवधि और भविष्य की अवधि में, यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि दोनों को प्रभावित करता है।

अ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अमूर्त सम्पत्ति का मूल्यहास/परिशोधन और उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/अमूर्त सम्पत्ति पर मूल्यहास/परिशोधन उनके अनुमानित मूल्य को ध्यान में रखते हुए उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है। प्रबंधन किसी भी रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दर्ज किये जाने वाले



मूल्यहास/परिशोधन की कीमत निर्धारित करने के लिए सालाना अनुमानित उपयोगी जीवन और संपत्ति के अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा करता है। उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य समान संपत्ति के साथ कम्पनी के ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है और प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हैं। मूल्यहास/परिशोधन को भविष्य की अवधि के लिए संशोधित किया जाता है, यदि पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।

ब) प्रावधान

प्रावधान और देनदारियों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब यह संभावित हो जाता है कि पिछले कार्यों या घटनाओं के परिणामस्वरूप धन का भविष्य में बहिर्वाह होगा और नकद बहिर्वाह की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है। दायित्व की मान्यता और मात्रा निर्धारण के समय को मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के लिए निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकता है। प्रावधानों और देनदारियों की मात्रा की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है।

स) गैर-वित्तीय सम्पत्तियों की हानि

कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि सम्पत्ति खराब हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, तो कम्पनी सम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी सम्पत्ति की वसूली योग्य राशि सम्पत्ति या केश जनरेटिंग यूनिट्स के उचित मूल्य से, निपटान की लागत और इसके उपयोग के मूल्य घटाने के बाद अधिक है। यह एक व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य सम्पत्तियों या सम्पत्तियों के स मूह से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जहां किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि अपनी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो सम्पत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और इसकी पुनःप्राप्ति राशि को बट्टे-खाते में डाला जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है, अगर इस तरह के लेनदेन की पहचान नहीं की जाती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

द) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि का प्रावधान, चूक और अपेक्षित नकदी हानि दरों के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित है। कम्पनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि की गणना के लिए इनपुट का चयन करने का निर्णय लेती है, जो कम्पनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों पर आधारित है।

ई) होल्टिंग कम्पनी से सहायता की मान्यता

होल्टिंग कम्पनी द्वारा दी गई सुविधाओं को मान्यता प्राप्त है और दी गई सहायता की अवधि के संबंध में और सहायता और सहायता के मूल्यांकन में छूट के कारकों के लिए अनुमान लगाया गया है।

फ) दीर्घकालिक सुरक्षा जमाओं का लेखा

सुरक्षा जमा राशियों का लेखा-जोखा करते समय छूट के कारकों को उनके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए बनाया गया है।

ज) सम्पत्तियों, संयंत्र एवं उपकरणों से प्रवाहित आर्थिक लाभों का अनुमान

भविष्य के आर्थिक लाभों के लिए अनुमान वित्तीय विवरणों की तारीख के आधार पर विभिन्न कारकों के आधार पर बनाए गए हैं।

2.4 इंड एस को पहली बार अपनाया

कम्पनी ने 1 अप्रैल 2017 से इंड एस को तुलनात्मक रूप से बहाल होने के साथ अपनाया है। चूंकि कम्पनी के पहले वित्तीय विवरण 2016-2017 तैयार हो चुके हैं, इसलिए परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं है। पिछली अवधि के आंकड़ों को इंड एस और अनुसूची III के अनुपालन में जहां भी आवश्यक है, पुर्नबहाल, पुर्नसंगठित और पुर्नवर्गीकृत किया गया है।



इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

वेबसाइट : www.smartcityindore.org; फोन : 0731-2535572; ईमेल : smartcityindore16@gmail.com



प्रथम इंड एस अपनाने का समाधान विवरण

3.1 समाधान – 31 मार्च, 2017 को स्टैंडअलोन बैलेन्स शीट पर 'इंड एस' का प्रभाव

	31 मार्च, 2017 को				₹ (रुपयों में)
विवरण	पूर्व जीएएपी शेष	पुनर्वर्गीकरण समायोजन	इंड एस में ले जाने पर प्रभाव	इंड एस तुलन पत्र के अनुसार	
सम्पत्तियाँ					
1. गैर-चालू सम्पत्तियाँ					
अ) सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण	4,70,44,903	-	-	-	4,70,44,903
ब) पूंजी कार्य प्रगति पर	18,51,63,810	-	-	-	18,51,63,810
स) वित्तीय सम्पत्ति					
(i) अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ	-	2,12,90,00,000	57,77,140	-	2,13,47,77,140
द) अस्थगित कर सम्पत्ति	34,10,423	-	-	-	34,10,423
	23,56,19,136	2,12,90,00,000	57,77,140	2,37,03,96,276	
1. चालू सम्पत्तियाँ					
अ) वित्तीय सम्पत्तियाँ					
(i) नकद एवं नकद समकक्ष	2,93,68,96,995	-2,12,90,00,000	-	-	80,78,96,995
ब) अन्य चालू सम्पत्तियाँ	7,41,12,680	-	-	-	7,41,12,680
	3,01,10,09,675	-2,12,90,00,000	-	88,20,09,675	
कुल सम्पत्तियाँ	3,24,66,28,811	-	57,77,140	3,25,24,05,951	
इक्विटी एवं देनदारियाँ					
इक्विटी					
अ) इक्विटी शेयर पूंजी	1,03,56,00,000				1,03,56,00,000
ब) अन्य इक्विटी	1,97,62,99,935	(1,97,28,89,512)			34,10,423
	3,01,18,99,935	-1,97,28,89,512	-	1,03,90,10,423	
देनदारियाँ					
1. गैर-चालू देनदारियाँ					
अ) परियोजना हेतु शासकीय अनुदान व्यय	-	1,95,63,12,551			1,95,63,12,551
	-	1,95,63,12,551	-	1,95,63,12,551	
2. चालू देनदारियाँ					
अ) अन्य चालू देनदारियाँ	23,47,28,876		-1,12,746		23,46,16,130
ब) ए एवं ओई व्यय हेतु शासकीय अनुदान	-	1,65,76,961	58,89,886		2,24,66,847
	23,47,28,876	1,65,76,961	57,77,140	25,70,82,977	
कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ	3,24,66,28,811	-	57,77,140	3,25,24,05,951	

समाधान नोट्स पुनर्वर्गीकृत समायोजन की व्याख्या

- 12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमाओं को इंड एस के तहत अन्य गैर चालू सम्पत्तियों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- इंड एस के तहत शासकीय अनुदानों को केवल अनर्जित आय के रूप में दर्शाया जा सकता है और इसे गैर चालू दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ए एवं ओई अनुदान को चालू दायित्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

समाधान नोट्स इंड एस समायोजन की व्याख्या

- आई.एम.सी. (होलिडिंग कम्पनी) द्वारा मुफ्त दी जाने वाली सुविधाओं को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तदनुसार इन सुविधाओं को शुरू होने के वर्ष में समायोजित किया गया है।
- विभिन्न ठेकेदारों से काटे गये/लिये गये सुरक्षा जमा को उनके जमा की वापसी अवधि के आधार पर उनके वर्तमान उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है।



इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

वेबसाइट : www.smartcityindore.org; फोन : 0731-2535572; ईमेल : smartcityindore16@gmail.com



लाभ एवं हानि विवरण 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

3.2 समाधान – 31 मार्च, 2017 को लाभ एवं हानि विवरण पर 'इंड एस' अपनाने का प्रभाव –

₹ (रुपयों में)

विवरण	पूर्व जीएपी शेष	पुनर्वर्गीकरण समायोजन	इंड एस में ले जाने पर प्रभाव	इंड एस तुलन पत्र के अनुसार
आय				
प्रचालन से प्राप्त राजस्व	9,10,000			9,10,000
अन्य आय	8,34,23,039		-58,89,886	7,75,33,153
कुल आय (अ)	8,43,33,039	-	(58,89,886)	7,84,43,153
व्यय				
कर्मचारी लाभ व्यय	0	0	9,92,727	9,92,727
वित्त लागत	175	0	0	175
अन्य व्यय	8,36,12,440	0	0	8,36,12,440
मूल्यहास से पूर्व के कुल व्यय एवं परियोजना व्यय (ब)	8,36,12,615	-	9,92,727	8,46,05,342
जोड़े :				
अ) परियोजना व्यय (राजस्व प्रकृति के)				-
ब) मूल्यहास एवं हानि व्यय				
i. प्रशासनिक सम्पत्ति के लिए	5,25,848	0	0	5,25,848
ii. परियोजना सम्पत्ति के लिए	1,94,576	0	0	1,94,576
	7,20,424	-	-	7,20,424
लाभ/(हानि) कर के पूर्व (स=अ-ब)	-	-	(68,82,613)	(68,82,613)
कर व्यय				
(1) चालू कर				-
(2) अस्थगित कर	-34,10,423			(34,10,423)
कुल कर (फ)	(34,10,423)	-	-	(34,10,423)
लाभ/(हानि) निरंतर प्रचालन वर्ष के लिए (ई-फ)	34,10,423	-	(68,82,613)	(34,72,190)
लाभ/(हानि) बंद परिचालन से	-	-	-	-
लाभ/(हानि) अवधि के लिए	34,10,423	-	(68,82,613)	(34,72,190)
अन्य व्यापक आय				
A (i) मद जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जायेगा	-	-	-	
B (i) मद जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जायेगा	-	-	68,82,613	68,82,613
कुल अन्य व्यापक आय	-	-	68,82,613	68,82,613
कुल व्यापक आय अवधि के लिए (सम्मिलित लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय अवधि के लिए)	34,10,423	-	-	34,10,423

समाधान नोट्स इंड एस समायोजन की व्याख्या

आई.एम.सी. (होलिडिंग कम्पनी) द्वारा मुफ्त दी जाने वाली सुविधाओं को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तदनुसार इन सुविधाओं को शुरू होने के वर्ष में समायोजित किया गया है।

विभिन्न ठेकेदारों से काटे गये/लिये गये सुरक्षा जमा को उनके जमा की वापसी अवधि के आधार पर उनके वर्तमान उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है।



इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

वेबसाइट : www.smartcityindore.org; फोन : 0731-2535572; ईमेल : smartcityindore16@gmail.com

प्रथम इंड एस अपनाने का समाधान विवरण

3.3 समाधान कुल व्यापक आय का 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ (रुपयों में)

विवरण	31.03.2017 को
पूर्व जीएएपी के अनुसार संशोधित लाभ	34,10,423
समायोजन :	
आईएमसी द्वारा उपलब्ध निःशुल्क सुविधाएँ (होलिडिंग कम्पनी) उचित मूल्य पर	69,67,867
वर्तमान उचित मूल्य के आधार पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा जमा	1,12,746
आईएमसी प्रतिनियुक्त स्टॉफ का वेतन का लेखाबद्ध	(9,92,727)
अतिरिक्त अनुदान जो लाभ एवं हानि खाते में स्थानांतरित किया	(60,87,886)
इंड एस में हस्तांतरण का कुल प्रभाव	-
इंड एस के अनुसार वर्ष का लाभ	34,10,423
अन्य व्यापक आय वर्ष के लिए (कर का शुद्ध)	-
इंड एस के अंतर्गत कुल व्यापक आय	34,10,423

3.4 अन्य इक्विटी का समाधान 31 मार्च, 2017 को

विवरण	31.03.2017 को
पिछली जीएएपी के अनुसार अन्य इक्विटी	1,97,62,99,935
शुद्ध समायोजन 01.04.2016 को	0
इंड एस में हस्तांतरण का प्रभाव	
अनुदान का हस्तांतरण चालू एवं गैर-चालू दायित्व में	(1,97,28,89,512)
इक्विटी का कुल समायोजन	(1,97,28,89,512)
इंड एस के अनुसार अन्य इक्विटी	34,10,423

3.5 नकद प्रवाह का समाधान 31 मार्च, 2017 को

विवरण	आईजीएपी के अनुसार	इंड एस समायोजन	इंड एस के अनुसार
शुद्ध नकद प्रवाह प्रचालन गतिविधियों से	16,13,36,620	(2,20,66,45,899)	(2,04,53,09,279)
शुद्ध नकद प्रवाह निवेश गतिविधियों से	(10,10,16,586)	(13,76,89,691)	(23,87,06,277)
शुद्ध नकद प्रवाह वित्तीय गतिविधियों से	2,87,65,76,961	21,53,35,590	3,09,19,12,551
शुद्ध बढौत्री/(घटोति) नकद एवं नकद समकक्ष में	2,93,68,96,995	(2,12,90,00,000)	80,78,96,995
नकद एवं नकद समकक्ष 1 अप्रैल 2016 को	-	-	-
नकद एवं नकद समकक्ष 31 मार्च 2017 को	2,93,68,96,995	(2,12,90,00,000)	80,78,96,995

इंड एस के तहत, जब्त खाते में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए जमा खातों में नकद शेष राशि नकद और नकद समकक्षों में शामिल नहीं है। परिणामस्वरूप, आईजीएपी और इंड एस के अनुसार नकद और नकद समकक्षों के बीच इतनी राशि का अन्तर है।





इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

स्थायी सम्पत्तियों का चार्ट

4. सम्पत्तियाँ, संयंत्र एवं उपकरण

₹ (रुपयों में)

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)	सकल ब्लॉक			मूल्यहास/हानि				शुद्ध ब्लॉक		
		01.04.2017 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती	31.03.2018 तक	31.03.2018 को	01.04.2017 को
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1.स्वामित्व वाली सम्पत्तियाँ											
अ.वास्तविक सम्पत्ति – प्रशासनिक सम्पत्ति											
1. कम्प्यूटर	3 Y	182070	1790000	-	1972070	4981	244038	-	249019	1723051	177089
		(0)	182070	-	182070	(0)	4981	-	4981	177089	0
2. एलईडी टी.वी.	5 Y	89990	0	-	89990	4778	17098	-	21876	68114	85212
		(0)	89990	-	89990	(0)	4778	-	4778	85212	0
3. स्कैनर	5 Y	515943	0	-	515943	103401	98029	-	201429	314514	412542
		(0)	515943	-	515943	(0)	103401	-	103401	412542	0
4. फोटोकॉपी मशीन	5 Y	204750	234547	-	439297	41034	59658	-	100693	338604	163716
		(0)	204750	-	204750	(0)	41034	-	41034	163716	0
5.फर्नीचर	10Y	69000	13626879	-	13695879	6914	758571	-	765486	12930393	62086
		(0)	69000	-	69000	(0)	6914	-	6914	62086	0
6.प्रिंटर	5Y	0	17480	-	17480	0	391	-	391	17089	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
7.लेपटॉप	3Y	0	110900	-	110900	0	7990	-	7990	102910	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
8.यूपीएस	5Y	0	228275	-	228275	0	15271	-	15271	213004	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
9.वेब कैम	5Y	0	5120	-	5120	0	280	-	280	4840	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10. डी.जी. सेट	10Y	0	7119710	-	7119710	0	212067	-	212067	6907643	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
कुल (अ)		1061753	23132911	0	24194664	161108	1413395	0	1574503	22620161	900645
		0	1061753	0	1061753	0	161108	0	161108	900645	0
ब.वास्तविक सम्पत्तियाँ – परियोजना सम्पत्ति											
1.कूड़ा-करकट ड्रम खाद संयंत्र	10Y	0	2999260	0	2999260	0	73379	0	73379	2925881	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.चलित/स्टैटिक ट्रांसफर स्टेशन हुक लोडर	15Y	42491845	188005011	-	230496856	364740	5445872	-	5810612	224686244	42127105
		(0)	42491845	-	42491845	(0)	364740	-	364740	42127105	0



4 के नोट्स :-

- इन्दौर स्मार्ट सिटी | 65
डेवलपमेंट लिमिटेड
द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18



5. पूंजी कार्य प्रगति पर

अ. वास्तविक सम्पत्तियाँ																			₹ (रुपयों में)
1. फर्नीचर एवं फिक्चर्स	8599191	5027688	13,626,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8599191
2. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजना का कार्य प्रगति पर																			
अ. कूड़ा करकट ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण	0	161809420																	0
ब. बायोमेथेन्टेशन प्लांट	0	85319956																	0
स. एलओडी का बायोमेडिटेशन/बायोमाइनिंग		13264048																	0
द. निर्माण एवं विध्वंस केन्द्र		39824858																	0
ई. कूड़ा करकट ड्रम खाद संयंत्र		9364456	2999260																0
फ. चलित/स्टेडि ट्रांसफार्मर स्टेशन सह हुक लोडर		14654300																	0
ज. डी.जी. सेट		4627000																	0
3. विभिन्न शास. स्कूल की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना	0	1402886	0																0
कुल (अ)	8599191	335294612	16626139	327267664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327267664	8599191
ब. अवास्तविक सम्पत्तियाँ																			
1. ईएसआरआई जीआईएस सॉफ्टवेयर (ii)	8101730	0	8,101,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8101730
2. स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजना कार्य प्रगति पर																			0
अ. सड़क परियोजना कार्य एबीडी क्षेत्र में	157063721	300798970																	457862691
ब. छत्रीपुरा थाना नवीनीकरण कार्य	0	9776230																	9776230
स. जिंसी हॉट बाजार का पुर्नविकास	4993668	26052670																	31046338
द. विरासत पुर्नविकास कार्य	762450	11035343																	11797793
ई. नदी किनारे विकास कार्य	5643050	48455748																	54098798
फ. विभिन्न स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एवं भवन विकास कार्य	14214538		14214538																14214538
कुल (ब)	176564619	410333499	8101730	578796388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578796388	176564619
कुल योग (अ+ब)	185163810	745628111	24727869	906064052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906064052	185163810
कुल योग (अ+ब+स)	186225563	768897922	24727869	930395616	161108	1421946	0	1583055	928812562	186064455									

5 के नोट्स :-

- कम्पनी ने विभिन्न मदों की खरीदी की है और उपलब्ध धन का उपयोग करके आवश्यक व्यय किये हैं, जो उपरोक्त टेबल में नोट 4ब में दिये गये हैं। उपरोक्त वस्तुओं और व्यय को सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।
- किसी वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, जब उस वस्तु पर किए गए व्यय को इकाई द्वारा पिछले घटनाओं के परिणामस्वरूप नियंत्रित संसाधन में परिणाम मिलता है और जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ इकाई में प्रवाहित होने की उम्मीद होती है। इसके अलावा, लेखा अवधि में आर्थिक लाभ से आय में वृद्धि होती है, जो कि परिसंपत्तियों के प्रवाह या वृद्धि या देनदारियों के घटने के रूप में होती है, जिसके परिणामस्वरूप इकाई में वृद्धि होती है।
- प्रबंधन का मानना है कि वस्तुओं को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देते समय 'नियंत्रण' और 'आर्थिक लाभ' की कसौटी को पूरा किया गया है।
- मदों पर 'नियंत्रण' के तहत किये गये व्यय को सम्पत्ति में वर्गीकृत किया गया है, और इन सम्पत्तियों के 'भावी आर्थिक लाभ' का प्रवाह कम्पनी को 'इन्दौर नगर पालिक निगम' के द्वारा होगा जिसका क्रियावयन 'मेमोरैंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग' के द्वारा होगा, जो अभी प्रगति पर है।

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

संलग्न नोट्स जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है

6. अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
असुरक्षित जो अच्छा माना जाता है इंड एस (आईएमसी) के तहत वसूली योग्य अग्रिम	1,09,82,576	57,77,140
अन्य बैंक शेष बैंक में स्थायी जमा (1 वर्ष के अन्दर परिपक्व)	1,55,94,00,000	2,12,90,00,000
कुल	1,57,03,82,576	2,13,47,77,140

7. अस्थगित कर सम्पत्ति/(दायित्व)

अस्थगित कर लेखा की गति निम्नानुसार है

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अस्थगित कर दायित्व		
मूल्यहास से संबंधित समय अन्तर		
कम्पनी अधिनियम के अनुसार डब्ल्यू डी वी	27,65,30,529	
आयकर के अनुसार डब्ल्यू डी वी	21,80,34,309	5,84,96,220
		1,80,75,332
अस्थगित कर आस्तियां		
धारा 35डी के तहत समय अन्तर	1,06,91,490.00	1,06,91,490
इंड एस समायोजन के तहत	1,54,42,388.15	
समय अन्तर		1,54,42,388
शुद्ध स्थगित कर सम्पत्ति/(दायित्व)		47,71,698
		(99,99,964)
वर्ष के अन्त में	99,99,964	-52,11,858

अस्थगित कर दायित्व/(सम्पत्ति) के घटक

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	प्रभार/(जमा) लाभ हानि विवरण में	31 मार्च, 2017 को
अस्थगित कर सम्पत्ति/(दायित्व) के संबंध में :			
मूल्यहास प्रभाव	(9,94,471)	(1,70,80,861)	(1,80,75,332)
धारा 35 डी	44,04,894	(11,01,223)	33,03,670
आगे बढ़ायी हुई हानि	-	-	-
सम्पत्तियाँ संयंत्र एवं उपकरण	-	-	-
दीर्घकालीन प्रावधान	-	-	-
अल्पकालीन प्रावधान	-	-	-
इंड एस समायोजन	18,01,435	29,70,263	47,71,698
कुल	52,11,858	(1,52,11,821)	(99,99,964)

8. नकद एवं बैंक शेष

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
नकद एवं नकद समकक्ष		
बैंक के पास शेष		
(i) बचत खाता	1,45,12,05,549	80,78,96,995
हस्तस्थ रोकड़	14,089	-
	1,45,12,19,638	80,78,96,995



9. अन्य चालू सम्पत्तियाँ

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
सुरक्षित, जो अच्छा माना गया		
ठेकेदार को अग्रिम	6,05,11,099	-
सुरक्षा जमा	7,97,552	-
सांविधिक प्राधिकारी के पास शेष	1,95,35,181	1,27,98,723
स्थायी जमा पर उपार्जित ब्याज	13,37,11,230	6,13,13,957
विक्रेता के अग्रिम पर उपार्जित ब्याज	4,49,863	-
रिवर्स चार्ज पर जीएसटी	1,43,194	-
अग्रिम पर जीएसटी	77,878	-
विविध प्राप्तियाँ	9,37,698	-
कर्मचारियों को अग्रिम	39,404	-
कुल	21,62,03,099	7,41,12,680

10. अंश पूंजी

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अधिकृत				
20,00,00,000 अंश पूंजी (पिछले वर्ष 20,00,00,000) 10/- रुपये प्रति जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त	20,00,00,000	2,00,00,00,000	20,00,00,000	2,00,00,00,000
20,00,00,000 समता अंश (पिछले वर्ष 10,35,60,000) 10/- रुपये प्रति	20,00,00,000	2,00,00,00,000	10,35,60,000	1,03,56,00,000
कुल	20,00,00,000	2,00,00,00,000	10,35,60,000	1,03,56,00,000

वर्ष के प्रारम्भ में एवं अन्त में बकाया समता अंशों की संख्या का समाधान

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	10,35,60,000	1,03,56,00,000	-	-
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी किये अंश	9,64,40,000	96,44,00,000	10,35,60,000	1,03,56,00,000
वर्ष के अन्त में बकाया अंश	20,00,00,000	2,00,00,00,000	10,35,60,000	1,03,56,00,000

धारित कम्पनी/सहयोगी कम्पनी एवं अंशधारकों द्वारा कंपनी में 5% अंश से अधिक धारण किये अंश

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	धारित अंशों की संख्या	धारिता का %	धारित अंशों की संख्या	धारिता का %
समता अंश				
मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	10,00,00,000	50.00%	5,17,80,000	50.00%
इन्दौर नगर पालिक निगम	10,00,00,000	50.00%	5,17,80,000	50.00%

शर्तें/अंशधारकों के अधिकार
(i) समता अंश
(अ) मतदान

(i) कम्पनी के पास समता अंशों का एक वर्ग है जिसका सममूल्य प्रति अंश 10 रुपये है। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश एक वोट के लिए पात्र है।

परिसमापन की स्थिति में, समता अंशधारक अपने अंशों के अनुपात में सभी आवश्यक राशि के वितरण के बाद कम्पनी की बची हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के पात्र है।



11. अन्य चालू सम्पत्तियाँ

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(अ) आधिक्य/(घाटा) लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	52,11,858	-
जोड़े : इंड एएस समायोजन का प्रभाव (शुद्ध)		
वर्ष का लाभ/(हानि)	(1,52,11,821)	52,11,858
कुल	(99,99,964)	52,11,858

12. परियोजना व्यय हेतु शासकीय अनुदान

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परियोजना व्यय के लिए प्राप्त अनुदान		
प्रारंभिक शेष	1,95,63,12,551	-
प्राप्त अनुदान –		
(i) म.प्र. शासन	1,00,00,00,000	48,22,00,000
(ii) केन्द्र शासन	-	1,34,22,00,000
जोड़े : स्थायी जमा में रखी निष्क्रिय अनुदान से प्राप्त ब्याज	24,92,33,636	13,19,12,551
घटायें : वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	(96,44,00,000)	-
घटायें : ए एंड ओई व्यय से संबंधित अनुदान	(10,00,00,000)	-
घटायें : परियोजना व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान (राजस्व प्रकृति के)	(2,31,15,839)	-
कुल	2,11,80,30,348	1,95,63,12,551

13. अन्य गैर चालू दायित्व

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
रुकी हुई सुरक्षा जमा – परियोजना	1,28,72,291	1,10,813
अन्य रुकी हुई सुरक्षा जमा	3,67,869	4,73,521
कुल	1,32,40,160	5,84,334

14. अन्य चालू दायित्व

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
परियोजना व्यय के देनदार	19,81,61,351	4,48,85,084
अन्य व्यय के देनदार	3,34,84,511	18,86,85,257
रुकी हुई सुरक्षा जमा – परियोजना	1,26,25,710	-
अन्य रुकी हुई सुरक्षा जमा	7,14,702	-
वाणिज्यिक कर	1,32,386	3,07,636
देय जीएसटी	4,32,396	-
देय टीडीएस	6,60,985	-
ईपीएफ कर्मचारी योगदान	1,45,722	-
ईएसआई कर्मचारी योगदान	9,499	-
ईपीएफ नियोक्ता योगदान	1,40,343	-
ईएसआई नियोक्ता योगदान	25,793	-
श्रम कर	55,69,855	1,53,819
व्यवसायिक कर	2,500	-
कुल	25,21,05,753	23,40,31,796



15. अन्य इक्विटी

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
प्रारंभिक शेष	2,24,66,847	
ए एंड ओई व्यय हेतु प्राप्त अनुदान	10,00,00,000	
घटायें : व्यय तक लाभ हानि विवरण में मान्य	97,062,080	
जोड़े : अन्य व्यापक आय में समायोजन ओ एंड एई व्यय के प्रति लाभ एवं हानि खाते में मान्य	1,16,18,867	3,70,23,634
	8,54,43,213	2,24,66,847
कुल	3,70,23,634	2,24,66,847

16. प्रचालन से राजस्व

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
ई-प्रोक्योरमेंट शुल्क	38,27,610	9,10,000
विज्ञापन आय	20,44,125	-
विघटित बिजली सामग्री	3,41,197	-
ईएमडी की जब्ती	40,496	-
विक्रेताओं से ब्याज	10,08,992	-
श्रम उपकर संग्रह शुल्क की वसूली	56,261	-
कुल	73,18,681	9,10,000

17. अन्य आय

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
शासकीय अनुदान		
अ) प्रशासनिक अनुदान से स्थानांतरित राशि	8,54,43,213	7,75,33,153
ब) परियोजना अनुदान से स्थानांतरित राशि	2,31,15,839	-
कुल	10,85,59,052	7,75,33,153

18. कर्मचारी लाभ व्यय

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वेतन एवं मजदूरी	1,02,56,047	18,45,137
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	1,66,136	-
कुल	1,04,22,183	18,45,137

19. वित्त लागत

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
बैंक शुल्क	58	175
सुरक्षा जमा पर ब्याज	57,426	-
	57,484	175



20. अन्य व्यय

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
व्यवसायिक शुल्क	19,17,514	10,99,401
ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन	-	80,500
ऑफिस व्यय	25,786	3,600
प्रारम्भिक व्यय	-	1,78,19,150
ऑडिट फीस	51,500	57,500
प्रदत्त पूंजी में बढ़ोतरी पर आरओसी शुल्क	9,64,400	10,34,600
फोटोकॉपी एवं बाईडिंग शुल्क	22,779	38,142
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी शुल्क	-	45,980
स्मार्ट सिटी के शुरुआती व्यय	-	2,10,88,332
विज्ञापन व्यय	83,12,291	93,00,600
व्यवसायिक कर योजना	23,28,452	4,89,532
परियोजना विकास हेतु व्यवसायिक शुल्क	1,07,48,584	43,12,500
परियोजना प्रबंधन सलाहकार	6,11,18,290	2,73,90,193
परिसर का किराया	7,07,054	-
विद्युत व्यय	3,39,405	-
एन्टीवायरस	7,280	-
व्यवसाय संवर्धन शुल्क	19,000	-
विद्युत व्यय (श्री साई बाबा)	3,337	-
प्राथमिक उपचार बॉक्स, अग्निशामक, एंटी स्कड टेप	29,390	-
जीएसटी शुल्क	1,400	-
जीएसटी ब्याज	251	-
रिवर्स चार्ज पर जीएसटी	-	-
प्लॉटर स्केनर का हेड	28,811	-
हाउस कीपींग	28,82,314	-
उद्घाटन व्यय	95,533	-
स्थापना शुल्क	4,000	-
टीडीएस पर ब्याज	75,352	-
लेंडलाईन व्यय	2,540	-
ऑफिस व्यय	6,94,825	-
प्रदर्शनी एवं सम्मेलन हेतु भागीदारी शुल्क	3,76,994	-
ब्राशर बुकलेट एवं फ्लेक्स की छपाई	25,960	-
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी शुल्क	4,800	-
गीला एवं सूखा कचरा के रेडियम स्टीकर	38,114	-
स्टेशनरी	2,99,610	-
टेलीफोन	1,18,762	-
यात्रा शुल्क	1,87,540	-
वाहन किराया शुल्क	6,18,112	-
आरओसी व्यय	21,000	-
व्यवसायिक कर	2,500	-
कुक्कुट के टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण की सेवा	2,13,879	-
सलज हाइजीनेशन व्यय	1,91,789	-
कुल	9,24,79,148	8,27,60,030



21. परियोजना व्यय (राजस्व प्रकृति के)

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
छत्रीबाग का संरक्षण एवं बहाली	1,41,03,183	-
कुल	1,41,03,183	-

22. अन्य व्यापक आय

₹ (रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(अ) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जायेगा	-	-
कुल (अ)	-	-
(ब) मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनःवर्गीकृत किया जायेगा		
(i) आईएमसी से मान्यता प्राप्त से उचित मूल्य पर मुफ्त सहायता	71,54,374.00	67,69,867.00
(ii) उचित मूल्य पर सुरक्षा जमा	44,64,493.00	1,12,746.00
कुल (ब)	1,16,18,867.00	68,82,613.00

23. इंड एस के अनुसार "कर्मचारी लाभ", का खुलासा निम्नानुसार है:

परिभाषित योगदान योजनाएं

"परिभाषित योगदान योजना" में योगदान, व्यय के रूप में मान्य निम्न है :

₹ (रुपयों में)

विवरण	2017-18	2016-17
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	1,40,343	-

परिभाषित लाभकारी योजनाएँ

किसी भी कर्मचारी ने सेवा के 5 वर्ष पूर्ण नहीं किये हैं, अतः कम्पनी ने कोई भी परिभाषित लाभकारी योजना कर्तव्य एवं व्यय को मान्यता नहीं दी है।

24. लेखा परीक्षक को भुगतान :

₹ (रुपयों में)

विवरण	2017-18	2016-17
(अ) लेखा परीक्षक सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	50,000	50,000
(ब) प्रमाणीकरण एवं सलाहकारी शुल्क सेवा कर	-	-
कुल	50,000	50,000



		₹ (रुपयों में)	
25	प्रति अंश आय (ईपीएस)	2017-18	2016-17
i)	शुद्ध लाभ कर के बाद, लाभ एवं हानि के विवरण अनुसार समता अंशधारकों को दिया जाने वाला	(1,52,11,821)	52,11,858
ii)	समता अंशों की भारित औसत संख्या विभाजक के तौर पर आधारभूत ईपीएस की गणना के लिए	20,00,00,000	10,35,60,000
iii)	भारित औसत संभावित समता अंश	-	-
iv)	समता अंशों की कुल भारित औसत संख्या विभाजक के तौर पर मिश्रित ईपीएस की गणना के लिए	20,00,00,000	10,35,60,000
v)	बुनियादी आय प्रति अंश (रु.)	(0.08)	0.05
vi)	मिश्रित आय प्रति अंश (रु.)	(0.08)	0.05
vii)	प्रति अंश का अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00

26 संबंधित पक्षों का खुलासा

(i) इंड एस 24 के तहत, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा निम्नानुसार है :

संबंधित पक्षों की सूची जहाँ नियंत्रण मौजूद है और संबंधित पक्ष जिनके साथ लेनदेन हुआ है और उनके साथ रिश्ते
₹ (रुपयों में)

क्र.सं.	संबंधित पक्ष	रिश्तेदारी
1.	श्री रोहन सक्सेना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
2.	सी ए संतोष काग	मुख्य वित्त अधिकारी (31.03.2017 तक)
3.	सी एस अनुराग कुमार सक्सेना	कम्पनी सचिव
4.	सी ए रचना गौड़	मुख्य वित्त अधिकारी (29.09.2017 से)

(ii) संबंधित पक्षों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन

₹ (रुपयों में)

क्र.सं.	संबंधित पक्ष	वेतन 2017-2018	वेतन 2016-2017
1	सी ए संतोष काग	-	4,62,727
2	सी एस अनुराग कुमार सक्सेना	7,03,950	3,89,683
3	सी ए रचना गौड़	4,24,667	-

(iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मों को क्षतिपूर्ति

प्रमुख प्रबंधन कर्मों के निदेशक एवं अन्य सदस्यों के वेतन वर्ष के दौरान निम्नानुसार रहे :

₹ (रुपयों में)

		2017-18	2016-17
i	अल्प कालीन लाभ	-	-
	कुल	-	-



27 आकस्मिक दायित्व एवं प्रतिबद्धताएँ

(I) आकस्मिक दायित्व

	2017-18	2016-17
(अ) कम्पनी/विवादित देनदारियों के विरुद्ध दावा बकाया के रूप में स्वीकार नहीं	निरंक	निरंक
(ब) गारंटी बकाया गारंटी बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को दी गई जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट शामिल है	निरंक	निरंक
(स) अन्य धन जिसके लिए कम्पनी आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	निरंक	निरंक
(i) बैंक में बिल छूट संबंधी दायित्व (तृतीय पक्ष बिल छूट भी शामिल)		
(II) प्रतिबद्धताएँ		
(अ) अनुमानित अनुबंधित राशि जो पूंजी खाते में निष्पादित करना बाकी है एवं उपलब्ध नहीं है	331.21 करोड़	50.25 करोड़
(ब) अन्य प्रतिबद्धताएँ	निरंक	निरंक

28. पूंजी प्रबंधन

कम्पनी एक मजबूत पूंजी प्रबंधन का पालन करती है जिसे निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा रेखांकित किया गया है :-

- अ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एएए रेटिंग और निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त करने के लिए वित्तीय ताकत बनाए रखना।
 - ब) वित्तीय लचीलापन सुनिश्चित करें और निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए तरलता जोखिम को कम करने के लिए वित्तपोषण के स्रोतों और उनकी परिपक्वता में विविधता लाएं।
 - स) तुलन पत्र की ताकत और लचीलापन को बनाए रखते हुए अंशधारक रिटर्न को अधिकतम करने के लिए बेहतर तरीके से उत्तोलन करें।
- “यह ढांचा व्यवसायिक वातावरण, वित्तीय बाजार की स्थितियों और ब्याज दरों के वातावरण को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित मैक्रो-आर्थिक कारकों के आधार पर समायोजित किया जाता है।”
- रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में गियरिंग अनुपात इस प्रकार से था :-

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
गैर-चालू देयताएं (डीटीएल के अलावा)	2,14,12,70,472	1,95,68,96,885
दीर्घकालीक ऋणों की वर्तमान परिपक्वताएं	-	-
सकल ऋण	2,14,12,70,472	1,95,68,96,885
नकद एवं नकद समकक्ष	1,45,12,19,638	80,78,96,995
शुद्ध ऋण (अ)	69,00,50,834	1,14,89,99,890
कुल इक्विटी (तुलन पत्र के अनुसार) (ब)	1,99,00,00,036	1,03,03,88,142
शुद्ध गियरिंग (अ/ब)	0.35	1.12

29. वित्तीय उपकरण

सभी वित्तीय उपकरणों शुरू में मान्यता दी जाती है और बाद में उचित मूल्य पर निम्न अनुसार फिर से नापा जाता है

(अ) उचित मूल्य के मापतोल का अनुक्रम

विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
वित्तीय सम्पत्तियाँ		
लागत मूल्य पर		
अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ	1,55,94,00,000	2,12,90,00,000
बढ़ी हुई लागत पर		
अन्य वित्तीय सम्पत्तियाँ	1,09,82,576	57,77,140
वित्तीय दायित्व	-	-



उचित मूल्य माप पदानुक्रम की व्याख्या

कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों को मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जायेगा। भी परिसम्पत्तियां और देयताएं जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है, जो निम्न स्तर पर आधारित होता है, जो कि न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर होता है, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 – स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडेड बांड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिन्होंने कीमत उद्धृत की है। सभी इक्विटी उपकरणों (बांड सहित) जिसका स्टॉक एक्चेंज में कारोबार किया जाता है, के उचित मूल्य का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि में समापन मूल्य पर किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2 – वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जिसका सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, व्यापार बांड, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, जो कि पर्यवेक्षित बाजार डेटा का उपयोग अधिकतम करते हैं और जितना संभव हो उतना इकाई-विशिष्ट अनुमान पर कम भरोसा करते हैं। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया गया है।

स्तर 3 – यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनार्थ बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया गया है। यह गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का मामला है, जो आकस्मिक विचार को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

विदेशी मुद्रा जोखिम :

कम्पनी का किसी भी विदेशी मुद्रा में कोई व्यवहार नहीं है। इसलिए कम्पनी के पास कोई जोखिम नहीं है और विदेशी मुद्रा के साथ किसी भी जोखिम सहयोगियों से मुक्त है।

किसी भी विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव पर कम्पनी के लाभ/हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ब्याज दर जोखिम

कम्पनी का स्थायी जमा में वित्तीय सम्पत्तियों की जोखिम समीक्षाधीन अवधि के अन्त में ब्याज दरों में बदलाव के लिए प्रभावित होगा। विवरण निम्नानुसार है :-

ब्याज दर जोखिम			₹ (रुपयों में)
विवरण	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को	
वित्तीय सम्पत्तियाँ			
बैंक में दीर्घकालीन स्थायी जमा	1,55,94,00,000	2,12,90,00,000	
कुल	1,55,94,00,000	2,12,90,00,000	

1% ब्याज दर में बदलाव से वर्ष में ब्याज व्यय पर प्रभाव

ब्याज दर संवेदनशीलता

₹ (रुपयों में)				
विवरण	31 मार्च, 2018 को		31 मार्च, 2017 को	
	उपर की ओर	नीचे की ओर	उपर की ओर	नीचे की ओर
इक्विटी पर प्रभाव				
लाभ एवं हानि पर प्रभाव	1,84,42,000.00	1,84,42,000	2,12,90,000.00	2,12,90,000
कुल प्रभाव	1,84,42,000	1,84,42,000	2,12,90,000	2,12,90,000

उधार जोखिम

उधार जोखिम वह जोखिम होता है जो किसी वित्तीय साधन के लिये कोई ग्राहक या प्रतिपक्ष कम्पनी राशि का प्रदर्शन या भुगतान करने में विफल रहता है जिसकी वजह से कम्पनी को वित्तीय नुकसान होता है। उधार जोखिम मुख्य रूप से काम के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को दिये गए अग्रिमों से उत्पन्न होता है।

कम्पनी के पास अपनी व्यवसायिक गतिविधियों के दौरान अपने उधार जोखिम के प्रबंधन के लिए एक विवेकपूर्ण और पारम्परिक प्रक्रिया है। ग्राहकों की क्रेडिट रेटिंग/बाजार का मूल्यांकन नियमित आधार पर किया जाता है।



तरलता जोखिम

समय पर अपनी नकदी प्रवाह प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कम्पनी की अक्षमता से तरलता जोखिम उत्पन्न होता है। विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य नकदी के पर्याप्त भंडार को बनाए रखना है। कम्पनी पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य रखता है, साथ में तरलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए उधारी की सीमा की आवश्यकता होती है।

वित्तीय देनादारियों के लिए परिपक्वता विश्लेषण

वित्तीय देनदारियों की शेष संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित है :-

31 मार्च 2018 को

विवरण	एक वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
गैर-यौगिक				
वापसीयोग्य सुरक्षा जमा	3,72,612	3,09,35,775	1,64,610	3,14,72,997
यौगिक (एन.ए.)				

31 मार्च 2017 को

विवरण	एक वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
गैर-यौगिक				
वापसीयोग्य सुरक्षा जमा	—	6,97,080	—	6,97,080
यौगिक (एन.ए.)				

परिचालन ठेके

कम्पनी ने परिचालन पट्टे पर कोई सम्पत्ति नहीं ली है। हालांकि इन्दौर नगर निगम ने इसके संचालन के लिए कम्पनी को अपनी इमारत प्रदान की है। वर्ष के लिए व्यय के रूप में लाभ और हानि के लिए समान किराया व्यय प्रदान किए गए हैं।

30. कम्पनी मुख्य रूप से इन्दौर शहर में “स्मार्ट सिटी मिशन” के कार्यान्वयन में लगी हुई है। इसलिए अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

31. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186(4) के अधीन दिये गये ऋण, किया गया निवेश एवं दी गई गारंटी

कम्पनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है और न ही कोई गारंटी दी है जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186(4) के अधीन है।

32. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

निदेशक मंडल ने, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लाभांश के रूप में रु. निरंक पूर्ण रूप से भुगतान किये गये 10/- रु. प्रति समता अंश का, कुल रु. निरंक जिसमें लाभांश वितरण कर शामिल है, की सिफारिश की है।

33. वित्तीय विवरण का अनुमोदन

निदेशक मंडल ने 20 दिसम्बर 2018 को जारी करने के लिए वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी है।

यहाँ तक की दिनांक तक हमारा प्रतिवेदन

गुमा एंड अशोक हेतु

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन क्र. 002254सी

हस्ता/-

(सी.ए. अशोक अग्रवाल)

भागीदार

एम. नं. 071274

निदेशक मंडल की ओर से एवं हेतु

हस्ता/-

(निशांत वरवडे)

अध्यक्ष

डीआईएन 05340409

हस्ता/-

(रचना गौड़)

मुख्य वित्त अधिकारी

एम.नं. 410808

हस्ता/-

(आशीष सिंह)

कार्यकारी निदेशक

डीआईएन 07636828

हस्ता/-

(अनुराग कुमार सक्सेना)

कम्पनी सचिव

एम.नं. एफ8115

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 20.12.2018



Indore Smart City Development Limited

Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P., 452003
Ph. No.: 0731-2535572; E-mail: smartcityindore16@gmail.com
CIN: U75100MP2016SGC035528; Website: www.smartcityindore.org

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 2nd Annual General Meeting of the Members of the Company shall be held on Saturday, the 22nd day of December 2018 at 4.00 PM at the Registered Office of the Company at Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003 to transact the following business.

I. ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet and Statement of Profit & Loss of the Company for the year ended 31st March, 2018 together with the Board's Report & Independent Auditor's Report thereon.
2. To appoint a Director in place of Mr. Shankar Yadav (DIN: 07683903), who retires by rotation and, being eligible, offer himself for re-appointment.
3. To appoint a Director in place of Mr. Rajesh Nagal (DIN:07084452), who retires by rotation and, being eligible, offer himself for re-appointment.
4. To appoint a Director in place of Mr. Gajra Mehta (DIN:07578666), who retires by rotation and, being eligible, offer himself for re-appointment.
5. To take on record the appointment of Statutory Auditors of the company.

Place: Indore

Date: 20/12/2018

**For & on behalf of Board of Directors of
Indore Smart City Development Limited**

Sd/-

**Anurag Kumar Saxena
Company Secretary
FCS No.:8115**

NOTE:

1. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member. Proxy in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the Meeting
2. All documents referred to in the accompanying Notice and Statutory Register(s) are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays between 11.00 A.M. to 1.00 P.M.
3. Members desire of obtaining any information concerning Accounts and Operations of the Company are requested to address their questions in writing to the Company at least 1 days before the date of the Meeting.



Form No. MGT-11

Proxy Form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN: U75100MP2016SGC035528

Name of the Company: Indore Smart City Development Limited

Registered office: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003

Name of the member (s):

Registered address:

Email ID:

Folio No.:

I/We, being the members of shares of the above named company, hereby appoint

1. **Name:**
Address:
Email ID:
Signature:or failing him
2. **Name:**
Address:
Email ID:
Signature:or failing him
3. **Name:**
Address:
Email ID:
Signature:

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the **2nd Annual General Meeting** of the Company, to be held on **Saturday, the 22nd day of December 2018 at Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003** and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

1.
2.
3.
4.
5.

Signed this.....day of2018.

Signature of shareholder(s)

Signature of Proxy holder(s)

Affix
Revenue
Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Notes:

1. Proxy to be deposited at the Registered Office of the Company, not later than FORTY-EIGHT hours before the meeting.
2. All alterations made in the Form of Proxy should be initialed.
3. Please affix appropriate Revenue Stamp before putting signature.
4. In case of multiple proxies, proxy later in time shall be accepted.
5. A proxy need not be a shareholder of the Company.



Notice for adjourned Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 2nd Annual General Meeting of the Members of the Company which was scheduled on Saturday, the 22nd day of December 2018 at 4.00 PM at the Registered Office of Company has been stands adjourned for want of Quorum, the adjourned Meeting shall be held on the same day, in the next week at the same time and place.

Your good self is requested to kindly make it convenient to attend the meeting.

Thanking you.

Yours' faithfully
For Indore Smart City Development Limited

Place : Indore
Date : 22.12.2018

Sd/-
Anurag Kumar Saxena
(Company Secretary)

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **adjourned** 2nd Annual General Meeting of the Members of the Company shall be held on Thursday, the 26th day of September 2019 at 2.15 PM at the Registered Office of the Company at Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003 to transact the following business.

I. ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the comments from Comptroller and Auditor-General of India on Financial Statement, Auditors' Report etc. for the year ended 31st March, 2017 as Annexure to Board's Report.
2. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet and Statement of Profit & Loss of the Company for the year ended 31st March, 2018 together with the Board's Report & Independent Auditor's Report with comments from Comptroller and Auditor-General of India thereon.

Place: Indore
Date: 26.09.2019

By order of Board of Directors of
Indore Smart City Development Limited
Sd/-
Anurag Kumar Saxena
Company Secretary
FCS No.:8115

NOTE:

1. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member. Proxy in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the Meeting.
2. All documents referred to in the accompanying Notice and Statutory Register(s) are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays between 11.00 A.M. to 1.00 P.M.
3. Member's desire of obtaining any information concerning Accounts and Operations of the Company are requested to address their questions in writing to the Company at least 1 day before the date of the Meeting.



Form No. MGT-11

Proxy Form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN: U75100MP2016SGC035528

Name of the Company: Indore Smart City Development Limited

Registered office: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003

Name of the member (s):

Registered address:

Email ID:

Folio No.:

I/We, being the members of shares of the above named company, hereby appoint

1. **Name:**
Address:
Email ID:
Signature:or failing him
2. **Name:**
Address:
Email ID:
Signature:or failing him
3. **Name:**
Address:
Email ID:
Signature:

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the **2nd Adjourned Annual General Meeting** of the Company, to be held on **Thursday, the 26th day of September 2019 at Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003** and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

1.
2.

Signed this.....day of2019.

Signature of shareholder(s)

Signature of Proxy holder(s)

Affix
Revenue
Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Notes:

1. Proxy to be deposited at the Registered Office of the Company, not later than FORTY-EIGHT hours before the meeting.
2. All alterations made in the Form of Proxy should be initialed.
3. Please affix appropriate Revenue Stamp before putting signature.
4. In case of multiple proxies, proxy later in time shall be accepted.
5. A proxy need not be a shareholder of the Company.



BOARD'S REPORT

To,
The Members,
Indore Smart City Development Limited,
Indore

The Directors of your company are pleased to present the 2nd Board's Report together with the Audited Financial Statements of the Company for the year ended on 31st March, 2018;

1. STATE OF AFFAIR, FINANCIAL PERFORMANCE AND FUTURE OUTLOOK

i) FINANCIAL RESULTS

The Financial Results for the year ended 31st March 2018 have been summarized as under:

(Amount in Rs.)

Particulars	Current Year	Previous Year
Revenue from Operation	73,18,681	9,10,000
Total expenditure incurred towards the project charged to P&L	1,41,03,183	0
Other Income (Grant Transferred to P&L)	10,85,59,052	7,75,33,153
Total expense incurred towards the administrative expense met out from the grant received	10,29,01,389	8,46,05,342
Profit/loss before providing Depreciation and Interest	(11,26,839)	(61,62,189)
Less: Depreciation	1,04,34,602	7,20,424
Interest	57,426	0
Profit/loss after Depreciation	(1,16,18,867)	(68,82,613)
Less: Exceptional Item	0	0
Less: Extraordinary Item	0	0
Less: Current Tax	0	0
Less: Deferred Tax	1,52,11,821	(52,11,858)
Profit /Loss after taxation	(2,68,30,688)	(16,70,755)

It may be please noted that this year the company has to prepare its accounts under Ind AS as required by u/s 133 of the Companies Act 2013, hence certain adjustments have been made considering the requirements under Indian Accounting Standards. The figures for the previous year have also been rearranged as required by Indian Accounting Standards.

ii) OPERATIONS AND PERFORMANCE REVIEW

The Company was formed as SPV under the Smart City Mission of Government of India to develop the City of Indore as Smart City by overall development of city in terms of heritage, spiritual, infrastructure, transportation, Solid waste management, education and technological smart solution in day to day activities of resident.



The overall performance of the company towards the development of the project seems to be Improving and towards its main object of the company.

The Company, on its part has taken various initiatives to improve its operating efficiency and revenue earning potential to bring profitability of Company. Your Directors are committed to take stringent measures to ensure Company's success in this challenging and competitive capital markets industry.

iii) **TRANSFER TO RESERVES**

The Company has not transferred any amount to General Reserve during the year under review.

iv) **DIVIDEND**

Due to requirement of funds and to strengthen the capital base of the Company, your Directors do not recommend any dividend for the Financial Year ended on March 31, 2018.

v) **CHANGE IN NATURE OF BUSINESS**

During the year under review there was no change in business activity of the Company.

vi) **MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS AFFECTING FINANCIAL POSITION BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR AND DATE OF REPORT**

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company occurred between the ends of the financial year to which this financial statement relate on the date of this report.

2. **CAPITAL AND DEBT STRUCTURE**

i) **CHANGES IN SHARE CAPITAL**

During the Financial Year under review, the company had received Grants from Government of India and Government of Madhya Pradesh and this amount was required to be utilized to raise the Share Capital of the Company upto Rs. 200.00 Crore.

In this connection, in the Board Meeting held on 23rd December 2017, the Company has offered total 9,64,40,000 (Nine Crore Sixty Four Lakh Forty Thousand) Equity Shares for exiting 10,35,60,000 equity shares to shareholders of the Company in proportion to their holding as beneficial owner as on 23.12.2017 for cash at par. The Letter of Offer was issued on 23.12.2017 for such Right Issue of Shares and the offer was opened from 10:00 AM Thursday, 28th December, 2017 to 06:00 PM, Thursday, 11th January, 2018 (both days inclusive). The Share Applications had been received by the Company from MPUDCL and IMC (the 'beneficial owners') against such Letter of Offer.

Consequently, total 9,64,40,000 Equity Shares at Rs. 10/- amounting to Rs. 96,44,00,000 were allotted to the applicants ('Indore Municipal Corporation' and 'Madhya Pradesh Urban Development Co.



Limited') on 31.03.2018. After such allotment the Company's total paid-up capital had been increased from Rs. 103.56 Crore to Rs. 200.00 Crore which was also required in terms of Mission Statement and Guidelines for Smart City.

Except above there was no change in capital structure of the company and there are no outstanding shares issued with differential rights.

ii) DISCLOSURE REGARDING ISSUE OF SWEAT EQUITY SHARES

The Company does not have issued Sweat Equity Shares pursuant to provisions of Section 54 read with Rule 8 of Companies (Share Capital and Debenture Rules, 2014) during the Financial Year.

iii) DISCLOSURE REGARDING ISSUE OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS

The Company does not have issued shares under Employee's Stock Options Scheme pursuant to provisions of Section Rule 12(9) of Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014. So question does not arise about voting rights not exercised by employee.

3. MANAGEMENT

i) DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

During the year under review, Prof. Rishikesha Thiruvenkata Krishnan was appointed as Independent Director of the Company w.e.f. 12.05.2017. Shri Mohit Bundas w.e.f. 23.06.2017, Shri Ashwini Kumar w.e.f. 14.09.2017, Shri Nishant Warwade w.e.f. 18.09.2017, Dr. Manju Sharma w.e.f. 18.12.2017 and Shri Gautam Singh w.e.f. 20.12.2017 has joined the Board of ISCDL as Nominee Directors.

Shri Parikipandla Narahari from 18.09.2017, Shri Kumar Vinay Pratap from 14.09.2017, Shri Rakesh Singh from 18.09.2017 and Shri Mohit Bundas from 18.12.2017 cease to hold Directorship in the Company.

During the running financial year 2018-19, the appointment of Shri Asheesh Singh, Shri Rahul Jain, Shri Kumar Purushottam and Shri Swatantra Kumar Singh was done w.e.f. 18.05.2018, 16.07.2018, 17.07.2018 and 12.11.2018 respectively as Nominee Directors of the Company and Ar. Deepti Vyas have joined the Board as Independent Director w.e.f. 12.11.2018. Further, Shri Manish Singh, Shri Surendra Singh Rajpoot, Dr. Manju Sharma and Shri Gautam Singh ceased to hold Directorship in the Company w.e.f. 18.05.2018, 16.07.2018, 16.07.2018 and 17.07.2018 respectively. Apart from this, the office of Shri Krishna Kumar Songaria was vacated u/s 167 of the Companies Act 2013 w.e.f. 01.04.2018 and he was further re-appointed w.e.f. 15.06.2018.

In case of appointment of Shri Ashwini Kumar and cessation from holding directorship by Shri Kumar Vinay Pratap are done in compliance of order issued by MoHUA, GoI and other changes in Board of ISCDL are done after obtaining prior approval of MPUDCL.



The Company has also placed the Code of Conduct for Independent Directors. This Code is a guide to professional conduct for Independent Directors. Independent Director adhere these standards and fulfilled their responsibilities in a professional and faithful manner.

Smt. Rachana Gaur was appointed as Chief Financial Officer of the Company w.e.f. 29.09.2017.

Except above there was no change in Directors and Key Managerial Personnel of the Company.

Shri Gajra Mehta, Shri Rajesh Nagal and Shri Shankar Yadav are liable to retire by rotation at ensuing Annual General Meeting and being eligible offer themselves for reappointment.

ii) INDEPENDENT DIRECTOR/S

Company is required to appoint minimum number of Independent Directors in the board for compliance with the Companies Act 2013. Presently Company has two Independent Directors. Prof. Rishiksha Thiruvankata Krishnan was appointed w.e.f. 12.05.2017 and Ar. Deepti Vyas have joined the Board w.e.f. 12.11.2018 as Independent Directors.

Prof. Rishiksha Thiruvankata Krishnan is alumnus of IIT Kanpur, Stanford Academy and IIT Ahmedabad. He was visiting scholar to University of Pennsylvania. He was listed among the Thikner50 India most influential thinker in management (year 2013). He was member of various committees of Government of India, NASSCOM and CII. His good experience, vision and background shall contribute for the smart city project and progress of the Company.

Mrs. Vyas is a practicing Architect Registered with Council of Architecture, India, M.Tech. in Town Planning from Sardar Patel University, Gujrat, an ECBC Architect empanelled with Bureau of Energy Efficiency (BEE), Govt. India and a Government Registered Valuer under Wealth Tax Act. She is having experience of 25 years in the fields of planning and Architect. She has Certificate of Entrepreneur programme from Indian School of Business (ISB), Hyderabad and also having Membership of many institutes and societies. She had worked Joint Secretary of Institute of Town Planners, M.P. Regional Chapter, Bhopal, Council Member of Institute of Town Planners, M. P. Chapter, Bhopal & Indian Institute of Architects, M.P. Chapter and Hon. Secretary, Indian Institute of Architect M.P. Chapter. Under the Smart City Project, Planning is the one of the core infrastructure element and being an Architect, Mrs. Deepti Vyas is valuable source of inputs in smart city mission.

iii) STATEMENT ON DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTOR

The Company has received declarations from the Independent Directors of the company confirming that he/she meet the criteria of independence under sub-section (6) of Section 149 of the Act.

iv) DISQUALIFICATIONS OF DIRECTORS

During the year declarations received from the Directors of the Company pursuant to Section 164 of the Companies Act, 2013. Board appraised the same and found that none of the director is disqualified for holding office as director.



v) DETAILS OF BOARD MEETINGS

During the year under review Five (5) meetings of the Board of Directors were held on, 29.06.2017, 29.09.2017, 16.11.2017, 23.12.2017 and 31.03.2018 and in respect of which proper notices were given and proceedings were properly recorded in Minutes Book. The details of Board Meetings are as follows:-

Sr. No.	Director	No. of Board Meetings		Attendance at the previous Annual General Meeting held on 23.12.2017
		Held	Attended	
1	Shri Parikipandla Narahari	1	0	NA
2	Shri Manish Singh	5	4	Yes
3	Shri Kumar Vinay Pratap	1	0	NA
4	Shri Rakesh Singh	1	1	NA
5	Shri Rajesh Nagal	5	2	No
6	Shri Gajra Mehta	5	4	Yes
7	Shri Krishna Kumar Songaria	5	0	No
8	Shri Surendra Singh Rajpoot	5	2	Yes
9	Shri Shankar Yadav	5	4	Yes
10	Prof. Rishiksha Thiruvankata Krishnan	5	2	No
11	Shri Mohit Bundas	3	0	NA
12	Shri Ashwini Kumar	4	2	No
13	Shri Nishant Warwade	4	4	Yes
14	Dr. Manju Sharma	2	0	No
15	Shri Gautam Singh	2	1	Yes
16	*Shri Asheesh Singh	-	-	-
17	*Shri Krishna Kumar Songaria	-	-	-
18	*Shri Rahul Jain	-	-	-
19	*Shri Kumar Purushottam	-	-	-
20	* Shri Swatantra Kumar Singh	-	-	-
21	*Ar. Smt. Deepti Vyas	-	-	-

***Note:** Appointment of Shri Asheesh Singh, Shri Rahul Jain, Shri Kumar Purushottam, Shri Swatantra Kumar Singh, Ar. Smt. Deepti Vyas and re-appointment of Shri Krishna Kumar Songaria was done during the financial year 2018-19.



vi) AUDIT COMMITTEE

The Company is required to constitute Audit Committee under Section 177 (1) of Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. Company has constituted Audit Committee in the Board Meeting held on 16.11.2017 with one Independent Director and two Non-executive Directors. The Audit Committee is re-constituted by Board on 20.12.2018 with the following Board Members:

Sr. No.	Name of Director	Category	DIN	Chairman/Member
1	Prof. Rishikesha Thiruvankata Krishnan	Independent Director	00064067	Chairman
2	Ar. Smt. Deepti Vyas	Independent Director	08277439	Member
3	Shri Rajesh Nagal	Non-executive Director	07084452	Member

vii) STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE

The Company is not required to constitute Stakeholders Relationship Committee as per provisions of Companies Act, 2013, although the Stakeholders Relationship Committee was constituted on 16.11.2017 with the following Board Members:

Sr. No.	Name of Director	Category	DIN	Chairman/Member
1	Shri Gajra Mehta	Non-executive Director	07578666	Chairman
2	Shri Rajesh Nagal	Non-executive Director	07084452	Member
3	Prof. Rishikesha Thiruvankata Krishnan	Independent Director	00064067	Member

viii) DETAILS OF COMMITTEE MEETINGS

The Members of Audit Committee were duly met one (1) time during the financial year on 18.12.2017. The details of Audit Committee Meeting are as follows:-

Sr. No.	Member	No. of Audit Committee Meetings	
		Held	Attended
1	Prof. Rishikesha Thiruvankata Krishnan	1	1
2	Shri Rajesh Nagal	1	0
3	Shri Gajra Mehta	1	1

No such meeting of Stakeholders Relationship Committee was held during the financial year under review.



ix) NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Company is required to constitute Nomination and Remuneration Committee under Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014.

The Company has constituted Nomination and Remuneration Committee in the 14th Board Meeting held on 20.12.2018 with the following Board Members:

Sr. No.	Name of Director	Category	DIN	Chairman/Member
1	Ar. Smt. Deepti Vyas	Independent Director	08277439	Chairperson
2	Prof. Rishiksha Thiruvengkata Krishnan	Independent Director	00064067	Member
3	Shri Rajesh Nagal	Non-executive Director	07084452	Member

x) RECOMMENDATION OF AUDIT COMMITTEE

The Board always honored the views of Audit Committee given on any agenda item and there was no subject matter on which Board not accepted Audit Committee recommendation.

xi) ANNUAL EVALUATION OF PERFORMANCE OF BOARD

The being as Government Company, not required to carry formal annual evaluation by the Board of its own performance and that of its committees and individual directors pursuant to Section 134 (3) (p) of the Companies Act, 2013 and Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014. Although, Directors of the Company are vigilant towards their duties and responsibilities as Director of the Company.

xii) PARTICULARS OF EMPLOYEES

None of the employee of the company is drawing remuneration of Rs. 1,02,00,000/- (Rupees One Crore and Two Lakh) per annum or more if employed throughout the Financial Year or Rs. 8,50,000/- (Rupees Eight Lakh and Fifty Thousand) per month if employed for a part of the Financial Year. Further, also that none of the employee was in receipt of remuneration in excess of that drawn by the Managing Director or Whole-time Director or Manager (wherever they are appointed), and does not hold by himself or along with his spouse and dependent children, 2 (two) percent or more equity shares of the Company. Further, that the mentioned disclosure is for the employees other than Directors of the Company and details regarding Directors have been given in MGT-9 which is annexed as Annexure-I with this report.



xiii) REMUNERATION/COMMISSION RECEIVED BY DIRECTORS FROM HOLDING

During the year under review none of the director of the company in receipt of the commission or remuneration from holding company of the company, if any as provided under section 197 (14) of Companies Act, 2014.

xiv) DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the provisions of Section 134 (5) of the Companies Act, 2013, (the Act) your Directors confirm that:

(a) In the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March, 2018, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

(b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

(c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

(e) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively;

(f) The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

Explanation: For the purposes of this clause, the term "Internal Financial Controls" means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information.

xv) INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY

The internal control system with respect to financial statement and there adequacy has been duly taken care by the Board of Directors of the Company. The internal controls exist in the system and that sufficient measures are taken to update the internal control system, as and when needed. The system also ensures that all transaction are appropriately authorized, recorded and reported as and when required.



xvi) REPORTING OF FRAUD BY AUDITORS

There was no fraud in the Company, which was required to report by auditors (Statutory Auditor or Secretarial Auditor) of the Company to the Audit Committee/Board under sub-section (12) of section 143 of Companies Act, 2013.

4. SUBSIDIARY, ASSOCIATE COMPANIES AND JOINT VENTURE

The Company does not have any Subsidiary Company, Joint venture or Associate Company. Although the Company is a Subsidiary Company of Madhya Pradesh Urban Development Co. Limited.

5. DEPOSITS

The Company has not accepted any deposits from public within the meaning of Section 73 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

6. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186

During the year under review your Company has not provided loans/guarantees and made investments in terms of section 186 of the Companies Act, 2013, if any.

7. RELATED PARTY TRANSACTIONS

During the year under review no transactions entered by company which falls under section 188 (1) of the Companies Act, 2013. Other transaction with related parties and KMP are given in notes to the account attached with Balance Sheet. You are requested to refer the same.

8. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STATEMENTS

The company is not required to provide statement on Corporate Social Responsibility as per Section 134 (3) of the Companies Act, 2013 as the company do not fall under the criteria provided under section 135 (1) of Companies Act, 2013, therefore no such committee was constituted.

9. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUTGO

1) CONSERVATION OF ENERGY:

a. The steps taken or impact on conservation of energy-

The company is putting continues efforts to reduce the consumption of energy and maximum possible saving of energy.



b. The steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy-

The Company has used alternate source of energy, whenever and to the extent possible

c. The capital investment on energy conservation equipments- NIL

2) TECHNOLOGY ABSORPTION:

a. the effort made towards technology absorption-

No specific activities have been done by the Company.

b. the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution-

No specific activity has been done by the Company

c. in case of imported technology imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year:- NA

d. the expenditure incurred on Research & Development.- NIL

3) FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

There are no Foreign Exchange earnings and outgoings were taken place during the financial year as required by Companies (Accounts) Rules, 2014.

10. STATEMENT INDICATING DEVELOPMENT & IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY

The Board of Directors of the Company state that risk associated in the ordinary course of business is duly taken care by the Board while taking business decisions. Further the company need not required to formulate any specified risk management policy.

11. ESTABLISHMENT OF VIGIL MECHANISM

Your company does not meet the requirements of Section 177(9) of Companies Act, 2013 read with rule 7 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules for establishing Vigil Mechanism, therefore no such mechanism was established by the Board.

12. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS

There are no significant material orders passed by the Regulators/Courts/Tribunals impacting the going concern status of the Company and its future operations.



13. AUDITORS

M/s Gupta and Ashok, Chartered Accountants of Indore is appointed as Statutory Auditor of the Company for financial year 2016-17 and 2017-18 by virtue of Orders issued by The Comptroller and Auditor-General of India (C&AG) for their appointment and remuneration.

In terms of Section 139 of The Companies Act, 2013, the Statutory Auditors are to be appointed, subject to the approval of the members in the forthcoming Annual General Meeting for auditing the Annual Accounts of the Company for Financial Year 2018-19. The Comptroller and Auditor-General of India (C&AG) vide its order No. CA. V/COY/ MADHYA PRADESH, ISCDL (1)/961 dated 05.09.2018, has appointed M/s Gupta and Ashok, Chartered Accountants of Indore as Statutory Auditor of the Company for financial year 2018-19, in terms of Section 139(5) of the Companies Act, 2013. M/s Gupta and Ashok, Chartered Accountants have also given their consent to act as Statutory Auditor of the Company under Section 139 of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2018-19 and a certificate under Section 141 of the Companies Act, 2013 has also been received from the existing auditor M/s Gupta & Ashok, Chartered Accountant, Indore.

M/s P.S. Tripathi & Associates, Company Secretaries, Indore are appointed Secretarial Auditors of the Company for 3 years w.e.f. 01.09.2016.

During the current financial year 2018-19, **M/s M. Mehta and Company**, Chartered Accountants, Indore are appointed as Internal Auditor of the Company for 2 years w.e.f. 16.08.2018.

14. SECRETARIAL AUDIT REPORT

Requirements of the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 read with Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, are applicable to the company. A Report from M/s P.S. Tripathi & Associates, Company Secretaries, Indore the Secretarial Auditor of the Company has been received for the FY 2017-18. Secretarial Auditor as given following qualifications which are explained below:-

Point No. 2 of the Report:-

- a. Company was having only one independent Director during the FY 2017-18 against the two independent Directors required as per section 149 of the Act, but on 12.11.2018 one more independent Director has been appointed after closure of Financial Year.

Explanation - Prof. Rishiksha T. Krishnan has already been appointed w.e.f. 12.05.2017 as Independent Director in ISCDL Board. Company regularly requested to MPUDCL to nominate a name for one more Independent Director and in this connection a proposal was sent to MPUDCL on 23.10.2018 for seeking consent to appoint Ar. Smt. Deepti Vyas as Independent Director cum Woman Director of ISCDL and she has been appointed as Independent Director w.e.f. 12.11.2018 pursuant to MPUDCL consent letter dated 30.10.2017.



- b. Company has not constituted Nomination and Remuneration Committee consisting majority of Independent Directors. This is non compliance of section 149, 177 and 178 of the Companies Act 2013. Audit committee also does not have majority of Independent Director as required under the Act.

Explanation- Nomination and Remuneration Committee is constituted by Board in their Meeting held on 20.12.2018 and Audit Committee is also re-constituted by Board in same meeting with majority of Independent Directors.

- c. Company has not constituted various other committees as mentioned in clause no. 12.15 Articles of Association of the Company.

Explanation- The Audit Committee, Stakeholders Relationship Committee (in lieu of 'Share Transfer and Allotment Committee'), Nomination and Remuneration Committee has already been constituted comprising three members. Remaining other committees will be constituted subject to review of applicability of such committees on Company and their requirement to the Company's operation.

15. AUDITORS REPORT

The Auditors, in their report have referred to the Notes forming part of the Final Accounts, considering the principle of the materiality; the notes are self explanatory and do not need any further comments under Section 134 of Companies Act, 2013.

Although, following comments are cited by Auditor in their report that there was no such outstanding as at the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable except for –

Sr. No.	Nature of Dues	Financial Year	Amount unpaid which is outstanding as at the last day of financial year for a period of more than six months from the date they become payable
1	Labour Cess Payable	2017-2018	Rs. 19,92,323
2	Commercial Tax	2017-2018	Rs. 1,32,386
3	Professional Tax	2017-2018	Rs. 2,500

Explanation: The above taxes lying unpaid as on the Balance Sheet date, has already been deposited.

The Financial Statement, Auditors' Report, Boards' Report alongwith all Annexure related to 1st Financial Year ended on 31.03.2017 already been adopted by Members in their 1st Annual General Meeting held on 23.12.2017 and such documents also submitted to Comptroller and Auditor-General of India for their review and comments thereon. The comments of C&AG are still awaited. Any comments received from Comptroller and Auditor-General of India in future shall be placed before Board for their consideration and necessary action thereon.

The Financial Statement, Auditors' Report, Boards' Report alongwith all Annexure related to 2nd Financial Year ended on 31.03.2018 shall be submitted to Comptroller and Auditor-General of India for their review and comments thereon and these will be also placed before Members in forthcoming 2nd



Annual General Meeting for the purpose of adoption. Any comments received from Comptroller and Auditor-General of India in future shall be placed before Board for their consideration and necessary action thereon.

16. COST RECORD AND/OR COST AUDIT

The Company does not falls within the provisions of Section 148 of Companies Act, 2013 read with the Companies (Cost records & Audit) Rules, 2014, therefore no such records required to be maintained.

17. COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS

During the year under review, the Company has complied with the provisions of applicable Secretarial Standards issued by Institute of Company Secretaries of India.

18. CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION

During the year under review there was no situation of corporate insolvency and valuable resources of the Company including capital, manpower, machinery and management are deployed in fair manner and for financial viable business. Hence, no need for Corporate Insolvency Resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

19. FAILURE TO IMPLEMENT ANY CORPORATE ACTION

During the year under review there was no failure to implement any corporate action and the Corporate Action related to issuance and allotment of 9,64,40,000 Equity Shares at Rs. 10/- were done successfully.

20. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The details forming part of the extract of the Annual Return in form **MGT 9**, as required under Section 92 of the Companies Act, 2013 is included in this report as **Annexure 1**.

21. VISHAKA COMMITTEE

Pursuant to requirement under Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules made thereunder, the Internal Complaint Committee of the Company was constituted by the Board in their meeting held on 31.03.2018. The constitution of Committee is as under:

Sr. No.	Name of Person	Category	Chairperson/ Member
1	Smt. Rachna Gaur	Chief Financial Officer, ISCDL	Presiding Officer
2	Shri Sunil Dubey	Executive Engineer (Electrical), ISCDL	Member
3	Smt. Rashmi Chaudhari	Communication (IEC/BCC) Expert, ISCDL	Member
4	Smt. Reeta Lahiri	Non-Governmental Organizations Member	Member

Two meetings of Internal Complaint Committee were duly held on 01.06.2018 and 01.12.2018.



22. VOTING RIGHTS OF EMPLOYEES

During the year under review the company has not given loan to any employee for purchase of its own shares as per section 67 (3) (c) of Companies Act, 2013. Therefore the company not required to made disclosure as per rule 16 (4) of Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014.

23. SHIFTING OF REGISTERED OFFICE WITHIN THE CITY

The registered office of the Company had been shifted from “Palika Plaza, Shop No. 107-109, M.T.H. Compound, Smart City Office, Indore” to “Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, 452003, M.P.” w.e.f. 30.09.2017.

24. ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors are also thankful to the Members of the Company for their faith and confidence in the Management of the Company.

Place: Indore
Date: 20.12.2018

For & on behalf of Board of Directors of
Indore Smart City Development Limited

Sd/-
ASHEESH SINGH
Executive Director
DIN: 07636828

Sd/-
NISHANT WARWADE
Chairman
DIN: 05340409



Annexure-I

FORM NO. MGT 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on financial year ended on 31/03/2018

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1.	CIN	U75100MP2016SGC035528
2.	Registration Date	11/03/2016
3.	Name of the Company	Indore Smart City Development Limited
4.	Category/Sub-category of the Company	Company limited by share / State Government Company
5.	Address of the Registered office & contact details	Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore MP, 452003 IN Email Id: smartcityindore16@gmail.com Contact: 0731-2535572
6.	Whether listed company	No
7.	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any	Not Applicable

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

S. No.	Name and Description of main Products/Services	NIC Code of the Product/Service	% to total turnover of the company
-	-	-	-

III. PARTICULAR OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-Company not having any holding/ Subsidiary/ Joint Venture/ Associate

S. NO.	Name And Address Of The Company	CIN/GLN	Holding /Subsidiary/ Associate	% OF SHARE HELD	APPLICABLE SECTION
1.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil



IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)-

i) CATEGORY-WISE SHARE HOLDING

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year [As on 1st April 2017]				No. of Shares held at the end of the year [As on 31st March 2018]				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoter(s)									
(1) Indian									
a) Individual/ HUF	-	50	50	0.00	-	50	50	0.00	Nil
b) Central Govt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) State Govt (s)	-	51779990	51779990	50.00	-	9,99,99,990	9,99,99,990	50.00	Nil
d) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any other (Local body)	-	51779960	51779960	50.00	-	9,99,99,960	9,99,99,960	50.00	Nil
Sub- total (A) (1):-	Nil	103560000	103560000	100.00	-	20,00,00,000	20,00,00,000	100.00	Nil
(2) Foreign									
a) NRIs-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total (A) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Shareholding of Promoters (A) = (A) (1) + (A) (2)	Nil	103560000	103560000	100.00	-	20,00,00,000	20,00,00,000	100.00	Nil
B. Public Shareholding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FIs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year [As on 1st April 2017]				No. of Shares held at the end of the year [As on 31st March 2018]				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
2. Non-Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Individual share-holders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual share-holders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Share-holding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)	Nil	103560000	103560000	100.00	-	20,00,00,000	20,00,00,000	100.00	Nil

*Note: 50 shares held by Individuals are held in the capacity of State Government and Local body.



ii) SHAREHOLDING OF PROMOTER -

S.N.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% Change in Shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	
1	*Shri Parikipandla Narahari	10	0.00	-	-	-	-	-
2	*Shri Nishant Warwade	-	-	-	10	0.00	-	-
3	Indore Municipal Corporation	5,17,79,960	50.00	-	9,99,99,960	50.00	-	-
4	*Shri Rohan Saxena	10	0.00	-	10	0.00	-	-
5	*Shri Rakesh Singh	10	0.00	-	-	-	-	-
6	*Shri Gautam Singh	-	-	-	10	0.00	-	-
7	*Shri Rajesh Nagal	10	0.00	-	10	0.00	-	-
8	Madhya Pradesh Urban Development Co. Limited	5,17,79,990	50.00	-	9,99,99,990	50.00	-	-
9	**Dr. Manju Sharma	10	0.00	-	10	0.00	-	-

*Shares are held in the capacity of Nominee of Indore Municipal Corporation

** Shares are held in the capacity of Nominee of Madhya Pradesh Urban Development Co. Limited

iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING (please specify, if there is no change)

S.N.	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	*Shri Parikipandla Narahari				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transferred on 16.11.2017	(10)	(0.00)	0	0.00
	At the end of the year	0	0.00	0	0.00
2	*Shri Nishant Warwade				
	At the beginning of the year	0	0.00	0	0.00
	Acquired through Transfer on 16.11.2017	10	0.00	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
3.	Indore Municipal Corporation				
	At the beginning of the year	5,17,79,960	50.00	5,17,79,960	50.00
	Allotment dated 31.03.2018	4,82,20,000	0.00	9,99,99,960	0.00
	At the end of the year	9,99,99,960	50.00	9,99,99,960	50.00



S.N.	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
4.	*Shri Rohan Saxena				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
5.	*Shri Rakesh Singh				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transferred on 16.11.2017	(10)	(0.00)	0	0
	At the end of the year	0	0.00	0	0.00
6.	*Shri Gautam Singh				
	At the beginning of the year	0	0.00	0	0.00
	Acquired through Transfer on 16.11.2017	10	0.00	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
7.	*Shri Rajesh Nagal				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
8.	Madhya Pradesh Urban Development Co. Limited				
	At the beginning of the year	5,17,79,990	50.00	5,17,79,990	50.00
	Allotment dated 31.03.2018	4,82,20,000	0.00	9,99,99,990	0.00
	At the end of the year	9,99,99,990	50.00	9,99,99,990	50.00
9.	**Dr. Manju Sharma				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00

*Shares are held in the Capacity of Nominee of Indore Municipal Corporation

** Shares are held in the Capacity of Nominee of Madhya Pradesh Urban Development Co Limited.



iv) SHAREHOLDING PATTERN OF TOP TEN SHAREHOLDERS: NA

(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):-

S.N.	For each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-

v) SHAREHOLDING OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

S.N.	Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	Shri Parikipandla Narahari (1)				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transferred on 16.11.2017	(10)	(0.00)	0	0.00
	At the end of the year	0	0.00	0	0.00
2.	Shri Nishant Warwade (2)				
	At the beginning of the year	0	0.00	0	0.00
	Acquired through Transfer on 16.11.2017	10	0.00	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
3.	Shri Manish Singh				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
4.	Shri Kumar Vinay Pratap (3)				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
5.	Shri Ashwini Kumar (4)				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-



6.	Shri Surendra Singh Rajpoot				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
7.	Shri Mohit Bundas (5)				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
8.	Dr. Manju Sharma (6)				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
9.	Shri Rakesh Singh (7)				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transferred on 16.11.2017	(10)	(0.00)	0	0.00
	At the end of the year	0	0.00	0	0.00
10.	Shri Gautam Singh (8)				
	At the beginning of the year	0	0.00	0	0.00
	Acquired through Transfer on 16.11.2017	10	0.00	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
11.	Shri Rajesh Nagal (9)				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
12.	Shri Gajra Mehta				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
13.	Shri Krishna Kumar Songaria				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
14.	Shri Shankar Yadav				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
15.	Prof. Rishikesha Thiruvankata Krishnan (10)				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-



	At the end of the year	-	-	-	-
16.	Shri Rohan Saxena (11)				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
17.	Shri Anurag Kumar Saxena (12)				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
18.	Smt. Rachna Gaur (13)				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-

- Note: (1) Ceases to hold Directorship w.e.f. 18.09.2017 and Shares were held in the capacity of Nominee of IMC
(2) Joined the Board as Nominee Director w.e.f. 18.09.2017 and Shares are held in the capacity of Nominee of IMC
(3) Ceases to hold Directorship w.e.f. 14.09.2017
(4) Joined the Board as Nominee Director w.e.f. 14.09.2017
(5) Joined the Board as Nominee Director w.e.f. 23.06.2017 and ceases to hold Directorship w.e.f. 18.12.2017
(6) Joined the Board as Nominee Director w.e.f. 18.12.2017 and Shares are held in the capacity of Nominee of MPUDCL
(7) Ceases to hold Directorship w.e.f. 18.09.2017 and Shares were held in the capacity of Nominee of IMC
(8) Joined the Board as Nominee Director w.e.f. 20.12.2017 and Shares are held in the capacity of Nominee of IMC
(9) Shares are held in the capacity of Nominee of IMC
(10) Joined the Board as Independent Director w.e.f. 12.05.2017
(11) Chief Executive Officer
(12) Company Secretary
(13) Chief Financial Officer

vi) INDEBTEDNESS - Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.-

Particulars	Secured Loans Excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	-	-	-	-
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition	-	-	-	-
• Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	-	-	-	-
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-



V. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERAL PERSONNEL-

A. REMUNERATION TO MANAGING DIRECTOR, WHOLE-TIME DIRECTORS AND/OR MANAGER:-NIL

S.N.	Particulars of Remuneration	Directors		Total Amount
1.	Gross salary	-	-	-
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	-	-	-
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-	-	-
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify...	-	-	-
5.	Others, please specify.....	-	-	-
6.	Total (A)	-	-	-
7.	Ceiling as per the Act	-	-	-

B. REMUNERATION TO OTHER DIRECTORS – NIL

S.N.	Particulars of Remuneration	Name of Directors		Total Amount
1.	Independent Directors	Nil	Nil	Nil
	Fee for attending board committee meetings	Nil	Nil	Nil
	Commission	Nil	Nil	Nil
	Others, please specify	Nil	Nil	Nil
	Total (1)	Nil	Nil	Nil
2.	Other Non-Executive Directors	Nil	Nil	Nil
	Fee for attending board committee meetings	Nil	Nil	Nil
	Commission	Nil	Nil	Nil
	Others, please specify.....	Nil	Nil	Nil
3.	Total (2)	Nil	Nil	Nil
4.	Total (B)=(1+2)	Nil	Nil	Nil
5.	Total Managerial Remuneration	Nil	Nil	Nil
6.	Overall Ceiling as per the Act	Nil	Nil	Nil



C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD-

S N	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			Total
		CEO	CS	CFO	
		Rohan Saxena	Anurag Kumar Saxena	Rachna Gaur	
1.	Gross salary	Nil	703950	424667	1128617
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	Nil	703950	424667	1128617
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil	Nil
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil	Nil
2.	Stock Option	Nil	Nil	Nil	Nil
3.	Sweat Equity	Nil	Nil	Nil	Nil
4.	Commission	Nil	Nil	Nil	Nil
	- as % of profit	Nil	Nil	Nil	Nil
	- others, specify.....	Nil	Nil	Nil	Nil
5.	Others, please specify.....	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total	Nil	703950	424997	1128617

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:- NIL

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
B. DIRECTORS					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Place: Indore
Date: 20.12.2018

For & on behalf of Board of Directors of
Indore Smart City Development Limited

Sd/-
ASHEESH SINGH
Executive Director
DIN: 07636828

Sd/-
NISHANT WARWADE
Chairman
DIN: 05340409



P.S. Tripathi & Associates
Company Secretaries

Swati Tripathi
B.Com., F.C.S.

Pratik Tripathi
B.Sc., A.C.A., F.C.S.

306, Manas Bhavan Extn.
11, RNT Marg, Indore, (M.P.) India
Tel: +91 731 4043080, 4043089
Email: tripathi.pratik@gmail.com
Web: www.pstripathi.com

Form No. MR-3 **SECRETARIAL AUDIT REPORT**

For the Financial Year ended 31st March, 2018

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Indore Smart City Development Limited,
Indore

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Indore Smart City Development Limited** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of **Indore Smart City Development Limited's** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period ended on 31st March, 2018, has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

1. **We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Indore Smart City Development Limited for the period ended on 31st March, 2018 according to the provisions of:**
 - (i) The Companies Act, 2013 (**the Act**) and the Rules made thereunder;
 - (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (**'SCRA'**) and the Rules made thereunder;
 - (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder (**Not applicable to the Company during the Audit Period**);
 - (iv) The Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings, (**no such transactions reported**);
 - (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange



Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):- (Not applicable to the Company during the Audit Period)

- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 (Not applicable to the Company during the Audit Period);
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 (Not applicable to the Company during the Audit Period);
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Company during the Audit Period); and
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Company during the Audit Period);

(vi) Other Laws specifically applicable to the Company, as informed by management:- **NIL**

2. We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review, the Company has materially complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to followings :-

- a. Company was having only one independent Director during the FY 2017-18 against the two independent Directors required as per section 149 of the Act, but on 12.11.2018 one more independent Director has been appointed after closure of Financial Year.
- b. Company has not constituted Nomination and Remuneration Committee consisting majority of Independent Directors. This is non compliance of section 149, 177 and 178 of the Companies Act 2013. Audit committee also does not have majority of Independent Director as required under the Act.



P.S. Tripathi & Associates
Company Secretaries

Swati Tripathi
B.Com., F.C.S.

Pratik Tripathi
B.Sc., A.C.A., F.C.S.

306, Manas Bhavan Extn.
11, RNT Marg, Indore, (M.P.) India
Tel: +91 731 4043080, 4043089
Email: tripathi.pratik@gmail.com
Web: www.pstripathi.com

- c. Company has not constituted various other committees as mentioned in clause no. 12.15 Articles of Association of the Company.

3. We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors except Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance or with shorter period, wherever required, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes, wherever exist.

4. **We further report that** there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.
5. **We further report that** during the audit period the company has issued and allotted equity Shares on right issue basis.

For P.S. Tripathi & Associates
Company Secretaries

Place: Indore
Date: 20.12.2018

Sd/-
Pratik Tripathi
Partner
C.P. No. 5358

Note: This report is to be read with Annexure to Secretarial Audit Report of even date which is annexed with this report and forms an integral part of this report.



Annexure to Secretarial Audit Report

To,
The Members,
Indore Smart City Development Limited
Indore

Our report for FY 2017-18 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenances of secretarial records are the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion. Our report is based on said secretarial records.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
4. The compliance of the provisions of corporate and other specifically applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis. We have not gone through the laws which are general in nature and applicable to the Company.
5. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
6. Where ever required, we have obtained the management representation and declaration about the compliance of laws, rules and regulation and happening of events etc.

For P.S. Tripathi & Associates
Company Secretaries

Place: Indore
Date: 20.12.2018

Sd/-
Pratik Tripathi
Partner
C.P. No. 5358





No. OAD-Com/2017-18/Accounts/ISCDL/D-213

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय महालेखाकार

(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश, ग्वालियर – 474 002

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (G & SSA)

MADHYA PRADESH, GWALIOR - 474 002

दिनांक / DATE : 09.08.2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

स्मार्ट सिटी ऑफिस, नेहरू पार्क कैम्पस

इन्दौर, मध्यप्रदेश – 452003

विषय: इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ सहित प्रमाण पत्र भेज रही हूँ। जिसे आप संचालकों के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में वार्षिक लेखों में प्रकाशित करें।

वार्षिक लेखे विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद उसकी 5 प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा पत्र की पावती भिजवाएं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

हस्ता/-

(मोना जैन)

उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र III)

प्रतिलिपि :-

प्रधान निदेशक (मध्य क्षेत्र), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली की ओर, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखाओं के संबंध में भारत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ जैसी कि संबंधित कम्पनी को भेजी गई है, अग्रेषित है।

— हस्ता—

उपमहालेखाकार

सामाजिक क्षेत्र III

ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर – 474 002, दूरभाष : 0751-2323504, 2323505, 2436827, फैक्स : 0751-2631290

AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002 Telephone : 0751-2323504, 2323505, 2436827,

Fax : 0751-2631290, E-Mail: agaumadhyapradesh1@cag.gov.in



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018.

The preparation of financial statements of Indore Smart City Development Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20 December 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Indore Smart City Development Limited for the year ended 31 March 2018. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the Financial Statements and the related audit report.

A. Comments on Financial Position

Balance Sheet

Non- Current Liabilities

Deferred Tax Liabilities Note No-07-Rs. 99.99 Lakh.

1. The Company has filed Income Tax return for the assessment year 2018-19 under which the claim in respect of depreciation on the basis of Income Tax Act and Expenses under section 35 (d) has not been claimed. Therefore, it has no future deferred tax liability of timing difference amounting to Rs. 1.81 crore & deferred tax assets amounting to Rs. 80.75 lakh but no such adjustment was made in accounts.
This has resulted in overstatement of Deferred Tax Liability of Rs. 1.81 crore and understatement of Deferred Tax Assets by Rs. 80.75 lakh.

Non-Current Assets

Other financial Assets (Note No. 6) Rs. 157.03 Crore

2. The above includes Fixed Deposits amounting to Rs. 155.94 crore with a maturity period of less than one year, hence should have been classified as Cash and Cash Equivalents.
The error of classification resulted in overstatement of Non- Current Assets (Other Financial Assets) and understatement of Current Assets (Cash and Cash Equivalent) by Rs. 155.94 crore.



Current Assets

Cash and Cash Equivalents (Note No.-08) Rs. 145.12 Crore

3. The company makes all payment through Public Financial Management System (PFMS). However, bank reconciliation statement shows that PFMS voucher of Rs. 1.02 Crore outstanding which was cleared by the bank on 03 April 2018. This has resulted in understatement of Current Liabilities and Cash and Cash equivalents by Rs. 1.02 crore.

B. Comments on Financial Position

Profit & Loss

Other comprehensive Income (schedule 22) Rs. 1.16 crore

4. This includes sum of Rs. 44.64 lakh on account of interest on security deposit booked as notional income in the accounts. The interest on security deposit was calculated at the rate of 10 per cent based, on interest charged from contractor on mobilization advance. However, the average yield rate of interest earned on fixed deposit, saving bank account and mobilization advance during 2017-18 was 6.5 per cent. Therefore, interest on security deposit should have been calculated at the rate of 6.5 per cent on conservative basis. This has resulted in overstatement of Other Comprehensive and Grant for project expenses by Rs. 15.63¹ lakh.

C. Auditor's Report

Comments on Auditors Report

5. As per Section 143 of the Companies Act 2013, financial statements together with the report of the Auditor and comments given by the Comptroller and Auditor-General of India shall be placed before Annual General Meeting (AGM) of the Company. However, no AGM was held for adoption of audited annual accounts for the year 2016-17. This important fact has not been commented by the Auditor in their report for the year 2017-18.

Place: Gwalior
Date: 09.08.2019

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India
Sd/-
(Rajiv Kumar Pandey)
Accountant General
(General & Social Sector Audit)
Madhya Pradesh, Gwalior

¹ ₹ 4464493 - ₹ 2901920 = ₹ 1562573



Annexure-II

BOARD EXPLANATION ON COMMENTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA ON FINANCIAL ACCOUNTS OF F.Y. 2017-18

S. No.	Comments	Explanation
1.	<p>A. Comments on Financial Position</p> <p>Balance Sheet</p> <p>Non-Current Liabilities</p> <p>Deferred Tax Liabilities Note No. 07 Rs. 99.99 Lakh.</p> <p>1. The Company has filed Income Tax return for the assessment year 2018-19 under which the claim in respect of depreciation on the basis of Income Tax Act and Expenses under section 35 (d) has not been claimed. Therefore, it has no future deferred tax liability of timing difference amounting to Rs. 1.81 Crore & deferred tax assets amounting to Rs. 80.75 lakh but no such adjustment was made in accounts.</p> <p>This has resulted in overstatement of Deferred Tax Liability of Rs. 1.81 Crore and understatement of Deferred Tax Assets by Rs. 80.75 Lakh.</p>	<p>That in regard to deferred tax liability of Rs.99.99 Lakhs accounted for as on 31.03.2019, we would like to submit that as per Ind AS 12 Income Taxes Deferred Tax asset or Liability is to be recognized on temporary timing differences arising as on the Balance sheet date and is recalculated every year as per the recent information and conditions.</p> <p>In the present case, as on the Balance sheet the, deferred tax was calculated taking into account the Income Tax return filed for the financial Year 2017-18, and the same was approved by the audit committee as well.</p> <p>That later on after finalization of Financial Statements, it was decided to revise the Income tax return with different policy which resulted in no difference on account of temporary timing difference.</p> <p>As the Financial Statements were finalized as per the situation existed as on the Balance Sheet date and hence the Income Tax return of previous period was also filled accordingly, but later on the return was revised and Income Tax return for FY 2017-18 was also filled on same line of action. The Deferred tax will be reevaluated as on 31.03.2019 and according treatment will be done in the books of accounts.</p>



S. No.	Comments	Explanation
2.	<p>Non-Current Assets</p> <p>Other financial Assets (Note No. 6) Rs. 157.03 Crore</p> <p>2. The above includes Fixed Deposits amounting to Rs. 155.94 Crore with a maturity period of less than one year, hence should have been classified as Cash and Cash Equivalents. The error of classification resulted in overstatement of Non-Current Assets (Other Financial Assets) and understatement of Current Assets (Cash and Cash Equivalent) by Rs. 155.94 Crore.</p>	<p>That we have classified investment in the form of FDR as Non-Current Asset under sub head 'Financial Asset' with disclosure of 'Maturity within one year'. While recognizing it under Non-current assets we have made proper disclosure regarding maturity. This has only impact on classification and as we have disclosed the maturity period, this does not amount to misrepresentation to user of Financial Statements.</p>
3.	<p>Current Assets</p> <p>Cash and Cash Equivalents (Note No.-08) Rs. 145.12 Crore</p> <p>3. The company makes all payment through Public Financial Management System (PFMS). However, bank reconciliation statement shows that PFMS voucher of Rs. 1.02 Crore outstanding which was cleared by the bank on 03 April 2018.</p> <p>This has resulted in understatement of Current Liabilities and Cash and Cash equivalents by Rs. 1.02 Crore.</p>	<p>That Rs. 1.02 Crores lying in Bank Reconciliation as on 31.03.2018 is amount which was sanctioned and approved and PFMS were prepared and signed before 31.03.2018, but cleared by bank after 31.03.2018. That the validity period of PFMS is 10 Days as per SOP. We also want to submit that as per IND AS 10 "Events after the reporting period", the events though not accrued before Balance Sheet Date but before signing date of the Balance Sheet needs to be adjusted, hence the Bank account was credited.</p>
4.	<p>B. Comments on Financial Position Profit & Loss</p> <p>Other comprehensive Income (schedule 22) Rs. 1.16 Crore</p> <p>4. This includes sum of Rs. 44.64 lakh on account of interest on security deposit booked as notional income in the accounts. The interest on security deposit was calculated at the rate of 10 per cent based on interest charged from</p>	<p>That in regard to discounting of assets @ 10% instead of 6.5% being average yield rate of deposits with bank, we would like to submit that as per Ind AS 113 Fair Value Measurement, Fair Value is a market based measurement, not an entity -specific measurement, for some assets and liabilities, observable market transactions or market information might be available. However, the objective of a fair value</p>



S. No.	Comments	Explanation
	<p>contractor on mobilization advance. However, the average yield rate of interest earned on fixed deposit, saving bank account and mobilization advance during 2017-18 was 6.5 per cent. Therefore, interest on security deposit should have been calculated at the rate of 6.5 per cent. On conservative basis.</p> <p>This has resulted in overstatement of Other Comprehensive and Grant for project expenses by Rs. 15.63 lakh.</p>	<p>measurement in both case is same -to estimate the price at which an orderly transaction to sell the asset or to transfer the liability would take place between market participants at the measurement date under current market conditions.</p> <p>That as per above para entity specific rate is not required but rate more likely as per current market shall be used. That 10% rate is more likely to be matched with market rate and hence the same has been taken as discounting factor.</p> <p>That by discounting at the yield rate, the same is at a very lower side as compared to market rate.</p>
5.	<p>C. Auditor's Report</p> <p>Comments on Auditors Report</p> <p>As per Section 143 of the Companies Act, 2013, financial statements together with the report of the Auditor and comments given by the comptroller and Auditor-General of India shall be placed before Annual General Meeting (AGM) of the Company. However, no AGM was held for adoption of audited annual accounts for the year 2016-17. This important fact has not been commented by the Auditor in their report for the year 2017-18.</p>	<p>Annual General Meeting for F.Y. 2016-17 was held on 23.12.2017 and agenda for adoption of audited annual accounts for the year 2016-17 were also transacted in the meeting.</p>

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-

Asheesh Singh, IAS

(Executive Director)

DIN: 07636828

Indore Smart City Development Limited

Place: Indore

Dated: 26/09/2019



GUPTA & ASHOK
CHARTERED ACCOUNTANTS



125-126, Sunrise Tower
579, M.G. Road, INDORE-452 001
Phone : 0731-2539821, 4049821
agrawals_indore@yahoo.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of Indore Smart City Development Limited, Indore

Report on the Ind AS Financial Statements

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of **Indore Smart City Development Limited** ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31st March, 2018, the statement of profit and loss (including other comprehensive income), the statement of cash flows and the statement of changes in equity for the year then ended and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Ind AS Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Act read with relevant rules issued thereunder.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Ind AS financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.



We conducted our audit of the Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the Ind AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments; the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Ind AS financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Ind AS financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2018, its losses (including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order.
2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - (a) We have sought, and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - (c) The balance sheet, the statement of profit and loss, the statement of cash flows and the statement of changes in equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - (d) In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with relevant rules issued thereunder.



- (e) According to the information provided to us the provisions of section 164(2) regarding non appointment of disqualified directors are not applicable to the Company because of exemption granted to it by way of notification dated 5th June 2015 bearing no. as F. No. 1/2/2014-CL-V issued by Ministry of Corporate Affairs.
- (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B" and
- (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact, if any, of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements – Refer Note-2.3 to the Ind AS financial statements;
 - ii. The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any on long term long-term contracts

Place: Indore
Dated: 20/12/2018

For Gupta & Ashok
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 002254C

Sd/-
CA Ashok Agrawal
(Partner)
M.No. 071274



ANNEXURE –A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE

The Annexure referred to in Independent Auditors' Report to the members of the Company on the financial statements for the year ended 31 March 2018, we report that:

- (i) (a) The company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
(b) All these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals during the year. No material discrepancies were noticed on such verification.
(c) The Company holds no immovable properties.
- (ii) (a) As the Company has no inventory at any time during the year, the requirement for physical verification of inventory is not applicable to the Company. Therefore subclause (b) of clause (ii) of Paragraph 3 of the Order is not applicable.
- (iii) (a) The company did not give any loan, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act. Therefore, sub-clause (a), (b) and (c) of clause (iii) of paragraph 3 of the Order are not applicable.
- (iv) In our opinion and according to explanations given to us, the Company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Act, with respect to the loans and investments made.
- (v) According to the information and explanations given to us and on the basis of our checking during the course of audit, the company has not accepted any deposits.
- (vi) the Central Government has not specified maintenance of the cost records under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act.
- (vii) (a) According to the information and explanation given to us, the company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues to the appropriate authorities. There was no such outstanding as at the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable except for –

Sr. No.	Nature of Dues	Financial year	Amount unpaid which is outstanding as at the last day of financial year for a period of more than six months from the date they become payable
1	Labour Cess Payable	2017-2018	Rs. 19,92,323
2	Commercial Tax	2017-2018	Rs. 1,32,386
3	Professional Tax	2017-2018	Rs. 2,500

- (b) According to information and explanations given to us, there are no dues of income tax, wealth tax, service tax, custom duty, excise duty and cess which have not been deposited on account of any dispute.



- (viii) In our opinion and according to information and explanations given to us, the company has not obtained any loan from financial institutions, banks, government or any other person. Therefore, paragraph 3(viii) of the Order is not applicable.
- (ix) The Company has not raised any money by way of initial public offer, further public offer or term loan. Therefore, paragraph 3(ix) of the Order is not applicable.
- (x) Based upon audit procedures performed and according to the information and explanations given to us, no fraud by the company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.
- (xi) According to information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has paid/ provided for managerial remuneration in accordance with requisite approvals mandated by provisions of section 197 read with Schedule V to the Companies Act.
- (xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii) According to information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the company has not entered into any transactions with the related parties. Accordingly, the clause (xiii) of the order are not applicable.
- (xiv) According to information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the company has not made preferential allotment / private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. The requirement of section 42 of the Companies Act have been complied with and the amounts raised have been used for the purpose for which the funds were raised.
- (xv) According to information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with them. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.
- (xvi) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934.

Place: Indore
Dated: 20/12/2018

For Gupta & Ashok
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 002254C

Sd/-
(CA Ashok Agrawal)
Partner
M.No. 071274



ANNEXURE “B” TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in Paragraph 1(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory requirements' of our report on even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Act

We have audited the internal financial controls over financial reporting of the Company as of March 31, 2018 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and both issued by ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.



Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note issued by the ICAI.

Place: Indore
Dated: 20/12/2018

For Gupta & Ashok
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 002254C

Sd/-
(CA Ashok Agrawal)
Partner
M.No. 071274



GUPTA & ASHOK
CHARTERED ACCOUNTANTS



125-126, Sunrise Tower
579, M.G. Road, INDORE-452 001
Phone : 0731-2539821, 4049821
agrawals_indore@yahoo.com

REPORT UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT 2013 OF
Indore Smart City Development Limited, INDORE

Reference: CAG Letter No./CA. V/COY/MADHYA PRADESH, ISCDL (1)/1052 DATED: 18/08/2016

We have examined the books of accounts of INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED, Indore for the year ended 31st March 2018 and as per the information and explanation given to us, we submit our report under section 143(5) of the Companies Act, 2013 as under :-

1. Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available.	The Company does not hold any freehold or leasehold land.
2. Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	There are no cases of waiver / write off of debts / loans/ interest etc.
3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant(s) from Government or other authorities.	Some assets of the Company are lying with / in possession of Indore Municipal Corporation. Proper records are maintained for inventories / assets lying with third parties.

Place: Indore
Dated: 20/12/2018

For Gupta & Ashok
Chartered Accountants
FRN : 02254C

Sd/-
CA Ashok Agrawal
(Partner)
M.No. 071274



INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.

Website: www.smartcityindore.org; Ph No.0731-2535572; E mail: smartcityindore16@gmail.com

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2018

₹ (In Rupees)

Particulars	Note	As at March 31, 2018	As at March 31, 2017
ASSETS			
1 NON CURRENT ASSETS			
(a) Property Plant and Equipment	4	27,65,30,529	4,70,44,903
(b) Capital Work in Progress	5	90,60,64,052	18,51,63,810
(c) Financial Assets			
(i) Others Financial Assets	6	1,57,03,82,576	2,13,47,77,140
(d) Deferred Tax Assets	7	-	52,11,858
		2,75,29,77,157	2,37,21,97,711
2 CURRENT ASSETS			
(a) Financial Assets			
(i) Cash and Cash Equivalents	8	1,45,12,19,638	80,78,96,995
(b) Other Current Assets	9	21,62,03,100	7,41,12,680
		1,66,74,22,738	88,20,09,675
TOTAL ASSETS		4,42,03,99,895	3,25,42,07,386
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
(a) Equity Share Capital	10	2,00,00,00,000	1,03,56,00,000
(b) Other Equity	11	(99,99,964)	52,11,858
		1,99,00,00,036	1,04,08,11,858
LIABILITIES			
1 NON CURRENT LIABILITIES			
(a) Government Grants for Project Expenditure	12	2,11,80,30,348	1,95,63,12,551
(b) Other Non Current Liabilities	13	1,32,40,160	5,84,334
(c) Deferred Tax Liability	7	99,99,964	
		2,14,12,70,472	1,95,68,96,885
2 CURRENT LIABILITIES			
(a) Other Current Liabilities	14	25,21,05,753	23,40,31,796
(b) Government Grants for A & OE Expenditure	15	3,70,23,634	2,24,66,847
		28,91,29,387	25,64,98,643
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		4,42,03,99,895	3,25,42,07,386
Significant Accounting Policies and Notes on Financial Statements	1 to 33		

As per our report of even date

For Gupta & Ashok

Chartered Accountants

Firm Reg. No. 002254C

Sd/-

[CA Ashok Agrawal]

Partner

M No: 071274

Place: Indore

Date : 20.12.2018

For and behalf of the Board of Directors

Sd/-

[Nishant Warwade]

Chairman

DIN 05340409

Sd/-

[CA Rachna Gaur]

Chief Financial Officer

M.No.410808

Sd/-

[Asheesh Singh]

Executive Director

DIN 07636828

Sd/-

[CS Anurag Kumar Saxena]

Company Secretary

M.No. F8115



INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.

Website: www.smartcityindore.org; Ph No.0731-2535572; E mail: smartcityindore16@gmail.com

PROFIT & LOSS STATEMENT FOR PERIOD ENDING AS AT 31st MARCH, 2018

₹ (In Rupees)

Particulars	Note	For the year ended 31.03.2018	For the year ended 31.03.2017
Income			
Revenue From Operations	16	73,18,681	9,10,000
Other Income	17	10,85,59,052	7,75,33,153
Total income (A)		11,58,77,733	7,84,43,153
Expenses			
Employee benefit expense	18	1,04,22,183	18,45,137
Finance Costs	19	57,484	175
Other Expenses	20	9,24,79,148	8,27,60,030
Total expenses before Depreciation & Project Exp (B)		10,29,58,815	8,46,05,342
Add:			
a) Project Expenditure (Revenue nature)	21	1,41,03,183	-
b) Depreciation and amortization expense			
i. Towards Administrative Assets	4	14,21,946	1,61,108
ii. Towards Projects Assets	4	90,12,656	5,59,316
		2,45,37,785	7,20,424
Profit/(loss) before tax (C=A-B)		(1,16,18,867)	(68,82,613)
Tax expense			
(1) Current tax		-	-
(2) Deferred tax	7	1,52,11,821	(52,11,858)
Total Tax (F)		1,52,11,821	(52,11,858)
Profit/(Loss) for the year from continuing operations(E-F)		(2,68,30,688)	(16,70,755)
Profit/(Loss) from discontinued operations		-	-
Profit/(loss) for the period		(2,68,30,688)	(16,70,755)
Other comprehensive income	22		
"A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss"		-	-
"B (i) Items that will be reclassified to profit or loss"		1,16,18,867	68,82,613
Total Other Comprehensive Income		1,16,18,867	68,82,613
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period)		(1,52,11,821)	52,11,858
Earnings per equity share (for continuing operation):	25		
Basic		(0.08)	0.05
Diluted		(0.08)	0.05
Earnings per equity share (for discontinued operation):	25	-	-
Significant Accounting Policies and Notes on Financial Statements	1 to 33		

As per our report of even date

For and behalf of the Board of Directors

For Gupta & Ashok
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 002254C

Sd/-
[Nishant Warwade]
Chairman
DIN 05340409

Sd/-
[Asheesh Singh]
Executive Director
DIN 07636828

Sd/-
[CA Ashok Agrawal]
Partner
M No: 071274

Sd/-
[CA Rachna Gaur]
Chief Financial Officer
M.No.410808

Sd/-
[CS Anurag Kumar Saxena]
Company Secretary
M.No. F8115

Place: Indore
Date: 20.12.2018



INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.

Website: www.smartcityindore.org; Ph No.0731-2535572; E mail: smartcityindore16@gmail.com



CASH FLOW STATEMENT

For the year ended 31st March, 2018

₹ (In Rupees)

Particulars	Year ended 31 st March, 2018		Year ended 31 st March, 2017	
A Cash Flow from Operating Activities				
Profit / (Loss) before tax		(1,16,18,867)		(68,82,613)
Adjustments for:				
Remeasurement of Defined Benefit Plans	-			
Depreciation & Amortisation	1,04,34,602		7,20,424	
Provision for Gratuity	-		-	
Provision for Leave Encashment	-		-	
Miscellaneous Balances Written off	-		-	
Interest Expense	-		-	
Other Income	(10,85,59,052)		(7,75,33,153)	
Other Comprehensive income	1,16,18,867		68,82,613	
		(8,65,05,583)		(6,99,30,116)
Operating Profit before Working Capital Changes		(9,81,24,450)		(7,68,12,729)
Adjustments for:				
Trade Receivables	-		-	
Other financial assets	-		-	
Other Bank Balances	56,96,00,000		(2,12,90,00,000)	
Inventories	-		-	
Other Current Assets	(14,20,90,420)		(7,41,12,680)	
Trade Payables	-		-	
Other Current Liabilities	1,80,73,957		23,40,31,796	
Other Non Current Liability	1,26,55,826		5,84,334	
Movement in deposits	-	45,82,39,364	-	(1,96,84,96,550)
		36,01,14,914		(2,04,53,09,279)
Net Cash generated from / (used) in Operating Activities(before tax)				
Taxes (Paid) / Refund (net)		-		-
		36,01,14,914		(2,04,53,09,279)
Net Cash generated from / (used) in Operating Activities				
B Cash Flow from Investing Activities				
Interest Received	-		-	
(Purchase)/ Sale of Tangible Assets (Net)	(96,08,20,471)		(23,29,29,137)	
Movement in Loans and Advances	(52,05,436)		(5,777,140)	
		(96,60,25,907)		(23,87,06,277)
Net Cash generated from / (used) in Investing Activities				



Particulars	Year ended 31 st March, 2018		Year ended 31 st March, 2017	
C Cash Flow from Financing Activities				
Grant Received	1,00,00,00,000		2,96,00,00,000	
Interest received on Grant	24,92,33,636		13,19,12,551	
Repayment of Long Term Loans	-		-	
Repayment of Unpaid Matured Debentures	-		-	
Movement in Long Term Provisions	-		-	
Proceeds from Short Term Loans	-		-	
Net Cash generated from / (used in) Financing Activities		1,24,92,33,636		3,09,19,12,551
Net increase / (decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		64,33,22,642		80,78,96,995
Opening Balance of Cash and Cash Equivalents		80,78,96,995		-
Closing Balance of Cash and Cash Equivalents		1,45,12,19,638		80,78,96,995
Net increase / (decrease) in Cash and Cash Equivalents		64,33,22,643		80,78,96,995

As per our report of even date

For Gupta & Ashok

Chartered Accountants

Firm Reg. No. 002254C

Sd/-

[CA Ashok Agrawal]

Partner

M No: 071274

Place: Indore

Date: 20.12.2018

For and behalf of the Board of Directors

Sd/-

[Nishant Warwade]

Chairman

DIN 05340409

Sd/-

[Rachna Gaur]

Chief Financial Officer

M.No.410808

Sd/-

[Asheesh Singh]

Executive Director

DIN 07636828

Sd/-

[Anurag Kumar Saxena]

Company Secretary

M.No. F8115



STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Statement of Changes in Equity for the period ended 31st March 2018

		₹ (In Rupees)
A. Equity Share Capital		
Particulars		Amount
Balance at April 1, 2016		-
Changes in equity share capital during the year		1,03,56,00,000
Balance at March 31, 2017		1,03,56,00,000
Changes in equity share capital during the year		96,44,00,000
Balance at March 31, 2018		2,00,00,00,000
B. Other Equity		
Particulars	Reserve & Surplus Retained Earnings	₹ (In Rupees) Total
Balance at the beginning of reporting period 1st April, 2016	-	-
Total comprehensive Income for the FY 2016-2017	(16,70,755)	(16,70,755)
Other Comprehensive Income for the FY 2016-2017	68,82,613	68,82,613
Balance at the end of reporting period 31st March 2017	52,11,858	52,11,858
Valuation adjustment-Deemed capital contribution	-	-
Total comprehensive Income for the FY 2017-2018	(2,68,30,688)	(2,68,30,688)
Other Comprehensive Income for the FY 2017-2018	1,16,18,867	1,16,18,867
Balance at the end of reporting period 31st March 2017	(99,99,964)	(99,99,964)

As per our report of even date

For Gupta & Ashok

Chartered Accountants

Firm Reg. No. 002254C

Sd/-

[CA Ashok Agrawal]

Partner

M No: 071274

For and behalf of the Board of Directors

Sd/-

[Nishant Warwade]

Chairman

DIN 05340409

Sd/-

[Rachna Gaur]

Chief Financial Officer

M.No.410808

Sd/-

[Asheesh Singh]

Executive Director

DIN 07636828

Sd/-

[Anurag Kumar Saxena]

Company Secretary

M.No. F8115

Place: Indore

Date: 20.12.2018



INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED

CIN: U75100MP2016SGC035528

Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P., 452003

Website: www.smartcityindore.org Ph. No.: 0731-2535572; E-mail: smartcityindore16@gmail.com

Significant Accounting Policies

1. CORPORATE INFORMATION

Indore Smart City Development Limited (the "Company") was incorporated in India on 11th March, 2016. It is a Special Purpose Vehicle (SPV) created for the implementation of the "Smart City Mission" at the Indore city. The SPV will plan, appraise, approve, release funds, implement, manage, operate, monitor and evaluate the smart city development project as per the Mission Statement & Guideline issued by Ministry of Urban Development Government of India.

2. BASIS OF PREPARATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1 BASIS OF PREPARATION AND PRESENTATION

The standalone financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value:

- Certain financial assets and liabilities

"The financial statements of the Company have been prepared to comply with the Indian Accounting standards ('Ind AS'), including the rules notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013. Upto the year ended March 31, 2017, the Company has prepared its financial statements in accordance with the requirement of Indian Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), which include Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 and considered as "Previous GAAP". These financial statements are the Company's first Ind AS standalone financial statements. Company's financial statements are presented in Indian Rupees (INR), which is also its functional currency."

2.2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a) Property, Plant and Equipment (PPE)

- i) Property, plant and equipment are stated at cost, net of recoverable taxes, trade discount and rebates less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Such cost includes purchase price, borrowing cost and any cost directly attributable to bringing the assets to its working condition for its intended use, net charges on foreign exchange contracts and adjustments arising from exchange rate variations attributable to the assets.
- ii) Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost can be measured reliably. In the carrying amount of an item of PPE, the cost of replacing the part of such an item is recognized when that cost is incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of those parts that are replaced is derecognized in accordance with the derecognition principles.
- iii) Expenses incurred relating to project, net of income earned during the project development stage prior to its intended use, are considered as pre - operative expenses and disclosed under Capital Work-in-Progress.
- iv) Depreciation on property, plant and equipment is provided using straight line method. Depreciation is provided based on useful life of the assets as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. Each part of an item of Property, Plant & Equipment with a cost that is



significant in relation to total cost of the Machine is depreciated separately, if its useful life is different than the life of the Machine.

- v) The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.
- vi) Gains or losses arising from derecognition of a property, plant and equipment are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the Statement of Profit and Loss when the asset is derecognised.
- vii) Spare parts procured along with the Plant & Machinery or subsequently which meet the recognition criteria are capitalized and added in the carrying amount of such item. The carrying amount of those spare parts that are replaced is derecognized when no future economic benefits are expected from their use or upon disposal. Other machinery spares are treated as “stores & spares” forming part of the inventory.

b) Leases

- i) Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease, transfers substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.
- ii) Leased assets: Assets held under finance leases are initially recognised as assets of the Company at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the balance sheet as a finance lease obligation.
- iii) Lease payments are apportioned between finance expenses and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance expenses are recognised immediately in Statement of Profit and Loss, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred.
- iv) A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.
- v) Operating lease payments are recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term except where another systematic basis is more representative of time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

c) Intangible assets

- i) Intangible Assets are stated at cost of acquisition net of recoverable taxes, trade discount and rebates less accumulated amortization /depletion and impairment loss, if any. Such cost includes purchase price, borrowing costs, and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for the intended use, net charges on foreign exchange contracts and adjustments arising from exchange rate variations attributable to the intangible assets.
- ii) Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost can be measured reliably.



- iii) Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the Statement of Profit and Loss when the asset is derecognised

d) Capital Work in Progress

- i) Expenditure incurred on assets under construction (including a project) is carried at cost under Capital Work in Progress. Such costs comprises purchase price of asset including import duties and non-refundable taxes after deducting trade discounts and rebates and costs that are directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
- ii) Cost directly attributable to projects under construction include costs of employee benefits, expenditure in relation to survey and investigation activities of the projects, cost of site preparation, initial delivery and handling charges, installation and assembly costs, professional fees, expenditure on maintenance and up-gradation etc. of common public facilities, depreciation on assets used in construction of project, interest during construction and other costs if attributable to construction of projects. Such costs are accumulated under “Capital works in progress” and subsequently allocated on systematic basis over major assets, other than land and infrastructure facilities, on commissioning of projects.
- iii) Capital Expenditure incurred for creation of facilities, over which the Company does not have control but the creation of which is essential principally for construction of the project is capitalized and carried under “Capital work in progress” and subsequently allocated on systematic basis over major assets, other than land and infrastructure facilities, on commissioning of projects, keeping in view the “attributability” and the “Unit of Measure” concepts in Ind AS 16- “Property, Plant & Equipment”. Expenditure of such nature incurred after completion of the project, is charged to Statement of Profit and Loss.

e) Finance Cost

- i) Borrowing costs include exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment to the interest cost. Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the asset. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use.
- ii) Interest income earned on the temporary investment of specific grants pending their expenditure on project assets is added to the grant itself.
- iii) All other borrowing costs are expensed in the period in which they occur.

f) Impairment of non-financial assets - property, plant and equipment and intangible assets

- i) The Company assesses at each reporting date as to whether there is any indication that any property, plant and equipment and intangible assets or group of assets, called Cash Generating Units (CGU) may be impaired. If any such indication exists the recoverable amount of an asset or CGU is estimated to determine the extent of impairment, if any. When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the CGU to which the asset belongs.



- ii) An impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss to the extent, asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is higher of an asset's fair value less cost of disposal and value in use. Value in use is based on the estimated future cash flows, discounted to their present value using pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risk specific to the assets.
- iii) The impairment loss recognised in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

g) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets and Commitments

- i) Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Such provisions are determined based on management estimate of the amount required to settle the obligation at the balance sheet date. When the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognised as a standalone asset only when the reimbursement is virtually certain.
- ii) If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.
- iii) Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgment of management. These are reviewed at each balance sheet date are adjusted to reflect the current management estimate.
- iv) Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statements when inflow of economic benefits is probable.

h) Income Taxes

The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in Statement of Profit and Loss, except to the extent that it relates to items recognised in the other comprehensive income or in equity. In which case, the tax is also recognised in other comprehensive income or equity.

i) Current tax

Current tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities, based on tax rates and laws that are enacted or substantively enacted at the Balance sheet date.

ii) Deferred tax

Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The carrying amount of deferred tax liabilities and assets are reviewed at the end of each reporting period.



i) Employee Benefits Expense

Short Term Employee Benefits

The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised as an expense during the period when the employees render the services.

Post-Employment Benefits

Defined Contribution Plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which the Company pays specified contributions to a separate entity. The Company makes specified monthly contributions towards Provident Fund, Superannuation Fund and Pension Scheme. The Company's contribution is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss during the period in which the employee renders the related service.

j) Revenue recognition

"Revenue from operation is recognised when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer, recovery of the consideration is probable, the associated cost can be estimated reliably, there is no continuing effective control or managerial involvement with the goods, and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue from rendering of services is recognised when the performance of agreed contractual task has been completed."

Interest income

Interest income from a financial asset is recognised using effective interest rate (EIR) method.

k) Financial Instruments

i) Financial Assets

A. Initial recognition and measurement

All financial assets and liabilities are initially recognized at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities, which are not at fair value through profit or loss, are adjusted to the fair value on initial recognition.

B. Subsequent measurement

Financial assets carried at amortised cost

A financial asset is measured at amortised cost if it is held within a business model whose objective is to hold the asset in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A financial asset is measured at FVTOCI if it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.



Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)

A financial asset not classified as either amortised cost or FVOCI, is classified as FVTPL.

C. Impairment of financial assets

"In accordance with Ind AS 109, the Company uses 'Expected Credit Loss' (ECL) model, for evaluating impairment of financial assets other than those measured at fair value through profit and loss (FVTPL). Expected credit losses are measured through a loss allowance at an amount equal to:

- The 12-months expected credit losses (expected credit losses that result from those default events on the financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date); or
- Full lifetime expected credit losses (expected credit losses that result from all possible default events over the life of the financial instrument)

For trade receivables Company applies 'simplified approach' which requires expected lifetime losses to be recognised from initial recognition of the receivables. The Company uses historical default rates to determine impairment loss on the portfolio of trade receivables. At every reporting date these historical default rates are reviewed and changes in the forward looking estimates are analysed.

For other assets, the Company uses 12 month ECL to provide for impairment loss where there is no significant increase in credit risk. If there is significant increase in credit risk full lifetime ECL is used."

ii) Financial Liabilities

A. Initial recognition and measurement

All financial liabilities are recognized at fair value and in case of loans, net of directly attributable cost. Fees of recurring nature are directly recognised in the Statement of Profit and Loss as finance cost.

B. Subsequent measurement

Financial liabilities are carried at amortized cost using the effective interest method. For trade and other payables maturing within one year from the balance sheet date, the carrying amounts approximate fair value due to the short maturity of these instruments.

I) Operating Cycle

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current / non-current classification based on operating cycle. An asset is treated as current when it is: a. Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle; b. Held primarily for the purpose of trading; c. Expected to be realized within twelve months after the reporting period, or d. Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current."

A liability is current when: a. It is expected to be settled in normal operating cycle; b. It is held primarily for the purpose of trading; c. It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or d. There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.



All other liabilities are classified as non-current. Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities. The company has identified twelve months as its operating cycle."

m) Earnings Per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by weighted average number of equity shares outstanding during the period. The weighted average number of equity shares outstanding during the period are adjusted for events of bonus issue; bonus element in a right issue to existing shareholders.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the year are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

n) Statement of Cash Flows

i) Cash and Cash equivalents

For the purpose of presentation in the statement of cash flows, cash and cash equivalents includes cash on hand, other short-term, highly liquid investments with original maturities of three months or less that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

ii) Statement of Cash Flows is prepared in accordance with the Indirect Method prescribed in the relevant Accounting Standard.

2.3 CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions. The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

a) Depreciation / amortisation and useful lives of property plant and equipment / intangible assets

Property, plant and equipment / intangible assets are depreciated / amortised over their estimated useful lives, after taking into account estimated residual value. Management reviews the estimated useful lives and residual values of the assets annually in order to determine the amount of depreciation / amortisation to be recorded during any reporting period. The useful lives and residual values are based on the Company's historical experience with similar assets and take into account anticipated technological changes. The depreciation / amortisation for future periods is revised if there are significant changes from previous estimates.

b) Provisions

Provisions and liabilities are recognized in the period when it becomes probable that there will be a future outflow of funds resulting from past operations or events and the amount of cash outflow can be reliably



estimated. The timing of recognition and quantification of the liability requires the application of judgment to existing facts and circumstances, which can be subject to change. The carrying amounts of provisions and liabilities are reviewed regularly and revised to take account of changing facts and circumstances.

c) Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Units (CGU's) fair value less costs of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or a groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account, if no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.

d) Impairment of financial assets

The impairment provisions for financial assets are based on assumptions about risk of default and expected cash loss rates. The Company uses judgment in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on Company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

e) Recognition of Assistance from Holding Company

The Facilities given by the Holding Company have been recognised and estimations have been made in relation to the period of the assistance given, discounting factor for such assistance and valuation of the assistance given.

f) Accounting of Long Term Security Deposits

Discounting factors while accounting for the Security Deposits have been made to bring them to their present value.

g) Estimation of Economic Benefits flowing from the Proeorty Plant and Equipments

Estimates for the future economic benefits have been made on the basis of various factors preveailing as on the date of Financial Statements.

2.4 First Time adoption of Ind AS

The Company has adopted Ind AS with effect from 1st April 2017 with comparatives being restated. As the First Financial Statements of the Company had been prepared for 2016-2017 FY only, accordingly their is no impact of transition. The figures for the previous period have been restated, regrouped and reclassified wherever required to comply with the requirement of Ind AS and Schedule III.



INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.



First Time Ind AS Adoption Reconciliations

3.1 Reconciliation - Effect of Ind AS adoption on the Standalone Balance Sheet as at March 31, 2017

Particulars	As at 31.03.2017			
	Previous GAAP Balances	Reclassification Adjustments	Effect of Transition to Ind AS	₹ (In Rupees) As per Ind AS balance sheet
ASSETS				
1 NON CURRENT ASSETS				
(a) Property Plant and Equipment	4,70,44,903	-	-	4,70,44,903
(b) Capital Work in Progress	18,51,63,810	-	-	18,51,63,810
(c) Financial Assets				
(i) Others Financial Assets	-	2,12,90,00,000	57,77,140	2,13,47,77,140
(d) Deferred Tax Assets	34,10,423	-	-	34,10,423
	23,56,19,136	2,12,90,00,000	57,77,140	2,37,03,96,276
2 CURRENT ASSETS				
(a) Financial Assets				
(i) Cash and Cash Equivalents	2,93,68,96,995	-2,12,90,00,000		80,78,96,995
(b) Other Current Assets	7,41,12,680	-	-	7,41,12,680
	3,01,10,09,675	-2,12,90,00,000	-	88,20,09,675
TOTAL ASSETS	3,24,66,28,811	-	57,77,140	3,25,24,05,951
EQUITY AND LIABILITIES				
Equity				
(a) Equity Share Capital	1,03,56,00,000			1,03,56,00,000
(b) Other Equity	1,97,62,99,935	(1,97,28,89,512)		34,10,423
	3,01,18,99,935	-1,97,28,89,512	-	1,03,90,10,423
LIABILITIES				
1 NON CURRENT LIABILITIES				
(a) Government Grants for Project Expenditure	-	1,95,63,12,551		1,95,63,12,551
	-	1,95,63,12,551	-	1,95,63,12,551
2 CURRENT LIABILITIES				
(a) Other Current Liabilities	23,47,28,876		-1,12,746	23,46,16,130
(b) Government Grants for A & OE Expenditure	-	1,65,76,961	58,89,886	2,24,66,847
	23,47,28,876	1,65,76,961	57,77,140	25,70,82,977
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	3,24,66,28,811	-	57,77,140	3,25,24,05,951

Reconciliation Notes explaining Reclassification Adjustments

- Fixed Deposits with Banks having maturity above 12 months have been reclassified as Other Non Current Assets under IND AS.
- Under IND AS Government Grants can only be classified as Unearned Income and has to be shown as Liability. Project related Grant has been classified as Non Current Liability and E&OE Grant has been classified as Current Liability.

Reconciliation Notes explaining Ind AS Adjustments

- Facilities provided free of cost by IMC (Holding Company) have been recognised at their fair value and accordingly adjusted in the year of starting of these facilities
- Security Deposits deducted / taken from Various contractors have been recognised at their present fair value based on the repayment period of the deposit.



INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.



PROFIT & LOSS STATEMENT FOR PERIOD ENDING AS AT 31 MARCH, 2018

3.2 Reconciliation- Effect of Ind AS adoption on the Standalone Profit & Loss Statement as at March 31, 2017

₹ (In Rupees)

Particulars	Previous GAAP Balances	Reclassification Adjustments	Effect of Transition to Ind AS	As per Ind AS balance sheet
Income				
Revenue From Operations	9,10,000			9,10,000
Other Income	8,34,23,039		-58,89,886	7,75,33,153
Total income (A)	8,43,33,039	-	(58,89,886)	7,84,43,153
Expenses				
Employee benefit expense	0	0	9,92,727	9,92,727
Finance Costs	175	0	0	175
Other Expenses	8,36,12,440	0	0	8,36,12,440
Total expenses before Depreciation) & Project Exp (B)	8,36,12,615	-	9,92,727	8,46,05,342
Add:				
a) Project Expenditure (Revenue nature)				-
b) Depreciation and amortization expense				
i. Towards Administrative Assets	5,25,848	0	0	5,25,848
ii. Towards Projects Assets	1,94,576	0	0	1,94,576
	7,20,424	-	-	7,20,424
Profit/(loss) before tax (C=A-B)	-	-	(68,82,613)	(68,82,613)
Tax expense				
(1) Current tax				-
(2) Deferred tax	-34,10,423			(34,10,423)
Total Tax (F)	(34,10,423)	-	-	(34,10,423)
Profit/(Loss) for the year from continuing operations(E-F)	34,10,423	-	(68,82,613)	(34,72,190)
Profit/(Loss) from discontinued operations	-	-	-	-
Profit/(loss) for the period	34,10,423	-	(68,82,613)	(34,72,190)
Other comprehensive income				
A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-
B (i) Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	68,82,613	68,82,613
Total Other Comprehensive Income	-	-	68,82,613	68,82,613
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period)	34,10,423	-	-	34,10,423

Reconciliation Notes explaining Ind AS Adjustments

Facilities provided free of cost by IMC (Holding Company) have been recognised at their fair value and accordingly adjusted in the year of starting of these facilities

Security Deposits deducted / taken from Various contractors have been recognised at their present fair value based on the repayment period of the deposit.



INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.

First Time Ind AS Adoption Reconciliations

3.3 Reconciliation of total comprehensive income for the year ended March 31, 2017

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31.03.2017
Revised profit as per previous GAAP	34,10,423
Adjustments :	
Facilities provided free of cost by IMC (Holding Company) recognised at their fair value	69,67,867
Security Deposits recognised at their present fair value based	1,12,746
Salaries of IMC Deputed Staff Accounted for	(9,92,727)
Additional Grant transferred to Profit & Loss Account	(60,87,886)
Total effect of transition to Ind AS	-
Profit for the year as per Ind AS	34,10,423
Other comprehensive income for the year (net of tax)	-
Total comprehensive income under Ind AS	34,10,423

3.4 Reconciliation of Other Equity as at March 31, 2017

Particulars	As at 31.03.2017
Other Equity as per previous GAAP	1,97,62,99,935
Net Adjustments as on 01.04.2016	0
Effect of Transition to Ind AS :	
Transfer of Grant to Current and Non Current Laibilities	(1,97,28,89,512)
Total adjustment to equity	(1,97,28,89,512)
Other Equity under Ind AS	34,10,423

3.5 Reconciliation of Cash Flows as at March 31, 2017

Particulars	As per IGAAP	Ind AS Adjustments	As per Ind AS
Net Cash Flows from Operating Activities	16,13,36,620	(2,20,66,45,899)	(2,04,53,09,279)
Net Cash Flows from Investing Activities	(10,10,16,586)	(13,76,89,691)	(23,87,06,277)
Net Cash Flows from Financing Activities	2,87,65,76,961	21,53,35,590	3,09,19,12,551
Net increase/(decrease in Cash and Cash Equivalents)	2,93,68,96,995	(2,12,90,00,000)	80,78,96,995
Cash and Cash Equivalents as at 1st April 2016	-	-	-
Cash and Cash Equivalents as at 31st March 2017	2,93,68,96,995	(2,12,90,00,000)	80,78,96,995

Under the Ind AS, cash balances lying in seized account and in deposit accounts with more than 3 months maturity are not included in Cash and Cash Equivalents. As a result, there is a difference between Cash and Cash Equivalents as per IGAAP and as per Ind AS to the extent of such amount.





INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.



4. Property, Plant and Equipment

FIXED ASSETS CHART

₹ (In Rupees)

Particulars	Useful Life (Years)	GROSS BLOCK				DEPRECIATION/AMORTISATION				NET BLOCK	
		As at 01.04.2017	Addition during the year	Deducti on during the year	As at 31.03.2018	As at 01.04.2017	For the year	Deducti on during the year	Up to 31.03.2018	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I. OWNED ASSETS											
A. Tangible Assets - Administrative Asset											
1. Computers	3 Y	182070	1790000	-	1972070	4981	244038	-	249019	1723051	177089
		(0)	182070	-	182070	(0)	4981	-	4981	177089	0
2. LED TV	5 Y	89990	0	-	89990	4778	17098	-	21876	68114	85212
		(0)	89990	-	89990	(0)	4778	-	4778	85212	0
3. Scanner	5 Y	515943	0	-	515943	103401	98029	-	201429	314514	412542
		(0)	515943	-	515943	(0)	103401	-	103401	412542	0
4. Photocopy Machine	5 Y	204750	234547	-	439297	41034	59658	-	100693	338604	163716
		(0)	204750	-	204750	(0)	41034	-	41034	163716	0
5. Furniture	10Y	69000	13626879	-	13695879	6914	758571	-	765486	12930393	62086
		(0)	69000	-	69000	(0)	6914	-	6914	62086	0
6. Printer	5Y	0	17480	-	17480	0	391	-	391	17089	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
7. Laptop	3Y	0	110900	-	110900	0	7990	-	7990	102910	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
8. UPS	5Y	0	228275	-	228275	0	15271	-	15271	213004	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
9. Web Cam	5Y	0	5120	-	5120	0	280	-	280	4840	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10. D. G Set	10Y	0	7119710	-	7119710	0	212067	-	212067	6907643	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
TOTAL (A)		1061753	23132911	0	24194664	161108	1413395	0	1574503	22620161	900645
<i>Previous Year - Total (A)</i>											
		0	1061753	0	1061753	0	161108	0	161108	900645	0
B. Tangible Assets - Project Assets											
1. Garbage Drum Compost Plant	10Y	0	2999260	0	2999260	0	73379	0	73379	2925881	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. Mobile/Static Transfer Stations Inc. Hook Loader	15Y	42491845	188005011	-	230496856	364740	5445872	-	5810612	224686244	42127105
		(0)	42491845	-	42491845	(0)	364740	-	364740	42127105	0



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3. Solar Power Plant at various Location	25Y	0	2818045	0	2818045	0	27578	0	27578	2790467	0	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	TOTAL (B)	42491845	193822316	0	236314161	364740	5546829	0	5911569	230402592	42127105	
Previous Year - Total (B)			0	42491845	0	42491845	0	364740	0	364740	42127105	0
C. Intangible Assets - Administrative Asset												
1. Micro Soft Project Panel	5Y	0	73500	-	73500	0	4591	-	4591	68909	0	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
2. Nitro PDF Professional License	5Y	0	63400	-	63400	0	3960	-	3960	59440	0	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
TOTAL (C)		0	136900	0	136900	0	8552	0	8552	128348	0	
Previous Year - Total (C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Intangible Assets - Project Assets												
1. ESRI GIS Software (i)	4Y	4211729	8101730	-	12313459	194576	2529071	-	2723647	9589812	4017153	
		(0)	4211729	-	4211729	(0)	194576	-	194576	4017153	0	
2. System Integrator	10Y	0	14726372	-	14726372	0	936756	-	936756	13789616	0	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
TOTAL (D)		4211729	22828102	0	27039831	194576	3465827	0	3660403	23379428	4017153	
Previous Year - Total (D)		0	4211729	0	4211729	0	194576	0	194576	4017153	0	
GRAND TOTAL (A+B+C+D)		47765327	239920229	0	287685556	720424	10434602	0	11155027	276530529	47044903	
Previous Year Grand Total (A+B+C+D)		0	47765327	0	47765327	0	720424	0	720424	47044903	0	

Note to 4

- The Company has procured various items and incurred certain expenditure, which are tabulated above in this Note, by way of utilization of money available with it. The above items and expenditure has been classified as Property, plant and equipment accordingly.
- An item is recognized as an asset when the expenditure incurred on that item results in a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. Furthermore, Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity.
- The management believes that while recognizing the items as asset the essential criterion of 'control' and 'future economic benefits; are met.
- As regards the items falling under 'B. Tangible Assets – Project Assets' the 'future economic benefits' from such assets would flow to the Company through 'Indore Municipal Corporation' by way of executing 'Memorandum of Understanding' which is in process.



5. Capital Work in Progress

A. Tangible Assets										
1. Furniture & Fixture	8599191	5027688	13626879	0	0	0	0	0	0	8599191
2. Work in Progress of Projects Undergoing Under Smart City Mission										
a. Construction of Garbage Transfer Station	0	161809420		161809420	0	0	0	0	0	161809420
b. Biomethanation Plant	0	85319956		85319956	0	0	0	0	0	85319956
c. Bioremediation /Biomining of LOD		13264048		13264048	0	0	0	0	0	13264048
d. Construction & Demolition Center		39824858		39824858	0	0	0	0	0	39824858
e. Garbage Drum Compost Plant		9364456	2999260	6365196	0	0	0	0	0	6365196
f. Mobile/Static Transfer Stations Inc. Hook Loader		14654300		14654300	0	0	0	0	0	14654300
g. D. G Set		4627000		4627000	0	0	0	0	0	4627000
3. Installation of Solar Power Plant on Roof of Various Govt School	0	1402886	0	1402886	0	0	0	0	0	1402886
TOTAL (A)	8599191	335294612	16626139	327267664	0	0	0	0	0	327267664
B. Intangible Assets										
1. ESRI GIS Software (ii)	8101730	0	8,101,730	0	0	0	0	0	0	8101730
2. Work in Progress of Projects Undergoing Under Smart City Mission				0	0	0	0	0	0	0
a. Road Project Wor In ABD Area	157063721	300798970		457862691	0	0	0	0	0	457862691
b. Chattarpura Thana Renovation work	0	9776230		9776230	0	0	0	0	0	9776230
c. Redevelopment Of Jinsi Haat Bazaar	4993668	26052670		31046338	0	0	0	0	0	31046338
d. Heritage Redevelopment Work	762450	11035343		11797793	0	0	0	0	0	11797793
e. River Front Development Work	5643050	48455748		54098798	0	0	0	0	0	54098798
f. Infrastructure & Buiding Development work of various School		14214538		14214538	0	0	0	0	0	14214538
TOTAL (B)	176564619	410333499	8101730	578796388	0	0	0	0	0	578796388
GRAND TOTAL (A+B)	185163810	745628111	24727869	906064052	0	0	0	0	0	906064052
GRAND TOTAL (A+B+C)	186225563	768897922	24727869	930395616	161108	1421946	0	1583055	0	928812562

Notes to 5

- The Company has procured various items and incurred certain expenditure, which are tabulated above in this Note 4B, by way of utilization of money available with it. The above items and expenditure has been classified as Capital Work in progress.
- An item is recognized as an asset when the expenditure incurred on that item results in a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. Furthermore, Income is increases in economic benefits during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in increases in equity.
- The management believes that while recognizing the items as asset the essential criterion of 'control' and 'future economic benefits' are met.
- The 'control' over expenditure incurred on items classified as assets and, 'future economic benefits' from such assets would flow to the Company through 'Indore Municipal Corporation' by way of executing 'Memorandum of Understanding' which is in process.

INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.

Notes annexed to and forming part of Financial Statements



6. Other Financial Assets

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Unsecured Considered Good Advances recoerable under Ind AS (IMC)	1,09,82,576	57,77,140
Other Bank Balances		
FDR With Banks(Maturity within 1 year)	1,55,94,00,000	2,12,90,00,000
Total	1,57,03,82,576	2,13,47,77,140

7 Deferred Tax Assets/(Liabilities)

The Movement on the deferred tax account is as follows

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Deferred tax liability		
Timing difference on account of Depreciation		
WDV as per Companies Act 27,65,30,529		
WDV as per Income Tax Act 21,80,34,309		
	5,84,96,220	
	1,80,75,332	9,94,471
Deferred tax Asset		
Timing Difference on account of Sec 35D 10,69,14,90.00		
Timing Difference on account of 15,44,23,88.15		
	1,06,91,490	
	33,03,670	44,04,894
IND AS adjustments		
	1,54,42,388	
	47,71,698	18,01,435
Net Deferred tax Asset/(Liability)	(99,99,964)	52,11,858
At the end of the year	99,99,964	-52,11,858

Component of Deferred Tax Liabilities/(Assets)

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2017	Charge/(Credit) to Statement of Profit & Loss	As at 31 st March, 2018
Deferred Tax Assets/(Liabilities) in relation to :			
Depreciation Effect	(9,94,471)	(170,80,861)	(1,80,75,332)
Section 35 D	44,04,894	(11,01,223)	33,03,670
Carryforward of losses	-	-	-
Property Plant and Equipment	-	-	-
Long term provisions	-	-	-
Short term provisions	-	-	-
Ind AS adjustments	18,01,435	29,70,263	47,71,698
Total	52,11,858	(1,52,11,821)	(99,99,964)

8. Cash and Bank Balances

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Cash & Cash Equivalents		
Balances with Banks		
(i) Saving Accounts	1,45,12,05,549	80,78,96,995
Cash on hand	14,089	-
	1,45,12,19,638	80,78,96,995



9. Other Current Assets

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Secured , Considered Good		
Advances to Contractors	6,05,11,099	-
Security Deposit	7,97,552	-
Balance with Statutory Authorities	1,95,35,181	1,27,98,723
Accrued Interest on FDR	13,37,11,230	6,13,13,957
Accrued Interest on advance to vendor	4,49,863	-
GST on reverse Charge	1,43,194	-
GST on advance	77,878	-
Sundry Recievable	9,37,698	-
Advance to Employees	39,404	-
Total	21,62,03,099	7,41,12,680

10 Share Capital

₹ (In Rupees)

(a) Particulars	As at 31 st March, 2018		As at 31 st March, 2017	
	Number	Amount	Number	Amount
Authorised				
20,00,00,000 Equity Shares (Prev. Year 20,00,00,000) of Rs. 10/- each	20,00,00,000	2,00,00,00,000	20,00,00,000	2,00,00,00,000
Issued, Subscribed & fully paid up				
20,00,00,000 Equity Shares (Prev. Year 10,35,60,000) of Rs. 10/- each	20,00,00,000	2,00,00,00,000	10,35,60,000	1,03,56,00,000
	20,00,00,000	2,00,00,00,000	10,35,60,000	1,03,56,00,000

Reconciliation of the number of equity shares outstanding at the beginning and at the end of the year ₹ (In Rupees)

(b) Particulars	As at 31 st March, 2018		As at 31 st March, 2017	
	Number	Amount	Number	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	10,35,60,000	1,03,56,00,000	-	-
Add: Shares issued during the year	9,64,40,000	96,44,00,000	10,35,60,000	1,03,56,00,000
Shares outstanding at the end of the year	20,00,00,000	2,00,00,00,000	10,35,60,000	1,03,56,00,000

Shares held by the holding Company / Associate Company and shareholders holding more than 5% shares in the Company

(c) Particulars	As at 31 st March, 2018		As at 31 st March, 2017	
	No. of Shares held	% of Holding	No. of Shares held	% of Holding
Equity Shares				
Madhya Pradesh Urban Dev. Corp.	10,00,00,000	50.00%	5,17,80,000	50.00%
Indore Municipal Corporation	10,00,00,000	50.00%	5,17,80,000	50.00%

Terms / Rights to Shareholders

(i) Equity Shares

(A) Voting

- (i) The Company has one class of equity shares having a par value of Rs.10 per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held.

In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.



11 Other Equity

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
(a) Surplus/(Deficit) as per the Statement of Profit and Loss		
Balance as per Last Financial statement	52,11,858	-
Add: Impact of Ind AS adjustments(Net)		
Profit/(Loss) for the Year	(1,52,11,821)	52,11,858
Total	(99,99,964)	52,11,858

12 Government Grants for Project Expenditure

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Grant Recd for Project Expenditure		
Opening Balance	1,95,63,12,551	-
Grant Recived from		
(i) MP Government	1,00,00,00,000	48,22,00,000
(ii) Central Government	-	1,34,22,00,000
Add: Interest Received on idle grant kept as fixed deposit	24,92,33,636	13,19,12,551
Less: Share Capital Issued during the year	(96,44,00,000)	-
Less: Grant Related to A& OE Expenditure	(10,00,00,000)	-
Less: Grant utilised for Project Expensditures (Revenue Nature)	(2,31,15,839)	-
	2,11,80,30,348	1,95,63,12,551

13 Other Non Current Liabilities

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Security deposit withheld-Project	1,28,72,291	1,10,813
Security deposit withheld- Others	3,67,869	4,73,521
Total	1,32,40,160	5,84,334

14 Other Current Liabilities

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Creditors for project expenditure	19,81,61,351	4,48,85,084
Creditors for Other Expenditure	3,34,84,511	18,86,85,257
Security deposit withheld-Project	1,26,25,710	-
Security deposit withheld- Others	7,14,702	-
Commercial Tax	1,32,386	3,07,636
GST Payable	4,32,396	-
TDS Payable	6,60,985	-
EPF Employee cont	1,45,722	-
ESIC Employee Cont	9,499	-
EPF Employer Cont	1,40,343	-
ESIC Employer Cont	25,793	-
Labour Cess	55,69,855	1,53,819
Professional tax	2,500	-
Total	25,21,05,753	23,40,31,796



15 Government Grants for A & OE Expenditure

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Opening Balance	2,24,66,847	
Grant Received for A&OE Expenditure	10,00,00,000	
Less: Recognised in P&L Statement to the extent of expenditure	9,70,62,080	
Add: Adjusted against Other Comprehensive income recognised towards O & AE	1,16,18,867	3,70,23,634
Expenditure in Profit & Loss Account	8,54,43,213	2,24,66,847
Total	3,70,23,634	2,24,66,847

16 Revenue from Operations

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
E-Procurement Fees	38,27,610	9,10,000
Advertisement Income	20,44,125	-
Dismantle Electric Material	3,41,197	-
Forfeiture of EMD	40,496	-
Interest from Vendors	10,08,992	-
Labour Cess Collection Charges recovered	56,261	-
Total	73,18,681	9,10,000

17 Other Income

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Government Grants		
a) Amount transferred from Administrative Grants	8,54,43,213	7,75,33,153
b) Amount transferred from Project Grants	2,31,15,839	-
Total	10,85,59,052	7,75,33,153

18 Employee Benefits Expense

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Salaries & Wages	1,02,56,047	18,45,137
Contribution to Provident & Other Funds	1,66,136	-
Total	1,04,22,183	18,45,137

19 Finance Costs

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Bank Charges	58	175
Interest on Security Deposit	57,426	-
Total	57,484	175



20 Other Expenses

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31 st March, 2018	As at 31 st March, 2017
Professional Charges	19,17,514	10,99,401
Green Building Certification	-	80,500
Office Expenses	25,786	3,600
Preliminary Expenses	-	1,78,19,150
Audit fee	51,500	57,500
ROC Charges for increase in paid-up capital	9,64,400	10,34,600
Photocopy and Binding Charges	22,779	38,142
Printing & Stationary Charges	-	45,980
Smart City Launching Expenses	-	2,10,88,332
Advertising Expenses	83,12,291	93,00,600
Professional Charges Planning	23,28,452	4,89,532
Professional Fees For Project Development	1,07,48,584	43,12,500
Project Management Consultant	6,11,18,290	2,73,90,193
Rent of Premises	7,07,054	-
Electricity Expenses	3,39,405	-
Antivirus	7,280	-
Business promotion Charges	19,000	-
Electric Expenses(Shri Sai Baba)	3,337	-
First Aid Box, Fire Extinguisher, antiskid tap	29,390	-
GST fee	1,400	-
GST Interest	251	-
GST on reverse charge	-	-
Head for plotter Scanner	28,811	-
Housekeeping	28,82,314	-
Inauguration Expenses	95,533	-
Installation Charges	4,000	-
Intrest on TDS	75,352	-
Landline Expenses	2,540	-
Office Expenses	6,94,825	-
Participation Fees for Exhibition & Conference	376,994	-
Printing of Brocher Booklet and Flex	25,960	-
Printing & Stationery Charges	4,800	-
Radium Stiker for geela & Sukha Kachra	38,114	-
Stationery	2,99,610	-
Telephone	1,18,762	-
Traveling Charges	1,87,540	-
Vehicle Hiring Charges	6,18,112	-
ROC Expenses	21,000	-
Professional Tax	2,500	-
Services for topographical survey work of kukkt	2,13,879	-
Sludge Hygenitaion Expenses	1,91,789	-
Total	9,24,79,148	8,27,60,030



21 Project Expenditure (Revenue nature)

₹ (In Rupees)

Particulars	Year ended March 31, 2018	Year ended March 31, 2017
Conservation & Restoration of Chhatribagh	1,41,03,183	-
Total	1,41,03,183	-

22 Other Comprehensive Income

Particulars	Year ended March 31, 2018	Year ended March 31, 2017
(A) Items that will not be reclassified into profit or loss	-	-
Total (A)	-	-
(B) Items that will be reclassified to profit or loss		
(i) Free of Cost Assistance from IMC Recognised at Fair Value	71,54,374.00	67,69,867.00
(ii) Security Deposits stated at Fair Value	44,64,493.00	1,12,746.00
Total (B)	1,16,18,867.00	68,82,613.00

23 As per IND AS 19 "Employee benefits", the disclosures as defined are given below:

Defined Contribution Plans

Contribution to Defined Contribution Plans, recognised as expense for the year is as under:

₹ (In Rupees)

Particulars	2017-18	2016-17
Employer's Contribution to Provident Fund	1,40,343	-

Defined Benefit Plan

None of the employees have completed 5 years of Services hence the Company has not recognised any Defined Benefit Plan Obligation and Expenses.

24 Payment to Auditors As:

₹ (In Rupees)

Particulars	2017-18	2016-17
(a) Auditors		
Statutory Auditors Fees	50,000	50,000
(b) Certification and Consultation Fees	-	-
Service Tax		
Total	50,000	50,000



₹ (In Rupees)

25	EARNING PER SHARES (EPS)	2017-18	2016-17
i)	Net Profit after Tax as per statement of Profit and Loss attributable to Equity Shareholders	(1,52,11,821)	52,11,858
ii)	Weighted Average number of Equity Shares used as denominator for calculating Basic EPS	20,00,00,000	10,35,60,000
iii)	Weighted Average Potential Equity Shares	-	-
iv)	Total Weighted Average number of Equity Shares used as denominator for calculating Diluted EPS	20,00,00,000	10,35,60,000
v)	Basic Earnings Per Share (Rs.)	(0.08)	0.05
vi)	Diluted Earning Per Share (Rs.)	(0.08)	0.05
vii)	Face Value per Equity Share (Rs.)	10.00	10.00

26 RELATED PARTIES DISCLOSURES

(i) As per Ind AS 24, the disclosures of transactions with the related parties are given below:

List of related parties where control exists and also related parties with whom transactions have taken place and relationships:

Sr. No.	Name of Related Party	Relationship
1	Shri Rohan Saxena	Chief Executive Office
2	CA Santosh Kag	Chief Finance Officer till (31.03.2017)
3	CS Anurag Kumar Saxena	Company Secretary
4	CA Rachna Gaur	Chief Finance Officer from (29.09.2017)

(ii) Transaction during the year with related parties:

₹ (In Rupees)

Sr. No.	Related Party	Remuneration 2017-2018	Remuneration 2016-2017
1	CA Santosh Kag	-	4,62,727
2	CS Anurag Kumar Saxena	7,03,950	3,89,683
3	CA Rachna Gaur	4,24,667	-

(iii) Compensation of Key Management Personnel

The remuneration of director and other member of Key Management personnel during the year was as follows:-

	2017-18	2016-17
i Short-term benefits	-	-
Total	-	-



27 CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS **2017-18** **2016-17**

(I) Contingent Liabilities

(A) Claims against the Company/disputed liabilities not acknowledged as dues	NIL	NIL
(B) Guarantees		
Outstanding Guarantees furnished to Banks and Financial Institutions including in respect of Letters of Credits	NIL	NIL
(C) Other Money for which the Company is contingently liable	NIL	NIL
(i) Liability in respect of bills discounted with Banks (including third party bills discounting)		
(II) Commitments		
(A) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for: "	331.21 Crores	50.25 Crores
(B) Other Commitments	NIL	NIL

28 CAPITAL MANAGEMENT

The Company adheres to a robust Capital Management framework which is underpinned by the following guiding principles;"

- Maintain financial strength to attain AAA ratings domestically and investment grade ratings internationally.
- Ensure financial flexibility and diversify sources of financing and their maturities to minimize liquidity risk while meeting investment requirements.
- Leverage optimally in order to maximize shareholder returns while maintaining strength and flexibility of the Balance sheet.

"This framework is adjusted based on underlying macro-economic factors affecting business environment, financial market conditions and interest rates environment."

The gearing ratio at end of the reporting period was as follows.

₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017
Non-Current Liabilities (Other than DTL)	2,14,12,70,472	1,95,68,96,885
Current maturities of Long Term debts	-	-
Gross Debt	2,14,12,70,472	1,95,68,96,885
Cash and Cash Equivalents	1,45,12,19,638	80,78,96,995
Net Debt (A)	69,00,50,834	1,14,89,99,890
Total Equity (As per Balance Sheet) (B)	1,99,00,00,036	1,03,03,88,142
Net Gearing (A/B)	0.35	1.12

29 FINANCIAL INSTRUMENTS

All financial instruments are initially recognized and subsequently re-measured at fair value as described below:

- Fair Value measurement hierarchy: ₹ (In Rupees)

Particulars	As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017
Financial Assets		
At Cost		
Other Financial Assets	1,55,94,00,000	2,12,90,00,000
At Amortised Cost		
Other Financial Assets	1,09,82,576	57,77,140
Financial Liabilities	-	-



Explanation to the fair value hierarchy

The Company measures financial instruments, at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

Level 1 Level 1 hierarchy includes financial instruments measured using quoted prices. This includes listed equity instruments, traded bonds and mutual funds that have quoted price. The fair value of all equity instruments (including bonds) which are traded in the stock exchanges is valued using the closing price as at the reporting period. The mutual funds are valued using the closing NAV.

Level 2 The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, traded bonds, over-the-counter derivatives) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

Level 3 If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3. This is the case for unlisted equity securities, contingent consideration included in level 3.

Foreign Currency Risk:

The Company does not have any dealing in any foreign currency. Hence the Company does not have any exposure and is free of any Risk associates with Foreign Currency.

There is no impact on the profit / Loss of the Company on fluctuation of any foreign currency.

Interest Rate Risk

The exposure of the company's financial Assets in Fixed Deposits would be impacted to interest rate changes at the end of the reporting period. The details are as follows

Interest Rate Exposure			₹ (In Rupees)
Particulars	As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017	
Financial Assets			
Fixed Depsit With Bank Long Term	1,55,94,00,000	2,12,90,00,000	
Total	1,55,94,00,000	2,12,90,00,000	

Impact on Interest Expenses for the year on 1% change in Interest rate

Interest rate Sensitivity					₹ (In Rupees)
Particulars	As at 31st March, 2018		As at 31st March, 2017		
	Up Move	Down Move	Up Move	Down Move	
Impact on Equity					
Impact on P & L	1,84,42,000.00	1,84,42,000	2,12,90,000.00	2,12,90,000	
Total Impact	1,84,42,000	1,84,42,000	2,12,90,000	2,12,90,000	

Credit Risk

Credit risk is the risk that a customer or counterparty to a financial instrument fails to perform or pay the amounts due causing financial loss to the company. Credit risk arises mainly from the advances given to Contractors for execution of work.

The company has a prudent and conservative process for managing its credit risk arising in the course of its business activities. The credit ratings/market standing of the customers are evaluated on a regular basis.



Liquidity Risk

Liquidity risk arises from the Company's inability to meet its cash flow commitments on time. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient stock of cash. The Company maintains adequate cash and cash equivalents alongwith the need based credit limits to meet the liquidity needs.

Maturity Analysis for financial liabilities

The following are the remaining contractual maturities of financial liabilities

As at 31 March 2018

₹ (In Rupees)

Particulars	Less than One year	1 to 5 years	More than 5	Total
Non-derivative				
Security Deposits Refundable	3,72,612	3,09,35,775	1,64,610	3,14,72,997
Derivative (N.A)				

As at 31 March 2017

Particulars	Less than One year	1 to 5 years	More than 5	Total
Non-derivative				
Security Deposits Refundable	-	6,97,080	-	6,97,080
Derivative (N.A)				

Operating Leases

The Company has not taken any assets on operating Lease. However Indore Municipal corporation has provided its Building to the Company for its operations. Notional Rent Expenses for the same have been provided for in the Profit & Loss as expenditure for the year.

- 30 The Company is primarily engaged in implementation of the "Smart City Mission" at the Indore city. Hence there are no separate reportable Segments.

- 31 **DETAILS OF LOANS GIVEN, INVESTMENTS MADE AND GUARANTEE GIVEN COVERED U/S 186(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013.**

The Company has not given any Loans, not made any Investments and has not given any guarantee.

- 32 **EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD**

The Board of Directors have recommended dividend of Rs. Nil Per fully paid up equity share of Rs. 10/- each, aggregating Rs. Nil Including Rs. Nil dividend distribution tax for the financial year 2017-18.

- 33 **APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS**

The financial statements were approved for issue by the board of directors on 20th Dec., 2018.

As per our report of even date

For Gupta & Ashok

Chartered Accountants

Firm Reg. No. 002254C

Sd/-

[CA Ashok Agrawal]

Partner

M No: 071274

Place: Indore

Date: 20.12.2018

For and behalf of the Board of Directors

Sd/-

[Nishant Warwade]

Chairman

DIN 05340409

Sd/-

[Rachna Gaur]

Chief Financial Officer

M.No.410808

Sd/-

[Asheesh Singh]

Executive Director

DIN 07636828

Sd/-

[Anurag Kumar Saxena]

Company Secretary

M.No. F8115





हम सबका सपना, स्मार्ट इन्दौर हो अपना

Indore Smart City Development Limited

Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore - 452003

Phone No.: 0731-2535572

E-mail: smartcityindore16@gmail.com

CIN: U75100MP2016SGC035528

Website: www.smartcityindore.org

@smartcityindore [/facebook.com/indoresmartcityofficial](https://www.facebook.com/indoresmartcityofficial)



Indore Municipal Corporation
www.imcindore.org